खण्ड-375, अंक-5
बुधवार, 7 फाल्गुन, शक संवत् 1907
(26 फरवरी, 1986 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 375 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद इटावा के लोकदल महामन्त्री श्री रमेश सिंह चौहान की अराजकतत्वों द्वारा हत्या कर दिए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	61–62
पुलिस द्वारा गाजियाबाद के वरिष्ठ पत्रकार श्री शिवकुमार मिश्र के साथ कथित अभद्र व्यवहार किए जाने के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन	62
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1986 (पुर:स्थापित किया गया)	62–63
कार्य-स्थगन-प्रस्तावों-की-सूचनाएं	63
1986–87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या 32––चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा), अनुदान संख्या 33––चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान संख्या 34––चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा), अनुदान संख्या 35––चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या 36––चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) तथा अनुदान संख्या 37––चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)	63–107
श्री जमुना प्रसाद बोस सदस्य, विधान सभा की 'भारत बन्द' के सन्दर्भ में गिरफ्तारी की सूचना	107
दैनिक पत्र 'जन सत्ता' के सम्पादक मुद्रक एवं प्रकाशक के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	107–108
राज्य सम्पत्ति अनुभाग के सहायक श्री टी0एस0 पवार के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	108
तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी उन्नाव डा0 बी0एस0मिश्र के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	108–109
तत्कालीन आवास मन्त्री मईदुल हसन तथा अन्य आवास विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	109–110
बांदा से प्रकाशित दैनिक पत्र 'मध्य युग' के प्रधान सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक तथा सम्पादक के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	110–111
सैनिक स्कूल, लखनऊ में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में तत्कालीन शिक्षा मन्त्री के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	111
'माया' तथा 'ब्लिटज' के प्रकाशक, सम्पादक तथा समाचार लेखक के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	111–112
तत्कालीन सहकारिता मन्त्री के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	113
'अमृत प्रभात' के दैनिक पत्र के दिनांक 31–7–85 के अंक में प्रकाशित "स्वास्थ्य मन्त्री का ब्रीफकेस" के सम्बन्ध में प्रधान सम्पादक, सम्पादक, मुद्रक एवं प्रकाशक के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	113–115

विषय	पृष्ठ संख्या
तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री नारायन दत्त तिवारी के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	115–116
मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	116–117
विधान सभा सदस्य हाजी मोहम्मद हयात तथा श्री काजी कलीमुररहमान की गिरफ्तारी की सूचना	117
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	117
नत्थियां	118–122

विधान भवन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुद्धवार, दिनांक 26 फरवरी, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:—

अकबर हुसैन बावर, श्री	फैजाबाद	बलजीत सिंह, श्री	मथुरा
अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ	बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री	सीतापुर
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली	मनोहर लाल, श्री	उन्नाव
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री	देवरिया	माताप्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
अशोक सेहरा, श्री	आगरा	मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
इन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर	मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
एहतिशाम वली खां, श्री	बहराइच	मोहम्मद आकिल, श्री (उर्फ मुन्ना मिया)	मुरादाबाद
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा		
काजी कलीमुर्रहमान, श्री	आजमगढ़	मोहम्मद मसूद खां, श्री	आजमगढ़
काशी सिंह ऐरी,	पिथौरागढ़	मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री	मुरादाबाद
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर	मोहम्मद वसीम अन्सारी, श्री	रायबरेली
गेन्दा देवी, श्रीमती	बस्ती	मोहम्मद हयात, हाजी	मुरादाबाद
जगदीश नरायन, श्री	हमीरपुर	रमाकान्त, श्री	आजमगढ़
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर	रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
जमुना प्रसाद बोस, श्री	बांदा	राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
तिलक सिंह, श्री	अलीगढ़	राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई
नरेन्द्र सिंह, कुंवर	सहारनपुर	लोकेन्द्र दत्त सकलानी, श्री	टिहरी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
निरोत्तम सिंह, श्री	बदायूं	विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
फजलुल बारी, श्री	गोण्डा	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
फसीउर्रहमान, श्री (उर्फ मुन्नन खां)	गोण्डा	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

शफीकुर्रहमान बर्क, श्री	मुरादाबाद	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली	हर्ष वर्धन, श्री	गोरखपुर
सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया	हितेश कुमारी, श्रीमती	बुलन्दशहर

नोट:—श्री सिब्ते रजी शिक्षा मंत्री, श्री निसार अहमद अन्सारी लघु उद्योग एवं हथ करघा राज्य मंत्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 26 फरवरी, 1986

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के बड़े जनपदों के विभाजन का प्रस्ताव

**1—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन के समक्ष 30 लाख से अधिक आबादी वाले जनपदों के विभाजन का कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्या शासन वहां के विकास तथा प्रशासनिक देख रेख को प्रभावी बनाने हेतु उन जनपदों के विभाजन या पुनर्गठन के लिए कोई समिति गठित करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

जी नहीं।

वर्ष 1976 में गठित जिला पुनर्गठन समिति द्वारा संस्तुत जिलों का सृजन वित्तीय संसाधनों के अभाव में सम्भव नहीं हो सका है। अतः वर्तमान में समिति का पुनर्गठन विचाराधीन नहीं है।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

माननीय, जो बड़े तहसील हैं और जो बड़े जनपद हैं, वहां तो इन्होंने एक एडीशनल तहसीलदार और एक एडीशनल एस0 पी0 की नियुक्ति की है। मेरा कहना यह है कि जिन जनपदों की आबादी 30 लाख से ऊपर है और उनकी संख्या 10 से ऊपर है, क्या उनको पुनर्गठित करके उनमें जिले बढ़ाने पर शासन विचार करेगी? जिस प्रकार कानपुर देहात को जिला बनाया गया है, क्या इसी को आधार मानकर उन 10 जिलों को जिनकी संख्या 30 लाख से ऊपर है, उनमें जिला बनाने पर शासन विचार करेगी?

श्री गौरी शंकर—

माननीय, जो पुराना आयोग का गठन हुआ था और उसकी जो संस्तुतियां थीं, उन्हीं संस्तुतियों के आधार पर जिलों का पुनर्गठन नहीं किया जा सका। पुनर्गठन के जो मानक होते हैं, उसमें जिले का क्षेत्रफल, उसकी भौगोलिक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थिति आदि चीजें होती हैं। इससे बड़ा मानक और होता है वित्तीय संसाधन। एक जिले के गठन में 24-25 करोड़ रुपये का खर्च आता है। माननीय सदस्य ने कानपुर देहात का संदर्भ लिया। विशेष रूप से उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अभी इसके हेड-क्वार्टर का मसला ही नहीं सुलझ पाया है। वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण, इस समय जिलों का पुनर्गठन कर पाना सम्भव नहीं है।

श्री मित्रसेन—

यह सरकार विकेन्द्रीयकरण की नीति की समर्थक है। तहसीलदारों और एस0 डी0 एम0 को यह बढ़ा रही है। आयोग की संस्तुतियों के आधार पर कौन-कौन से जिलों का पुनर्गठन किया गया है? यदि नहीं किया है तो कब से पुनर्गठन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी?

श्री गौरी शंकर—

माननीय, समिति ने जो संस्तुति की थी, उसमें बस्ती जिले में बांसी को, आगरा में फिरोजाबाद को, गोरखपुर

में महाराजगंज को, मिर्जापुर में राबर्ट्सगंज को जिला बनाने की संस्तुति की थी। विशेष रूप से आजमगढ़ जनपद को विभाजित करने की संस्तुति उसमें नहीं की गई थी। मेरठ जिले में गाजियाबाद को 24-11-1976 को बनाया जा चुका है। इस प्रकार जिन 5 जिलों का मैंने ऊपर वर्णन किया है, उनमें चार जिलों को बांटने की संस्तुति समिति ने की थी। लेकिन वित्तीय संसाधन का अभाव मुख्य कारण है, इसलिये पुनः उसी उत्तर को देने की मजबूरी है।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि संसाधनों की कमी के कारण नये जिले बनाने का प्रस्ताव नहीं है, तो कानपुर में दो जिले बनाये गये लेकिन मुख्यालय एक ही है। क्या डुमरियागंज और बस्ती को दो जिलों में बांटकर मुख्यालय बस्ती में ही रखने की कृपा करेंगे?

श्री गौरी शंकर–

माननीय सदस्य तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। कानपुर के सम्बन्ध में मैंने कहा था कि एक निर्णय ले लिया गया था लेकिन मुख्यालय देहात में नहीं बनाया गया था। अब आपका यह कहना कि दो जिले बनाकर मुख्यालय बस्ती में ही रखा जाय, इससे आपका उद्देश्य भी सफल नहीं होगा। आप खटाई में क्यों पड़ना चाहते हैं?

श्री राम सागर–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि संसाधन के अभाव में नये जिले नहीं बना रहे हैं, तो क्या अमेठी जिला बना रहे हैं और उसमें बाराबंकी की हैदरगढ़ तहसील को जोड़ रहे हैं?

श्री गौरी शंकर–

अभी तो आयोग ने जिनकी संस्तुति की थी, उन्हीं पर चर्चा हो रही है, नये जिले के सम्बन्ध में बात ही नहीं होती।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

आपने बताया कि आगरा को विभाजित करके फिरोजाबाद को जिला बनाने की संस्तुति आ चुकी है। क्या आपने इस पर विचार करके फिरोजाबाद को जिला बनाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है?

श्री गौरी शंकर–

पुनः वही उत्तर है कि संस्तुति तो है। संस्तुति जिन मानकों के आधार पर की गयी है, वह ठीक है, लेकिन पैसा नहीं है। 24–25 करोड़ रुपया चाहिये।

श्री विजय सिंह राणा–

आगरा में फिरोजाबाद को नया जिला बनाने के सम्बन्ध में जो मानक हैं जैसे– जनसंख्या, क्षेत्रफल और औद्योगिक विकास, वे मौजूद हैं, खर्चे के सम्बन्ध में निवेदन है कि जितना खर्चा ये करना चाहते हैं, वह मौजूद है। चन्दा करके भी पैसा इक्ट्ठा किया जा सकता है। इन सब बातों को मानकर क्या फिरोजाबाद को जिला बनाने की कृपा करेंगे?

श्री गौरी शंकर–

सरकार चन्दे पर तो चल नहीं सकती है। चन्दा करने की कोई पद्धति नहीं रही है। अष्ठम वित्त आयोग ने भी कोई धन देने की संस्तुति नहीं की है। कोई संसाधन ही नहीं है।

श्री हनुमान प्रसाद कुरील–

क्या माननीय राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर देहात अलग जिला घोषित हो गया है? इसके मुख्यालय के लिये रूरा और माती दो स्थान प्रस्तावित हैं, तो इन दो स्थानों में

से कौन से स्थान पर मुख्यालय बनायेंगे? कब तक इसकी घोषणा करेंगे?

श्री गौरी शंकर–

निवेदन किया है कि कानपुर में चूंकि वित्तीय संसाधन के कारण ही हेड-क्वार्टर निश्चित नहीं कर सके हैं। इसी में दूसरे बिन्दु भी निहित हैं, लेकिन चूंकि वित्तीय संसाधनों की कमी है, रुपया पैसा है नहीं, इसलिए विचाराधीन चल रहा है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि वित्तीय संसाधनों की कमी से बड़े जिलों को विभक्त करने में परेशानी हो रही है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जनपद रामपुर में रामपुर देहात और नैनीताल जो जनसंख्या की दृष्टि से भी बहुत कम है, क्या ऐसा करने की कृपा करेंगे कि दोनों को एक कर दिया जाय और इससे जो धन प्राप्त हो उससे इन जिलों में नये जिला बना दिये जायं?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, माननीय सदस्य का सुझाव अत्यन्त अव्यवहारिक है। यदि इस पर विचार किया गया तो अनेकानेक समस्याएं उत्पन्न हो जायेंगी।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि बड़े जिलों के विभाजन के बारे में क्या कोई समिति गठित हुई थी? यदि हां, तो उसने अपनी क्या संस्तुति दी थी और उसमें कौन-कौन से जिलों को रखा गया था और उनका विभाजन अभी तक क्यों नहीं किया जा रहा है?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मैं निवेदन कर दूं कि इसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं परन्तु सम्मानित सदस्य की जिज्ञासा को शान्त करने के लिये मैं फिर से बतला रहा हूं कि जो समिति बनी थी उसने बांसी (बस्ती) जिसमें नये जिले के नाम के लिये बांसी के अन्तर्गत डुमरियागंज और नौगढ़ तहसीलों को प्रस्तावित किया था। इसी प्रकार से फिरोजाबाद (आगरा) के नये जिले के लिये फिरोजाबाद के अन्दर फतेहाबाद, बाह तहसीलों का नाम प्रस्तावित किया था। महाराजगंज (गोरखपुर) के नये जिले के लिए महाराजगंज व फरेन्दा तहसीलों के नाम प्रस्तावित किये थे। मिर्जापुर के लिये राबर्ट्सगंज व दुद्धी तहसीलों के नाम नये जिले के लिये प्रस्तावित किये थे। गाजियाबाद (मेरठ) जिले की भी संस्तुति की थी जिसका सृजन 24-11-76 को हो चुका है और शेष जिलों का विभाजन अभी सम्भव नहीं हो सका है।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बड़े जिलों के हेडक्वार्टर बनाये जाने के बारे में आप संसाधनों की कमी बतला रहे हैं। लेकिन राजकुमार संजय सिंह की राजधानी अमेठी जो है, उसे जिला क्यों बनाया जा रहा है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिला दीजिये?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न उठता ही नहीं है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

एक प्रश्न पर हर सदस्य को केवल एक बार ही पूछने का मौका दिया जायेगा क्योंकि प्रश्नों की समय-सीमा होती है। मा0 दिवाकर विक्रम जी आप बैठिये।

श्री राम सरन–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सहारनपुर जिले पर भी आप विचार करेंगे विभाजन करने के लिये ? सहारनपुर के लिये रुड़की और हरिद्वार में से किसी को जिला बनाने पर क्या आप विचार करेंगे ?

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों के समय में जो प्रश्नों के उत्तर होते हैं, उन पर हर सदस्य को केवल एक-एक बार प्रश्न करने का मौका दिया जायेगा ।

श्री गौरी शंकर–

माननीय सदस्य राम सरन जी ने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी कोई भी इस तरह की बात नहीं है कि सहारनपुर का भी मामला इसमें विचाराधीन हो क्योंकि वित्तीय संसाधनों की वैसे ही इनके लिए अभी कमी है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा प्रश्न अधूरा रह गया था।

अध्यक्ष–

अच्छा पूछ लीजिये ।

श्री विजय सिंह राणा–

मैं माननीय मंत्री जी से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि फिरोजाबाद को जिला बनाने पर वहां सारे साधन सुलभ हैं और उपलब्ध हैं । मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि फिरोजाबाद को जिला बनाने के लिये आप जैसा कह रहे हैं कि 24 या 25 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, यह बात वहां के लिए बिल्कुल भी नहीं है, वहां के लोग इसके लिये संसाधन देने को तैयार हैं । फिरोजाबाद को जिला बनाने के लिये आयोग ने जो खर्चा आपको बताया है, उसे हम आपको दिलवा देंगे ।

श्री गौरी शंकर–

मैंने निवेदन किया कि जिलों के गठन की बात ही नहीं है । माननीय सदस्य ने फिरोजाबाद का सन्दर्भ दिया, तो जब कभी इस विषय पर चिन्तन होगा तो इसको भी ध्यान में रखा जायेगा । नये जिले के सृजम के लिए लगभग 24-25 करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है । अगर भवन वगैरह उपललब्ध हो जायें तो कुछ कम हो जायेगा ।

उ0 प्र0 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन

**2–श्री अशोक बाजपेयी –

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विषयक अधिनियम पारित होकर कानून बना था? यदि हां, तो क्या उस अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार आयोग का गठन कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री (डाक्टर संजय सिंह)–

जी हां। उल्लिखित अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार आयोग का गठन नहीं किया गया।

इसका कारण यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पहले से ही विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षा देने वाली संस्थाओं को मूल्यवान वित्तीय सहायता दे रहा है। इसके अतिरिक्त यह अनुभव किया गया कि आयोग की स्थापना पर किया जाने वाला व्यय वित्तीय दृष्टिकोण से उचित न होगा।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, बड़े खेद की बात है, सरकार की लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है। वर्ष 1974 में दोनों सदनों से यह अधिनियम पारित किया गया था और उस पर राज्यपाल महोदय ने अपनी स्वीकृति भी दे दी थी और यह 1975 से पारित हुआ पड़ा है और 11 वर्ष हो गये हैं परन्तु सरकार ने इसको अभी तक लागू नहीं किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आयोग की स्थापना के समय माननीय सदन की क्या भावना थी और इसकी क्या आवश्यकता महसूस की गयी थी ? दूसरा प्रश्न यह है कि इस आयोग ने उच्च शिक्षा के उन्नयन के लिये कौन-कौन सी संस्तुतियां की थीं?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, इसके बारे में 1975 में निर्णय लिया गया था। उस समय बाजपेई जी स्वयं कैबिनेट के सदस्य थे और आपके ही प्रतिनिधित्व में इसको रिजेक्ट किया गया था। रिजेक्शन के क्या कारण थे? उनकी जानकारी माननीय सदस्य को होगी ही?

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने स्पष्ट प्रश्न किया कि इसके गठन की क्या आवश्यकता थी? प्रदेश के शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जायेगा, विश्वविद्यालयों की अनियमितताओं की जांच का काम है, नये विश्वविद्यालयों और विद्यालयों के सृजन का काम यह करेगा, परन्तु फिर भी इसका गठन नहीं किया गया तो मैं जानना चाहता हूं कि शासन ने इसका गठन क्यों नहीं किया?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, इसकी आवश्यकता नहीं हुई। आप भी उस समय थे और आपका ही निर्णय है और आपको इसकी सारी जानकारी है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, सरकार ने निश्चित रूप से यह फैसला कर लिया है कि उच्च शिक्षा में सुधार करने के लिए इस तरह के आयोग की आवश्यकता नहीं है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसको रिपील करने जा रही है?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, यह निर्णय कर लिया गया है और इसी सत्र में इसको रिपील करने की कार्यवाही हो जायेगी और सदन में इसको रख दिया जायेगा।

श्री अशोक बाजपेयी–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग में फर्क क्या है?

डाक्टर संजय सिंह–

इन दोनों में जो प्राविधान हैं, उसमें कोई खास अन्तर नहीं है । इसकी स्टडी हो गयी है, इसीलिए इसको रिपील किया जा रहा है।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को पता है कि उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग की कल्पना और अधिनियम द्वारा उसकी स्थापना का निर्णय आपके ही दल के लोगों ने लिया था। प्रदेश के जो संसाधन हैं, जो धन दिया जा रहा है, उसके अपव्यय को रोका जाये और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया जाये। इस प्रकार के अधिनियम को आप रिपील करने जा रहे हैं। तो मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अपनी मनमानी आर्थिक मामलों में और प्रशासनिक मामलों में बरकरार रखना

चाहती है, इसलिए इसको रिपील करने का प्रस्ताव लाने का विचार है?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, मनमानी का कोई सवाल नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, परिवहन मंत्री जी गैर जिम्मेदारी का उत्तर देते हैं और आप बैठे बैठे सुनते हैं। आपने जिस सवाल को स्वीकार कर लिया उसमें अब इनका कहना कि प्रश्न नहीं बनता, ठीक नहीं है। यह कैसे कह सकते हैं?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, अगर उक्त आयोग का गठन हो जाता है तो क्या यह सही है कि जो यूनिवर्सिटी है उनकी आटोनामी में विरोध होता और उनमें राजनीतिक भ्रष्टाचार करने का अवसर कम हो जाता? यदि हां, तो उन परिस्थितियों को देखते हुए इसको रिपील करने का निश्चय सरकार ने किया है, तो इसके क्या कारण है?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, यह सारी चीजें 75 में जब आयोग अधिनियम की अधिसूचना जारी हुई उसके बाद आज तक 78 में, 83 में, इस तरह की कमेटी में कैबिनेट में विचार विमर्श हुआ और उसमें यही उचित समझा गया कि इसको रिपील किया जाय।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

एटोनामी जो उनकी शक्ति होती है और आर्थिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता या नहीं लगता? इसका जवाब माननीय मंत्री जी नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह तो राय है।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या शासन ने इसलिए इस पर पुनर्विचार किया क्योंकि जो अधिनियम का प्रावीजन था, उसमें सरकार को मनमानी करने की अनुमति नहीं थी। उसमें विश्वविद्यालय की स्वायत्तता और महाविद्यालय की स्वायत्तता के ऊपर अंकुश सरकार नहीं लगा सकती थी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न कर लीजिए।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, सरकार की मनमानी को रोकने के लिए इसका गठन किया जा रहा था। मैं जानना चाहता हूं कि इस आयोग के गठन के बाद प्रदेश के ऊपर कितना वित्तीय व्यय भार बढ़ने जा रहा था और सरकार ने किस कठिनाई के कारण इसको मानने से इन्कार किया था?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, मैंने पहले ही आपके माध्यम से निवेदन किया कि यह जो अधिनियम बनना था, इसके पहले जो यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन बना है, उसका जो मामला है, उसका जो आर्थिक सहयोग है, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के, आलमोस्ट वही सारी प्रक्रिया है, इसलिए इसको रोका गया।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उन्नाव जनपद के नवाबगंज ब्लाक में बसहा झील के पानी निकासी की योजना

*1–श्री शारदा प्रताप–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत नवाबगंज ब्लाक

में बसहा झील का पानी निकालने हेतु 40 लाख रुपया पिछले दो वर्ष से स्वीकृत है किन्तु अभी तक उस ड्रेन का पानी निकालने की व्यवस्था नहीं की गई है तथा प्रत्येक वर्ष उपरोक्त झील के किनारे बसे गांव पानी में डूब जाते हैं और वहां के निवासी विपत्ति के शिकार हो जाते हैं, साथ ही लाखों की फसल नष्ट हो जाती है ? यदि हां, तो उक्त बसहा झील के जल निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था माननीय मंत्री जी से कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत नवाबगंज ब्लाक में बसहा झील का पानी निकालने हेतु 40 लाख रुपया पिछले दो वर्ष से स्वीकृत है किन्तु अभी तक उस ड्रेन का पानी निकालने की व्यवस्था नहीं की गई है तथा प्रत्येक वर्ष उपरोक्त झील के किनारे बसे गांव पानी में डूब जाते हैं और वहां के निवासी विपत्ति के शिकार हो जाते हैं, साथ ही लाखों की फसल नष्ट हो जाती है । मान्यवर, लखनऊ जिले से बिल्कुल सटी हुई झील है यह । तो सरकार की नोटिस में होना चाहिए कि जो 40 लाख रुपये स्वीकृत हुए उसका क्या हुआ ? इसके बारे में मंत्री जी अभी सूचना एकत्र नहीं कर पाये हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि यह सूचना कब तक मिल जायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

15 दिन के बाद यह प्रश्न फिर आयेगा।

श्री शारदा प्रताप–

जो 40 लाख रुपया 2 वर्षों से स्वीकृत है, उसके बारे में तो मंत्री जी बता दें ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रदेश में धान क्रय केन्द्रों के खोलने का प्रस्ताव

*2–श्री अवधेश प्रसाद तथा श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी–

क्या खाद्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के किसानों में धान क्रय केन्द्रों के अभाव में किसानों में व्यापक असंतोष पैदा है और किसानों को अपना धान बिचौलियों के माध्यम से बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में इस वर्ष कितने धान क्रय केन्द्र खोले गए हैं ? धान की उत्पादन लागत क्या है और धान का सरकारी मूल्य क्या निर्धारित किया गया है ?

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जी नहीं, प्रदेश के किसानों को उनकी लागत का समुचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार की खाद्य नीति के अन्तर्गत धान खरीद के लिए नामित एजेन्सियों द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इस वर्ष कुल 873 क्रय केन्द्र खोले गए हैं जबकि गत वर्ष क्रय केन्द्रों की संख्या केवल 615 थी। इस प्रकार इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में अधिक संख्या में क्रय केन्द्र खोले गए हैं । इन केन्द्रों पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण-निर्दिष्टियों एवं मूल्यों के आधार पर सीधे किसानों से धान की खरीद की जा रही है। एजेंसियों को यह निर्देश दिये गये हैं कि वे धान के बाजार भावों को बढ़ाकर समीक्षा करते रहें तथा जहां भी बाजार भाव निर्धारित समर्थन मूल्य से नीचे आयें वहां उनके द्वारा तत्काल खरीद की जाय। मुख्यालय पर 24-2-86 तक प्राप्त सूचना के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत सभी क्रय एजेंसियों द्वारा कुल 94,702 मी0 टन धान खरीदा जा चुका है जबकि गत वर्ष इसी दिनांक

तक केवल 43,119 मी0 टन ही धान की खरीद हुई थी।

धान की खरीद हेतु नामित सभी एजेंसियों द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इस वर्ष 873 क्रय केन्द्र खोले गये हैं।

इस वर्ष के लिये भारत सरकार ने निर्धारित गुण-निर्दिष्टियों के अनुरूप औसत किस्म के कामन धान का समर्थन मूल्य रु0 142.00 फाइन किस्म के लिये रु0 146.00 तथा सुपर फाइन किस्म के लिये रु0 150.00 प्रति कुन्तल घोषित किया है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मैं मंत्री जी के संज्ञान में एक शासनादेश लाते हुए प्रश्न करना चाहूंगा कि परिपत्र संख्या–10, पत्र संख्या–पी-788/29-खाद्य--5-5 (19)/85, लखनऊ, दिनांक 28 फरवरी, 1985, प्रेषक श्री लालचन्द्र ओझा, विशेष सचिव, खाद्य तथा रसद अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन के 26वें बिन्दु पर लिखा है–बिचौलिया किसको माना जाय–कच्चे एवं पक्के आढ़तियों (लाइसेन्सियों) को ही बिचौलिया माना जाय जिनको सभी कर्मचारी भलीभांति पहचानते हों, लेकिन विलेज व्यापारी को बिचौलिया न माना जाय क्योंकि गांव की वर्तमान व्यवस्था में वह किसान तथा क्रय केन्द्र के बीच एक कड़ी का काम करता है।

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस शासनादेश के रहते हुए मेरा आरोप है कि जितनी धान की खरीद हुई है उसके 50 प्रतिशत से अधिक किसानों से न लेकर बिचौलियों से लिया गया है। क्या आप इसकी जांच करने की कृपा करेंगे और शासनादेश के इस बिन्दु को निरस्त करके इसमें तत्काल संशोधन करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें संशोधन करने की मांग माननीय सदस्य कर रहे हैं। यह सही है कि सरकार की नीति यह है कि सीधे किसानों से क्रय किया जाय किन्तु कहीं-कहीं व्यावहारिक कठिनाइयां भी आती हैं। जो आदमी खेतिहर मजदूर हैं, कुम्हार हैं, गांव में रहते हैं, लदाई का काम करते हैं, वे अपना धान बाजार में बेचना चाहते हैं। अगर जोत बही के आधार पर हम उसकी खरीद पर प्रतिबन्ध लगा देंगे तो उससे वे परेशान हो जायेंगे। जो लोग बाजार में मंडियों में बैठते हैं उनसे खरीद नहीं होनी चाहिए। माननीय सदस्य अगर कोई ऐसा मामला बतायेंगे तो उसकी जांच की जायेगी और उस पर कार्यवाही भी करेंगे।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो जवाब दिया है मान्यवर, मैं वही कह रहा हूं कि यह उत्तर अपूर्ण और गलत है। मैंने जानना चाहा था कि धान उत्पादन में प्रति क्विंटल लागत क्या है? जिसका जबाब मंत्री जी ने नहीं दिया। एक दूसरा उत्तर दिया कि धान प्रति क्विंटल 142, 146 और 150 रु0 कीमत पर खरीदते हैं। मेरी निश्चित जानकारी है कि प्रदेश के किसी भी जनपद में किसी भी किसान को आज 150 रु0 के हिसाब से धान का मूल्य नहीं मिल रहा है। सारे किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। मेरी जानकारी को निश्चित मानकर कि किसी भी किसान

को 150 रु0 प्रति क्विंटल नहीं मिल रहा है इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो शिकायत की है कि 150 रु0, 146 रु0 और 142 रु0 किसान को नहीं मिल रहा है। जो मेरी जानकारी है उसमें आज धान इतना कम उपलब्ध हो रहा है कि जो मिल वाले हैं उनको भी कठिनाई आ रही है और यह शिकायत आ रही है कि धान हमें इस मूल्य पर नहीं मिल रहा है और इस मूल्य के ऊपर हम लेवी चावल देने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। अभी खुले बाजार में धान का मूल्य 150, 145 और 160 रु0 तक पहुंच गया है, आप 142 रु0 की बात कर रहे हैं। अगर कहीं भी 142 रु0 से कम पर धान उपलब्ध है तो मैं आपका अनुग्रहीत हूंगा आप बतायें, उसे खरीदने की व्यवस्था करायेंगे। (व्यवधान)

श्री राम सरन–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। उन्होंने जो जवाब में कहा है कि छोटे-छोटे मजदूर, कुम्हार आदि हैं जो मजदूरी करके धान इकट्ठा करते हैं और व्यापारियों के हाथ बेच देते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारे जिले में तमाम गूजरों से कितना गल्ला आपकी एजेंसियों ने खरीदा है, इसकी जानकारी देंगे?

श्री हुकुम सिंह–

हम तो किसानों से गल्ला खरीदते हैं, जाति के आधार पर नहीं खरीदते हैं।

श्री औसान सिंह–

सरकार बिचौलियों को नहीं रोक सकी है। किसान उनको धान बेचने के लिए बाध्य हो रहे हैं। इनके क्रय केन्द्र खरीद नहीं कर रहे हैं और बिचौलिये किसानों का शोषण कर रहे हैं। दो करोड़ रुपये का गल्ला हमारे जिला इटावा में किसानों ने बिचौलियों को बेचा है और वे किसानों का शोषण कर रहे हैं और जो इनके क्रय केन्द्रों ने खरीदा है उसका भी बकाया है। तो जो किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है उसको दिलाने की कार्यवाही करेंगे? (व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सरकार की नीति है कि जो धान बेचने के लिए बाजार में आते हैं, उनको समर्थन मूल्य मिले। प्राइवेट लोग जो खरीदते हैं उसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है लेकिन इसकी वजह से उत्पादकों का, किसानों का शोषण न हो, इसलिए सरकार ने समर्थन मूल्य देने का निश्चय किया है। माननीय औसान सिंह जी ने कहा कि ऐसे लोगों पर किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है तो प्राइवेट लोगों के ऊपर बकाये के लिए सरकार कहां तक जिम्मेदार है? हां अगर हमारे केन्द्रों पर धान बेचा गया है और उसका बकाया है तो वे जानकारी देंगे तो हम भुगतान करायेंगे।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि प्रदेश में जितने क्रय केन्द्र खुले हैं उनमें धान की खरीद नहीं हो रही है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कितने ऐसे क्रय केन्द्र हैं, जिनमें धान की खरीद नहीं हुई है?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, प्रदेश में 873 क्रय केन्द्र खोले गये हैं और सब पर धान की खरीद की गयी है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण मण्डल, वाराणसी द्वारा पतरौलों की नियुक्ति

*1–श्री दीपचन्द्र सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 4 मई, 1985 को सिंचाई निर्माण मण्डल, वाराणसी के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा 40 सींचपालों (पतरौल) की नियुक्तियां की गयी हैं? यदि हां, तो इनकी नियुक्ति में कौन सी प्रक्रिया अपनायी गयी है? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त चयनित अभ्यर्थियों में अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थी हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भोला शंकर मौर्य–

कथित 40 सींचपालों की नियुक्तियां नहीं की गई हैं।

प्रक्रिया अपनाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रतीक्षा सूची बनाये जाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों में चार व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं। अनुसूचित जनजाति का कोई अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ।

श्री दीप चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 4 मई, 1985 को सिंचाई निर्माण मण्डल, वाराणसी के अधीक्षण अभियंता द्वारा 40 सींचपालों (पतरौल) की नियुक्तियां की गई हैं। उत्तर दिया है कि कथित 40 सींचपालों की नियुक्तियां नहीं की गयी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने सींचपालों की नियुक्तियां की गयी हैं? उसमें कितने अनुसूचित जाति के लोगों के प्रार्थना पत्र आये हैं?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, केवल 7 सींचपालों की वैकेन्सी थीं उसमें ट्रेनिंग कराई है, नियुक्ति अभी किसी की नहीं हुई है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा कि कितने सींचपालों को नियुक्त किया। उत्तर में बताया कि 7, तो उसमें कितने अनुसूचित जाति के थे, यदि नहीं थे तो उनके कितने प्रार्थना पत्र आये और उनको किस आधार पर नहीं लिया गया है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, 7 में एक अनुसूचित जाति का था उसको ट्रेनिंग करा दी गई है।

तारांकित प्रश्न

लखनऊ शहर के थोक चीनी के लाइसेंस पर प्रतिबंध

*1–श्री सरदार सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में शासन द्वारा थोक चीनी के लाइसेन्स पर माह अगस्त, 85 से प्रतिबंध लगाये जाने के बाद भी सितम्बर, 85 में पांच सहकारी समितियों के लाइसेंस एकाएक किस आधार पर बनाये गये तथा माह अक्टूबर, 85 के द्वितीय सप्ताह में एकाएक उक्त लाइसेंस निरस्त करने का क्या कारण था? क्या उपरोक्त समितियों के प्रार्थना पत्रों पर जिला सहायक निबंधक

सहकारी समितियां लखनऊ की संस्तुति थी जिन-जिन समितियों को चीनी के लाइसेंस निर्गत किये गये उनके नाम क्या-क्या हैं तथा उन सोसाइटियों के गोदामों का आकार (साइज) क्या है? उपरोक्त समितियों को चीनी के लाइसेंस जारी करने से पहले जिला पूर्ति अधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में सितम्बर, 85 तक कितने चीनी लाइसेंस के प्रार्थना पत्र विचाराधीन थे तथा उन पर लाइसेंस जारी न किये जाने का क्या कारण है? क्या मंत्री जी इस सम्पूर्ण मामले की जांच करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

शासन के आदेश दिनांक 19-8-85 द्वारा चीनी के नये थोक लाइसेंस निर्गत करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। शासन का उक्त आदेश दिनांक 19-8-1985 अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति) लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 3-10-1985 को प्राप्त हो सका था। शासनादेश की जानकारी न होने के कारण अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति) लखनऊ द्वारा दिनांक 30-9-1985 तक छः नये चीनी थोक विक्रेताओं के पक्ष में लाइसेंस जारी कर दिये गये थे। शासनादेशों की जानकारी होने पर दिनांक 14-10-1985 को उक्त लाइसेंस निरस्त कर दिये गये हैं। सहकारी समितियों के प्रार्थना-पत्रों पर जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां लखनऊ की संस्तुति नहीं थी तथा नियमानुसार उक्त संस्तुति आवश्यक भी नहीं है । समितियों के नाम तथा उनके गोदामों के आकार के बारे में विवरण संलग्न है ।

उक्त समितियों के अलावा एक अन्य समिति का प्रार्थना पत्र विचाराधीन था जो दिनांक 28-9-1985 को प्राप्त हुआ था और उस पर जांच कराये जाने की कार्यवाही चल रही थी। इसी बीच शासनादेश दिनांक 19-8-1985 प्राप्त हो गया। जांच करायी जा रही है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 118 पर)

श्री सरदार सिंह–

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शासन आदेश लखनऊ राजधानी में, ए0डी0एम0 (सप्लाई) के पास इतने विलम्ब से पहुंचने के क्या कारण थे?

श्री हुकुम सिंह–

सम्मानित सदस्य की चिंता सही है, मेरी भी चिंता है। वह मेरे उत्तर की अंतिम पंक्ति देखें, उसमें लिखा है कि जांच कराई जा रही है। मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूं कि इतने विलम्ब से आदेश क्यों पहुंचे? इस विषय में जांच कराकर संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करायी जाएगी ?

सीतापुर जनपद की बाढ़ नियंत्रण योजना

*2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (अनुपस्थित)–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर नगर को बाढ़ से बचाने के लिए तथा नगर में जल भराव की समस्या के निराकरण हेतु कोई योजना स्वीकृत है? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है तथा उस योजना पर कार्यारम्भ कब से किया जाना था? समय पर कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं हो सका ? कब से कार्य प्रारम्भ किया जायगा?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

योजना है परन्तु इसका अनुमोदन अभी गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद् व योजना आयोग, भारत सरकार से प्राप्त होना है। तदोपरान्त ही योजना पर स्वीकृति दिया जाना संभव हो सकेगा। योजना में सीतापुर–शाहजहांपुर रेलवे लाईन के पुल सं0-65 से दिल्ली-लखनऊ राजमार्ग पर स्थित सरायन पुल तक दोनों तरफ मिट्टी के बांध बनाने का प्राविधान है तथा आलमनगर दुर्गापुरवा वाली पैदल पुलिया को चौड़ा व ऊंचा करने एवं मोहल्ला बटगंज

से पुराने सीतापुर को जोड़ने वाले पुल को चौड़ा व ऊंचा करने का मुख्य रूप से प्राविधान है। योजना की स्वीकृति के अभाव में कार्यारम्भ नहीं किया जा सका ।

गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद् तथा योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् व धनावंटन होने पर कार्य प्रारम्भ किया जाना संभव हो सकेगा। उपर्युक्त वर्णित परिस्थिति में निश्चित तिथि देना संभव नहीं है।

जनपद बाराबंकी की तहसील नवाबगंज व विकास खंड निन्दूरा तथा फतेहपुर में बाढ़ का प्रकोप

*3–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद बाराबंकी की तह0 नवाबगंज व विकास खंड निन्दूरा व फतेहपुर में सितम्बर, 85 की बाढ़ जैसा प्रकोप इसके पूर्व कभी नहीं हुआ था? क्या यह सही है कि इस बाढ़ और जल भराव का मुख्य कारण शारदा सहायक फीडर चैनल है, जिसके निर्माण के बाद से इस नहर के पश्चिम के पानी को जो कि पूरब की ओर बहता है, निकास का समुचित प्रबंध नहीं है? यदि नहीं, तो शासन की दृष्टि से इस अभूतपूर्व बाढ़ का क्या कारण है ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

जी हां।

जी नहीं ।

यह एक दैवी प्रकोप है ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सितम्बर, 85 की बाढ़ में जनपद बाराबंकी में शारदा सहायक नहर की पोषक नहरों के कारण हजारों गांव प्रभावित हुए हैं और इसलिए मैंने यह प्रश्न किया था और उससे 50 मील लम्बे क्षेत्र में एक दीवार बन गई है, किन्तु इसका बहुत ही हल्के ढंग से उत्तर दे दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि बाराबंकी जनपद में यह बाढ़ शारदा सहायक नहर से सिर्फ पश्चिमी क्षेत्र में भयानक रूप में आई है और पूर्वी क्षेत्र में नहीं है और 50 किलोमीटर लम्बी दीवार बन गई है, लेकिन केवल 3 साईफन हैं पानी निकास के लिए?

श्री भोला शंकर मौर्य–

शारदा सहायक पोषक नहर इसका एक कारण नहीं है। हमने इसके लिए पांच साईफन बनवा रखे हैं, जिससे प्रचुर मात्रा में बाढ़ का पानी निकल जाए ।

श्री मैनेजर सिंह–

क्या इस बात को देखते हुए कि नहर के निर्माण की वजह से पानी का बहाव पश्चिम से पूर्व को रुक गया है, इसलिए जो 50 किलोमीटर का क्षेत्र है, उसमें उस कैचमेंट एरिया के लिए वह क्या पुनः सर्वे करायेंगे कि कितने पानी का जमाव होता है और उसके निकास के लिए कितनी पुलिया की आवश्यकता है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

सर्वे कराने के पश्चात् ही यह पांच साईफन बनवाये गये हैं। यह फीडर चैनेल तो था नहीं बाढ़ के प्रकोप के लिए। फिर भी इसे दिखवा लेंगे ।

श्री राम सागर–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपनी निश्चित जानकारी देते हुए कि पांच साईफन की जो बात मंत्री जी बता रहे हैं, उससे पानी बराबर निकल रहा है, किन्तु जो सदस्य कह रहे हैं जलभराव हो गया है, तो क्या मंत्री जी इस बात की जांच कराकर कि लापरवाही से यह खुला रहा जिससे बाढ़ आई, आप वहां के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, हमारे जो 5 साइफन थे, वह बराबर चालू रहे । अब इसकी जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी सत्य बात नहीं कर रहे हैं। यह जो पांच साइफन बनाये गये हैं, वह कब बनाये गये और कहां-कहां बनाये गये हैं ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, किलोमीटर 101 से 144 तक पांच साइफन बनाये गये हैं। कुंआ डाडा साइफन कि0मी0 103.270 पर, सींवा रींवा साइफन कि0मी0 106.300 पर, पूर्वी कल्यानी साइफन कि0मी0 112.400 पर, पश्चिमी कल्यानी साइफन 118.400 पर तथा रेठ साइफन कि0मी0 135 पर निर्मित किया गया है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि साइफन खुले रहे। यही हमने भी आरोप लगाया है कि साइफन खुले रहे और इतनी अप्रत्याशित वर्षा हुयी जिससे साइफन से नहर का पानी और वर्षा का पानी बाराबंकी जिले में घुस गया और बाराबंकी जिले में अभूतपूर्व बाढ़ आयी। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह की बाढ़ दोबारा न आये इसके लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, साइफन तो बने हैं लेकिन आप कहते हैं तो हम दोबारा दिखवा लेंगे।

श्री नत्था राम रावत–

मान्यवर, मेरी जानकारी को सही मानकर कि जिस वक्त इस नहर की डिजाइन बनायी गयी थी तो कि0 मी0 105 से लेकर 141 तक डिजाइनर ने 8 साइफन बनाने का प्रस्ताव किया था लेकिन सिर्फ 3 साइफन बने हैं । तो एक कारण यह भी है जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो पाती है और जल भराव हो जाता है।

श्री अध्यक्ष–

आपने प्रश्न नहीं किया आपने तो जानकारी दी है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मैं आखिरी प्रश्न कर रहा हूं। माननीय नत्था राम रावत ने प्रश्न किया था कि जब शारदा सहायक का निर्माण हुआ था तो 8 साइफन यहां पर प्रस्तावित थे। मैं पूछना चाहता हूं कि इस अभूतपूर्व बाढ़ की गहनता को देखते हुये इस क्षेत्र में सर्वे करायेंगे और जो आवश्यक साइफन बनाने हैं उनको बनाने का आश्वासन देंगे?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैं पहले कह चुका हूं कि इसको दिखवा लूंगा ।

प्रदेश के सिंचाई कर्मचारियों की मांग

*4–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सिंचाई कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में सिंचाई मजदूर संघ की ओर से दिनांक 15-3-85 को विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन कर सरकार को एक ज्ञापन दिया गया है? यदि हां, तो सिंचाई कर्मचारियों की मुख्य मांग क्या है और सरकार इन मांगों की पूर्ति के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है? क्या मंत्री जी उस ज्ञापन को सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे?

श्री भोला शंकर मौर्य–

सिंचाई मजदूर संघ उ0 प्र0 से एक

मांग-पत्र दिनांक 15-3-85 प्राप्त हुआ था। उक्त ज्ञापन की प्रति तथा उसमें उल्लिखित मुख्य मांगों के सम्बन्ध में की गई एवं की जा रही कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 119-122 पर)

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मंत्री जी ने संलग्नक में दिया है। मान्यवर, सिंचाई मजदूर संघ का जो मांग-पत्र था उसमें 11 मांगें थीं। इनमें से 8 पर कार्यवाही की जा रही है लेकिन नं0 4, 5 और 7 पर माननीय मंत्री जी ने कोई चर्चा नहीं की। क्या माननीय मंत्री जी इन मांगों पर, मांग नं0 4, 5 और 7 पर भी इसी तरह से विचार करके निर्णय लेने की कृपा करेंगे?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, त्रिपक्षीय वार्ता के लिये एक शासन की समिति बनायी जाय। इस मांग को दिखवा रहे हैं, दूसरी मांगों को भी दिखवा रहे हैं। मैंने बहुत विस्तृत टिप्पणी दे दी है।

*5–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।]

दोहरीघाट कैनाल, जिला आजमगढ़ की उप शाखा सिकड़ीकोल के निर्माण कार्य की बन्दी

*6–श्री विष्णुदेव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट कैनाल, जिला आजमगढ़ की उप शाखा सिकड़ीकोल माइनर का निर्माण कार्य बन्द होने से किसानों में असन्तोष व्याप्त है? यदि हां, तो निर्माण कार्य किन कारणों से बन्द है और उस पर कितनी धनराशि अब तक खर्च की गयी और कितनी धन-राशि खर्च करने की योजना है तथा कब तक निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा?

श्री भोला शंकर मौर्य–

जी नहीं। प्रश्नगत माइनर का निर्माण कार्य धन उपलब्ध न होने के कारण बन्द है। इस निर्माण कार्य पर माह 12/85 तक 11.19 लाख रुपये का व्यय हो चुका है। उक्त माइनर के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए 32.50 लाख रुपये की अतिरिक्त धन-राशि की आवश्यकता पड़ेगी। धन के उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य वर्ष 1987-88 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

श्री विष्णु देव–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में यह जानना चाहता हूं कि दोहरीघाट कैनाल, जिला आजमगढ़ की उप शाखा सिकड़ीकोल माइनर का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था और अब तक वह नहर कितनी बन चुकी है और कितनी बनना अभी बाकी है? मान्यवर, जिस क्षेत्र की नहर का निर्माण बाकी है, वहां पर सिंचाई के साधन नहीं हैं। इसलिए मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि शेष नहर का निर्माण कब तक पूरा कराने का कष्ट करेंगे?

श्री भोला शंकर मौर्य–

जहां तक मुझे जानकारी है कि अभी तक 8 किमी0 नहर बन चुकी है और लगभग 8.8 कि0मी0 निर्माण शेष है। इसको भी हम शीघ्र ही पूरा करायेंगे।

श्री विष्णु देव–

मान्यवर, निर्माण कार्य कब शुरू हुआ, कृपया इसका भी उत्तर दिलवा दीजिए।

श्री भोला शंकर मौर्य–

इसके लिए सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इस नहर के अब तक के निर्माण पर 11.19 लाख रु0 खर्च हो चुका है और अवशेष निर्माण कार्य कब तक पूरा कर देंगे ? मान्यवर, कार्य मा0 मंत्री जी को करवाना है और सूचना यह किससे लेंगे? सिर्फ यह सूचना देने में इन्हें क्या परेशानी है कि शेष कार्य कब तक पूरा करा देंगे? इसकी सूचना मान्यवर दिलवा दीजिए?

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री कह तो रहे हैं कि शेष कार्य जल्दी करवा देंगे।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, यह तो मैंने पहले ही अपने उत्तर में कह दिया है।

प्रदेश में नहरों का रख रखाव

*7–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दस वर्षों से प्रदेश में नहरों के रख-रखाव के लिए वितरित धनराशि में कोई भी उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है और इस काल में मजदूरों के रेट लगभग तीन गुने हो गए हैं जिसके फलस्वरूप नहरों का रख-रखाव संतोषजनक नहीं रह गया है और उनकी वास्तविक सिंचाई उनकी सिंचन क्षमता के विपरीत गिरती चली जा रही है? यदि हां, तो क्यों? क्या मंत्री जी तुरन्त मजदूरी के बढ़े हुए रेट के अनुपात में रख-रखाव हेतु धन आवंटित करने की व्यवस्था करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भोलाशंकर मौर्य–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो सूचना मैंने मांगी है, वह सूचना तो केवल मुख्यालय पर ही उपलब्ध रहती है, वहां पर जो सचिव व अन्य स्टाफ है, उनके पास उपलब्ध रहती है। तो मान्यवर, क्या कारण है इस सूचना के आने में जबकि इसका मुख्यालय लखनऊ में ही है और मैंने यह प्रश्न 7-11-85 को दिया है। मान्यवर, इसके देरी का क्या कारण है? इसकी जानकारी दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

यह 15 दिन के बाद तो आ ही जायेगा।

मध्य गंगा नहर परियोजना के अन्तर्गत रावी बैराज के क्रियान्वयन की घोषणा

*8–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने मध्य गंगा नहर परियोजना के अन्तर्गत अगस्त, 1985 तक रावी बैराज चालू करने की घोषणा की थी? यदि हां, तो उसको अब तक चालू क्यों नहीं किया गया और इस विलम्ब के लिए उत्तरदायी कौन है? क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में मध्य गंगा नहर परियोजना में 37.7 कि0 मी0 पर कार्यरत ठेकेदार को हस्तिनापुर से सीमेन्ट आपूर्ति करने का अनुबन्ध किया गया है जबकि आसिफाबाद गोदाम की दूरी हस्तिनापुर से कम है? यदि हां, तो ऐसा करने का कारण क्या है? ढुलाई से हुई हजारों रुपये की विभागीय क्षति के लिए

उत्तरदायी कौन है? क्या सरकार दोषी अधिकारी को दण्डित करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मध्य गंगा बैराज हेड रेगुलेटर और मुख्य नहर के परीक्षण हेतु अगस्त, 1985 में मुख्य नहर में पानी छोड़े जाने का कार्यक्रम था । तद्नुसार नहर को प्रथम बार 17-8-85 से 24-8-85 तक तथा द्वितीय बार 1-9-85 से 15-9-85 तक चलाया गया। यह खरीफ नहर है जो कि खरीफ में ही धान की सिंचाई हेतु चलायी जायेगी।

मध्य गंगा नहर पर कि0 मी0 37.7 पर साइफन निर्माण कराये जाने हेतु अनुबन्ध किया गया था। अनुबन्ध के प्राविधानों के अनुसार ठेकेदार को सीमेन्ट कार्य स्थल पर ही देना था जिसके लिए कार्य स्थल पर छोटा विभागीय स्टोर स्थापित किया गया था जिसमें केन्द्रीय स्टोर से समय-समय पर आवश्यकतानुसार सीमेन्ट ढुलवाया जाता था। हस्तिनापुर केन्द्रीय भण्डार की दूरी कार्य स्थल से 12.7 कि0 मी0 है तथा आसिफाबाद केन्द्रीय भण्डार से कार्य स्थल स्टोर को दूरी 14.30 कि0 मी0 है।

अधिकांशतः सीमेन्ट हस्तिनापुर स्टोर से ही मंगाई गयी। हस्तिनापुर स्टोर में जब सीमेन्ट उपलब्ध न हो सकी तो आसिफाबाद स्टोर से केवल 1890 बोरे सीमेन्ट कार्य हित में उपलब्ध कराया गया। आसिफाबाद से सीमेन्ट की ढुलाई में केवल 17 पैसे प्रति बोरे अधिक देना पड़ा। केवल रु0 321.30 मात्र का अतिरिक्त व्यय हुआ जो कार्य की आवश्यकतानुसार कार्य के हित में किया गया। कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अतएव दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मध्य गंगा नहर परियोजना, सिंचाई विभाग का स्थायी चरागाह है, जो अरबों की लागत से बनाई जा रही है। मान्यवर, मैंने पूछा यह था कि क्या मध्य गंगा नहर परियोजना के अन्तर्गत अगस्त, 1985 तक रावी बैराज चालू करने के लिए सिंचाई मंत्री ने घोषणा की थी ? यदि हां, तो उसको अब तक चालू क्यों नहीं किया गया और इस विलम्ब के लिए उत्तरदायी कौन है ? लेकिन माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर न देकर यह बताया है कि मुख्य नहर में पानी छोड़े जाने का कार्यक्रम था और उसे पहली बार अगस्त, 1985 में चलाया गया और मेरे मूल प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं दिया । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या रावी बैराज चालू कर दिया गया है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? मान्यवर, मेरा आरोप है कि जब पहली बार दिनांक 17-8-85 को मध्य गंगा नहर में पानी छोड़ा गया, तो नहर के बनाने में सीमेंट आदि की कमी के कारण तीन किलो मीटर नहर बह गयी । क्या इसकी जांच करायेंगे? मान्यवर, मेरा तीसरा सवाल यह है कि जो 37.7 किलो मीटर पर साइफन का निर्माण कराया जा रहा था, उसमें से आसिफाबाद स्टोर से 1890 बोरी सीमेंट की आपूर्ति की गयी थी और हस्तिनापुर से 5000 बोरी से अधिक सीमेंट भेजी गयी, किन्तु मेरा यह आरोप है कि सम्बन्धित ठेकेदार ने और एक अधिशासी अभियन्ता ने मिल करके एक चौथाई सीमेंट ब्लैक में बेंच दिया। मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी को सही मान कर क्या इसकी जांच माननीय मंत्री जी करायेंगे और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, जहां तक नहर को चलाने का सवाल था, इसको हमने दो बार परीक्षण के लिए चला लिया है . . .

श्री सूर्य प्रताप शाही–

आपने तो यह उत्तर दे ही दिया है। मैं यह स्पेसफिक रूप से पूछना चाहता हूं कि क्या रावी बैराज चालू किया गया है या नहीं?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मैं पूरी मध्य गंगा नहर परियोजना के बारे में बता रहा हूं।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैंने तो प्रश्न दूसरा ही पूछा था। मैंने पूछा था कि क्या रावी बैराज चालू किया गया है या नहीं?

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि खरीफ की फसल की सिंचाई के अलावा और कोई इसका उपयोग है या नहीं?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, इसकी क्षमता बढ़ जायेगी, तब उस पर विचार किया जायेगा । अभी तो हम इसको खरीफ के लिए ही बना रहे हैं।

*9–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

[दिनांक 10-2-86 को अता0 प्र0 सं0 3 द्वारा उत्तरित]

कार्बोंट कैल्शियम उद्योग भगवन्त नगर, देहरादून में स्थानीय लोगों को सेवायोजित किये जाने की मांग

*10–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्बोंट कैल्शियम उद्योग भगवन्त नगर, देहरादून में सेवायोजन हेतु स्थानीय लोग संघर्षरत हैं? यदि हां, तो क्या 13-7-85 को जिलाधिकारी देहरादून को इस संघर्ष के संबंध में एक ज्ञापन भी दिया गया? यदि हां, तो उसमें अंकित मांगें व शिकायतें क्या हैं? क्या यह भी सत्य है कि संघर्ष से चिढ़कर उद्योग के अधिकारियों ने संघर्ष के नेता श्री राम लाल भारद्वाज के विरुद्ध 14-7-85 को या उसके आस-पास पुलिस में झूठा मुकदमा दर्ज करवाया जिससे श्री भारद्वाज को 10 दिनों तक पुलिस हिरासत व जेल में रहना पड़ा? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत उद्योग में स्थानीय लोगों को सेवायोजित करके सरकार संघर्ष को समाप्त करने पर विचार करेगी?

श्री गौरी शंकर–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी इतने काबिल हैं कि वह सूचना ही एकत्र करा रहे हैं। मान्यवर, कृपया आप इन्हें यह निर्देशित करें कि वह सूचना ही एकत्रित न करायें, बल्कि उत्तर दे दिया करें।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, यह ज्ञापन जिलाधिकारी के स्तर पर दिया गया है। ज्ञापन में नाम आया है रतन लाल और प्रश्न में नाम राम लाल भारद्वाज आ गया जिससे कन-फ्यूजन पैदा हो गया है। मान्यवर, यह प्रश्न गृह और उद्योग विभाग से संबंधित है, इसलिए दोनों विभागों से पूर्ण सूचना आने पर ही उत्तर दिया जा सकेगा।

प्रदेश के हथकरघा उद्योग के कर्मचारियों के वेतन का पुनरीक्षण

*11–श्री राजकिशोर सिंह–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत

उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग (सिल्क की साड़ियों की बुनाई) एवं जरी के कार्य के नियोजन में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की मजदूरी को न्यूनतम दरों को नियत करने व उन्हें पुनरीक्षित करने के संबंध में जांच करने और सरकार को संस्तुति करने के लिए अधिसूचना संख्या 3018/38-3-100/ (एम0डब्ल्यू0)-78 दिनांक 6 नवम्बर, 1984 द्वारा नियुक्त समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को अधिसूचना की प्रतियां आज तक न भेजे जाने का कारण क्या है जबकि उक्त सूचना के गजट में प्रकाशित होने के तीन माह के अन्दर ही समिति को अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था ? इस संबंध में यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त समिति ने क्या अपना कार्य शुरू कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो उक्त नियोजन में कब तक मजदूरी को पुनरीक्षित दरें शासन द्वारा लागू कर दी जायगी ?

श्री गौरी शंकर–

इस प्रयोजन हेतु समिति का गठन प्रथमतः अधिसूचना संख्या–1246/36-3-100/(एम0डब्ल्यू0)/78, दिनांक 11 जुलाई, 1983 द्वारा किया गया था और उसकी प्रतियां समिति के अध्यक्ष, सभी सदस्यों एवं सचिव को पृष्ठांकित की गई थीं। समिति के एक सदस्य श्री महता अब्दुल रहमान जो सेवायोजिकों के प्रतिनिधि थे, की मृत्यु हो जाने के कारण अधिसूचना दिनांक 6 नवम्बर, 1984 द्वारा उक्त समिति का पुनर्गठन किया गया । समिति के पुनर्गठन संबंधी सूचना गजट में प्रकाशित हुई थी । उसकी प्रति दिनांक 9 जनवरी, 1985 को समिति के कर्मचारी सदस्य श्री कमलापति त्रिपाठी ने स्वयं प्राप्त की थी और श्रमायुक्त द्वारा 14 मई, 1985 को समिति के सभी सदस्यों को पृथक रूप से भी पृष्ठांकित की गई । इस अधिसूचना में समिति को अपनी रिपोर्ट 3 माह के अन्दर प्रस्तुत करने के लिए जो समय दिया गया था वह विस्तारित किया जाता रहा है ।

समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और उस पर विचार के बाद शीघ्र ही उक्त नियोजन की मजदूरी दरें पुनरीक्षित की जायेंगी ।

श्री राजकिशोर सिंह–

मान्यवर, हथकरघा उद्योग में साड़ी की बुनाई और जरी में लगे हुए विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की मजदूरी तय करने और पुनरीक्षित करने के लिए 1983 में एक कमेटी बनी थी, यह फिर पुनर्गठित हुई । इतने लम्बे काल के बाद माननीय मंत्री जी बता नहीं रहे हैं, यह कहते हैं कि समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, मैं जानना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट कब प्रस्तुत की है और इस रिपोर्ट पर शासन की क्या संस्तुति है ?

श्री गौरीशंकर–

मान्यवर, मूल उत्तर में लिख दिया गया है कि अभी यह रिपोर्ट शासन को नहीं भेजी गई है । यह श्रमायुक्त के यहां भेजी गई है । श्रमायुक्त को यह 2-2-86 को प्राप्त हुई है । श्रमायुक्त से कहा गया है कि वह अपनी संस्तुति भेजें। उसके बाद यह मामला शासन के विचार के लिए आयेगा ।

श्री राजकिशोर सिंह–

मान्यवर, यह कह रहे हैं, समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, लेकिन किस जगह प्रस्तुत की है, किस आदमी को प्रस्तुत की है, यह भी तो बतायें ?

श्री गौरीशंकर–

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा कि श्रमायुक्त के यहां प्रेषित कर दी है ।

उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा क्रय किए गए पाम आयल पर हानि

*12–श्री यदुनाथ सिंह (अनुपस्थित)–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य आवश्यक वस्तु निगम में वर्ष 84-85 तथा 85-86 के प्रथम दो माह में निगम द्वारा पाम आयल कितनी मात्रा में खरीदा गया और कितनी मात्रा में बेचा गया तथा इसमें कितनी मार्ग हानि हुई तथा किस माध्यम से ढुलाया गया था ? मार्ग हानि के क्या कारण हैं तथा इसके लिए दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

(क) उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा वर्ष 1984-85 एवं 1985-86 के प्रथम दो माहों में क्रमश: 763–57 एवं 2094–6 मी0 टन पाम आयल खरीदा गया तथा 939–39 एवं 2573–26 मी0 टन पाम आयल बेचा गया ।

(ख) वर्ष 1985–86 में 0.71 प्रतिशत तथा 1985–86 में 0.40 प्रतिशत मार्ग हानि हुई । इसकी ढुलाई सड़क मार्ग से ट्रकों द्वारा कराई गई ।

(ग) मार्ग हानि, खराब सड़कों पर टिनों के खुल जाने एवं टूट जाने से हुई। मार्ग हानि के लिए किसी कर्मचारी को दोषी नहीं बनाया जा सकता । किन्तु चार संदिग्ध मामलों में से दो मामलों में मार्गगत हानि की धनराशि संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों से की जा रही है जब कि दो अन्य मामलों में जांच चल रही है।

जनपद बस्ती के मौजा पिपरा पाण्डेय तह0 नौगढ़ में पान गंगा नहर पर सम्पर्क मार्ग हेतु पुलिया का निर्माण

*13–श्री धनराज यादव (अनुपस्थित)–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मौजा पिपरा पाण्डेय परगना नौगढ़ जनपद बस्ती में पान गंगा नहर पर सम्पर्क मार्ग हेतु जनहित में पुलिया का निर्माण अक्टूबर, 84 से ही शासन के विचाराधीन है? क्या यह भी सही है कि इसी आशय का ग्राम प्रधान व क्षेत्रीय विधायक का पत्र भी शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत पुलिया का निर्माण कब तक हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । इस आशय का एक पत्र तत्कालीन विधायक श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय, एवं ग्राम प्रधान व अन्य कृषकों के प्रार्थना-पत्र सहित प्राप्त हुआ था । प्रश्नगत स्थान पर पुलिया का निर्माण कराना आवश्यक नहीं पाया गया क्योंकि इससे दो फर्लांग ऊपर व तीन फर्लांग नीचे की दूरी पर एक-एक पुल पहिले से निर्मित है ।

उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के कर्मचारियों की सेवा नियमावली

*14–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के कर्मचारियों की सेवा नियमावली बन चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के कर्मचारियों की सेवा नियमावली बना ली गई है, जिसे अन्तिम रूप देने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सेवा नियमावली को अन्तिम रूप कब दे दिया जाएगा और मेरी सूचना को सत्य मानकर कि 5,6,7 मार्च को जिला प्रबन्धक के पद पर नई नियुक्तियों के लिए साक्षात्कार होने जा रहा है, लेकिन 690-1420 वेतनमान के पदों पर भर्तियां कर ली गई हैं, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब तक सेवा नियमावली को अन्तिम रूप नहीं दे, दिया जाता है, तब तक किसी प्रकार की नई नियुक्तियां नहीं की जायेंगी?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सेल्समैन और हेल्पर का मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है और इन दोनों को छोड़कर बाकी की नियमावली बनाई जा रही है, इस कारण भी इसमें विलम्ब हुआ है। जो नियुक्तियां की जा रही हैं, वह इस निगम को सुचारु रूप से चलाने के लिए की जा रही हैं। अगर नियुक्तियां नहीं होंगी, तो जो शिकायतें आती हैं वह और आयेंगी। इसमें विलम्ब अवश्य हुआ है, लेकिन इसको जल्दी ही अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, 5,6,7 मार्च को जो साक्षात्कार होने जा रहा है, यह जिला प्रबन्धक पद का है। मान्यवर, जो भर्तियां 690-1420 के वेतनमान पर कर ली गई हैं, मैं उस पर रोक की मांग कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं क्या इन पदों की नियुक्तियों को रोक दिया जायेगा, जब तक सेवा नियमावली को अन्तिम रूप नहीं दिया जाता है।

श्री हुकुम सिंह–

नियुक्तियों पर रोक लगा दी जायेगी तो इसका कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। उच्च न्यायालय में दो वर्गों का मामला विचाराधीन है। शेष के लिए शीघ्र कार्यवाही की जा रही है, जल्दी ही नियमावली बन जायेगी।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, आवश्यक वस्तु निगम में जो नियुक्तियां की गई थीं, वह पैसा लेकर की गई थी और अब उनको हटाकर नई नियुक्तियां करने जा रहे हैं। इस मामले की जांच कराकर जो लोग रखे गए हैं, उनको बिना हटाए उनके विनियमितीकरण करने का आदेश देंगे?

श्री हुकुम सिंह–

जो आरोप माननीय सदस्य ने लगाए हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। कोई प्रमाण देंगे या शिकायत सुनिश्चित करेंगे तो जांच करा दूंगा।

श्री आसान सिंह–

मैं जानना चाहता हूं कि 5,6,7-3-86 को जो नियुक्तियां होने जा रही हैं, उसमें प्रत्याशी वित्त सचिव, खाद्य सचिव, खाद्य आयुक्त एवं नियुक्ति सचिव के संबंधी हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री बदन सिंह–

क्या राजकीय खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम को समाप्त करके इसको खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में शामिल कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न दूसरा हो गया।

जनपद ललितपुर में नदियों द्वारा सिंचाई लिफ्ट योजना का प्रस्ताव

*15–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि ललितपुर जनपद में नदियों द्वारा सिंचाई लिफ्ट योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो उन्हें सही कार्य रूप

कब तक दिए जाने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

जी हां ।

नदियों में पम्प नहरों हेतु जल की उपलब्धता की जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं । जल की उपलब्धता निश्चित होने पर विस्तृत सर्वेक्षण कर आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ललितपुर जनपद में 24 लिफ्ट सिंचाई परियोजनायें पूर्व में स्वीकृति थीं। वह योजनायें कौन-कौन हैं, किन-किन नदियों पर हैं, उनकी अनुमानित लागत क्या है, तथा कितना एकड़ सिंचाई प्रस्तावित है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

ललितपुर जनपद में जिन नदियों द्वारा सिंचाई लिफ्ट योजना विचाराधीन है उनका विवरण निम्न प्रकार है:–

1–जामनी नदी पर 5 लघु लिफ्ट नहरें (कुल क्षमता 90 क्यूसेक)

2–सुखवाहा नाला (सहायक जमनी नदी) 3 लघु पम्प नहरें (कुल क्षमता 18 क्यूसेक)

3–बरानी (कावरी) (नाला) सहायक सजनम नदी, एक लघु पम्प नहर (क्षमता 5 क्यूसेक)

4–उदई नदी पर 1 लघु पम्प नहर (क्षमता 5 क्यूसेक)

5–सजनम नदी पर 6 लघु पम्प नहरें (कुल क्षमता 46 क्यूसेक)

6–जमरार नदी पर लघु पम्प नहरें (कुल क्षमता 23 क्यूसेक)

7–रोहिणी नदी पर लघु पम्प नहरें (कुल क्षमता 20 क्यूसेक)

8–धसान नदी पर दो लघु पम्प नहरें (कुल क्षमता 50 क्यूसेक)

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

ललितपुर में जाखलौन पम्प कैनाल बनकर तैयार है, इसको कब तक खुलवा देंगे?

श्री भोला शंकर मौर्य–

यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि ललितपुर में जो अपलिफ्ट द्वारा सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने बजट में भी प्रस्ताव किया था, आगरा में यमुना पर महल बादशाही योजना पर भी विचार करेंगे?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, यह ललितपुर से सम्बन्धित प्रश्न था, इसलिये यहां पर जवाब देना सम्भव नहीं है। मा0 सदस्य लिख कर दे दें तो मैं उसको दिखवा लूंगा।

श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने जिस तरह से ललितपुर के बारे में कहा, क्या फर्रुखाबाद में काली नदी के सम्बन्ध में भी कोई लिफ्ट योजना स्वीकार की गयी है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में मद्य निषेध

*16–श्री पूरन सिंह माहरा–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद अल्मोड़ा में शराब बन्दी लाग है

जबकि उससे लगे हुए जनपद नैनीताल में शराब बन्दी लागू नहीं है? यदि हां, तो पर्वतीय क्षेत्र में शराब बन्दी कानून को समान रूप से लागू करने के लिए सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही है? क्या सरकार इस बात पर भी विचार करेगी कि जब तक सभी पर्वतीय जनपदों में शराबबन्दी लागू नहीं होती है तब तक अल्मोड़ा जनपद को भी जनपद नैनीताल की तरह इस कानून से मुक्त रखा जाय? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)—

जनपद अल्मोड़ा में दिनांक 26-5-84 से परमिट धारियों के लिये विदेशी मदिरा की सुविधा सहित (जिसके लिये अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की अनुज्ञापित दुकानें स्वीकृत हैं) मद्यनिषेध लागू है। जनपद नैनीताल में दिनांक 1-4-85 से नगरीय क्षेत्रों (हल्द्वानी, काठगोदाम, काशीपुर, रुद्रपुर, रामनगर, टनकपुर, नैनीताल और भुवाली) को छोड़कर शेष भाग में मद्यनिषेध लागू है।

पर्वतीय क्षेत्र के जनपद चमोली तथा उत्तरकाशी में पूर्ण मद्यनिषेध लागू है। जनपद पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल एवं अल्मोड़ा में मद्यनिषेध इस छूट के साथ लागू है कि परमिट धारियों को विदेशी मदिरा की बिक्री अनुज्ञापित दुकानों से की जायेगी। जनपद नैनीताल में नगरीय क्षेत्र हल्द्वानी, काठगोदाम, काशीपुर, रुद्रपुर, रामनगर, टनकपुर, नैनीताल और भुवाली को छोड़कर शेष भाग में मद्यनिषेध लागू है। जनपद नैनीताल की तरह जनपद पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, टेहरीगढ़वाल तथा अल्मोड़ा में परमिट धारियों का प्रतिबन्ध समाप्त कर नगरीय क्षेत्रों में विदेशी मदिरा को वर्तमान में स्वीकृत अनुज्ञापित फुटकर दुकानों की व्यवस्था बनाये रखने का मामला शासन के विचाराधीन है।

श्री पूरन सिंह माहरा—

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट है कि 8 जनपदों में 8 किस्म की मान्यताएं लागू हैं, मद्य निषेध के सम्बन्ध में। जनपद नैनीताल के सभी शहरी क्षेत्रों में मद्यनिषेध नहीं लागू है। चार अन्य जनपदों में परमिट पर मद्य मिल रही है। इसलिये पर्यटन पर भारी असर पड़ रहा है। वहीं वहां के लोग अपने ढंग से शराब और टिंचर, जिंजर और जाने क्या-क्या बना रहे हैं, जिसमें बहुत बीमारियां फैल रही हैं, तो क्या आठों जनपदों में मद्य निषेध लागू करेंगे या आठों में समान मद्य निषेध एक ही सीमा में लागू करने की व्यवस्था करेंगे?

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, जैसा बताया गया कि 8 जिलों में 8 तरह की व्यवस्था लागू है, ऐसा नहीं है। मान्यवर, 4 तरह की व्यवस्थाएं हैं। देहरादून है तो हिल्स में, लेकिन प्लेन जैसा है; वहां पर प्लेन जैसा सिस्टम है। इसके अलावा चमोली और उत्तरकाशी में पूर्ण मद्य निषेध लागू है। पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी और अल्मोड़ा में सी0 एम0 ओ0 की रिकमण्डेशन पर मद्य दी जाती है। वहां आंशिक रूप से लागू है, यानी 90 परसेंट लागू है। माननीय सदस्य का प्रश्न है कि एक जैसी व्यवस्था लागू कर दी जाय तो मान्यवर, विभाग जनता की इच्छाओं

और आकांक्षाओं को ध्यान में रखता है। नैनीताल में बाहर के पर्यटक बहुत आते हैं। नगर क्षेत्र में शासन की मजबूरी है कि उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं के अनुसार वहां पर देखना है, वहां दुकानें हैं, जो ठेकेदार चला रहे हैं। जो सुझाव मा0 सदस्य ने दिया है, सरकार उस पर विचार कर रही है। हम तो चाहते हैं कि एक जैसी व्यवस्था वहां पर लागू कर दी जाय। सरकार उस पर विचार कर रही है और निकट भविष्य में उस पर निर्णय हो जायगा।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने स्पष्ट कहा कि नैनीताल में बहुत पर्यटक आते हैं। मैं जिस जनपद से आया हूं, वहां पर रानीखेत, कौसानी आदि स्थानों पर भी बहुत पर्यटक आते हैं। अगर पर्यटकों के नाम पर मद्य निषेध लागू नहीं करते तो क्या अल्मोड़ा जनपद को इससे छूट देंगे?

श्री चेतराम गंगवार–

हमारा प्रयास है कि शीघ्र इस पर कोई निर्णय लें। लेकिन मान्यवर, हमारी परेशानी यह है कि इनके यहां उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड वाहिनी, महिला वाहिनी तमाम इस तरह की वाहिनी और दल बने हुए हैं, जो यह कहते हैं कि मद्यनिषेध करें। अगर माननीय सदस्य और वहां की जनता चाहती है कि नैनीताल की भांति वहां पर भी सुविधा हो तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश के बृहत्तर जनहित को देखते हुए क्या पूरे प्रदेश में शराब बन्दी लागू करने पर विचार करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न उस से नहीं उठता है।

श्री लक्ष्मी नारायण–

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे व्यक्तिगत रूप से मद्यनिषेध में विश्वास रखते हैं?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न तो जनपद अल्मोड़ा से ताल्लुक रखता है।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, इस सम्मानित सदन में मदिरा के काफी शौकीन लोग हैं। क्या माननीय मंत्री जी ऐसे शौकीन लोगों के लिए सस्ते दर पर मदिरा उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे?

(हंसी)

श्री गुलाब सिंह–

मान्यवर, टेहरी और पौड़ी जनपद में परमिट के हिसाब से मदिरा देने की व्यवस्था इन्होंने की है। उत्तरकाशी और चमोली को इससे वंचित रखा गया है। वहां से भी लोगों की यह मांग है कि परमिट के आधार पर कम से कम चमोली और उत्तरकाशी में भी उनको इजाजत दी जाय। क्या इस पर सरकार विचार कर रही है?

श्री चेतराम गंगवार–

मान्यवर, शासन को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि उत्तरकाशी और चमोली इसमें तमाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमनोत्री–ऐसे धार्मिक स्थल हैं और वहां धार्मिक प्रवृत्ति के लोग जाते हैं, इसलिए वहां सरकार का कोई ऐसा विचार नहीं है। यदि माननीय

सदस्य और वहां की जनता चाहेगी कि एसा वहां हो, तो हम उस पर विचार कर लेंगे ।

*17–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री अवधेश प्रसाद, श्री अचल सिंह तथा श्री बालेश्वर–

[स्पष्टीकरण के अभाव में हटाया गया।]

श्री जगन्नाथ श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता, गण्डक नहर निर्माण खण्ड, गोरखपुर द्वारा अपने नाम से कथित ड्राफ्ट

*18–श्री राम सरन–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि श्री जगन्नाथ प्रसाद अधिशासी अभियन्ता, गण्डक नहर निर्माण खण्ड, गोरखपुर ने दिनांक 29-7-83 को स्टेट बैंक, गोरखपुर की मुख्य शाखा से 9 लाख रुपये का सेल्फ ड्राफ्ट बनवाया और क्या यह भी सही है कि उन्होंने उसी ड्राफ्ट को स्टेट बैंक गोलघर शाखा, गोरखपुर में प्राइवेट करेन्ट एकाउन्ट में जमा करवाया ? यदि हां, तो किस प्राविधान के अन्तर्गत उन्हें यह अधिकार दिया गया?

श्री भोला शंकर मौर्य–

श्री जगन्नाथ प्रसाद (वास्तविक नाम जगन्नाथ श्रीवास्तव) अधिशासी अभियन्ता ने दिनांक 29-7-83 को अपने (सेल्फ) नाम से कोई ड्राफ्ट नहीं बनवाया और न उक्त ड्राफ्ट को स्टेट बैंक गोलघर शाखा, गोरखपुर में निजी चालू खाते (प्राइवेट करेन्ट एकाउन्ट) में जमा करवाया।

श्री राम सरन–

माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह स्पष्ट है कि उसने इस तारीख में तो नहीं कराया लेकिन किसी दूसरी तारीख में कराया है। अगर माननीय मंत्री जी "जी नहीं" "जी नहीं" "प्रश्न नहीं उठता" जवाब देते तो मैं उससे संतुष्ट हो जाता। हो सकता है हमने गलत तारीख बता दी हो। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने किस तारीख में इसे जमा कराया है और, क्या इसकी जांच करायेंगे?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैंने पहले ही स्पष्ट उत्तर दे दिया है।

श्री राम सरन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी, चाहे वह अगली तारीख हो और चाहे पिछली तारीख हो, क्या उस आदमी के खिलाफ़ कार्यवाही करेंगे क्योंकि उसने 9 लाख रुपए की हेरा-फेरी की है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

माननीय सदस्य यदि मुझे कोई निश्चित तिथि दे दें तो मैं उसकी जांच अवश्य करा लूंगा।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, एक प्रश्न रह गया है। आप इजाजत दे दीजिए। मैं केवल एक प्रश्न पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। आप बाद में पूछ लीजियेगा।

प्रदेश के नलकूप चालकों द्वारा सिंचाई कर का निर्धारण

*19–श्रीमती शारदा देवी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के राजकीय नलकूपों पर मीटर नहीं लगा है और न ही नलकूप

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

चालकों को घड़ी या अन्य कोई साधन दिया गया है ? नलकूप चालक कृषकों पर सिंचाई कर, जो निर्धारित करता है उसका आधार क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उत्तर प्रदेश के विश्व बैंक की सहायता से पोषित समस्त नलकूपों एवं सामान्य थोड़े से नलकूपों पर मीटर लगे हुए हैं।

जी हां ।

नलकूप चालक कृषकों पर सिंचाई शुल्क का निर्धारण अपनी निजी घड़ी एवं कृषकोंकी घड़ी के आधार पर करता है।

आगरा जनपद में नए चीनी की दुकानों का आवंटन

*20–श्री विजय सिंह राणा –

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में चीनी वितरण हेतु कुछ नये दुकानदारों को चीनी की दुकानों का आवंटन किया गया है जिसमें विकास खण्ड विचपुरी के अन्तर्गत एक ही दुकानदार को एक फर्जी सहकारी समिति के नाम पर कई दुकानों का आवंटन कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह –

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

ग्राम बेरूमुक्तेमऊ, जनपद उन्नाव के सामने नहर की पुलिया की मरम्मत

1–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री यह जानकारी देने की कृपा करेंगे कि सिंचाई राज्य मंत्री को उन्नाव जिले के बेरूमुक्तेमऊ गांव के सामने नहर की टूटी पुलिया की रिपेयरिंग हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पत्रांक 38 दिनांक 17 जुलाई, 85 पर क्या कार्यवाही हुई है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत क्षतिग्रस्त पुलिया समाधा माइनर के 8.6 कि0मी0 पर स्थित है, जिसकी मरम्मत कराने हेतु आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

हरदोई जनपद में नलकूपों के लिए अधिग्रहीत भूमि की क्षतिपूर्ति का भुगतान

2–श्री अशोक वाजपेयी–

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप संख्या 94, 95 व 69 जनपद हरदोई की अधिग्रहीत भूमि की क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु आदेश किये जा चुके हैं तथा गजट भी हो चुका है ? यदि हां, तो अब तक भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी किसानों को क्षतिपूर्ति दिलाने की कृपा करेंगे ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 7-11-85 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

69 शाहाबाद जनपद हरदोई की अधिग्रहीत भूमि की क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु आदेश किये जा चुके हैं । 94 व 95 शाहाबाद जनपद हरदोई की अधिग्रहीत भूमि की क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु आदेश किये जाने की सूचना विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी शारदा सहायक परियोजना लखनऊ से अभी तक अप्राप्त है ।

94 शाहाबाद का गजट नहीं हुआ है, 69 व 95 शाहाबाद का गजट हो चुका है । 69 शाहबाद की अधिग्रहीत भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु भुगतान विशेष अध्या-

प्ति अधिकारी लखनऊ को उनके द्वारा मांगी गयी धनराशि के अनुसार किया जा चुका है, 94 व 95 शाहाबाद के बीजक विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी लखनऊ से प्राप्त न होने के कारण भुगतान नहीं हुआ है बीजक प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जायेगा । जी हां, उक्त तीनों नलकूपों के प्रतिकरों के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही अब तक की जा चुकी है एवं शेष कार्यवाही शीघ्र की जाएगी ।

3–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जिला रामपुर के आपूर्ति कार्यालय द्वारा रैपसीड आयल के ब्लैक करने का जांच

4–श्री मुहम्मद आजम खां–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को ज्ञात है कि जनवरी, 1984 से दिसम्बर सन् 1984 तक जिला रामपुर के आपूर्ति कार्यालय द्वारा रैपसीड आयल के घोटाले तथा जनता के एक भी व्यक्ति को रेपसीड आयल न मिलने और सारा माल ब्लैक करा लेने के संबंध में सरकार ने कोई जांच कराई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शासन के समक्ष ऐसा कोई मामला नहीं आया । अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

स्थानान्तरित जिला आपूर्ति अधिकारी, रामपुर को रामपुर जिलाधिकारी का गोपनीय पत्र

5–श्री मुहम्मद आजम खां–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जल्द ही रामपुर से स्थानान्तरित जिला पूर्ति अधिकारी श्री तिवारी के संबंध में कोई रिपोर्ट गुप्त रूप से जिलाधिकारी रामपुर द्वारा भेजी गयी है तथा उस पर विभाग ने कोई इन्क्वायरी आफिसर मुकर्रर किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब ?

श्री हुकुम सिंह –

वर्तमान जिलाधिकारी अथवा तत्कालीन जिलाधिकारी ने कोई गोपनीय रूप से रिपोर्ट रामपुर से स्थानान्तरित जिला पूर्ति अधिकारी श्री तिवारी के विरुद्ध शासन के खाद्य तथा रसद विभाग को नहीं भेजी है । अतः जांच अधिकारी नियुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

निदेशक, सिंचाई अनुसंधान रुड़की द्वारा प्रमुख अभियन्ता सिंचाई का विदायी समारोह

6–श्री मुहम्मद आजम खां–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक सिंचाई अनुसंधान रुड़की के पत्रांक 535-अ0स0/ई-9 दिनांक 18-7-85 द्वारा प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग के विदाई समारोह के लिए समस्त अधीक्षण अभियन्ता परिकल्प संगठन रुड़की को क्या निर्देश दिये गये थे ? और उसमें उस समारोह के लिए इतना अधिक धन क्यों एकत्रित किया जा रहा था ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सिंचाई अनुसंधान एवं परिकल्प संगठन, रुड़की के अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा श्री मदन पाल त्यागी, प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं शोध) के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें विदाई देने हेतु समारोह आयोजित करने का निश्चय किया गया था । तद्नुसार निदेशक सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की ने संयोजक के रूप में अपने पत्र संख्या-535, अ0स0/ई-9, दिनांक 18-7-85 द्वारा अभियन्ताओं से उक्त समारोह में भाग लेने तथा योगदान देने का

अनुरोध किया जिसके फलस्वरूप 189 अधिकारियों ने विदाई समारोह में भाग लेने हेतु योगदान दिया । इस निमित्त एकत्र की गयी कुल 843/-रु0 की धन-राशि समारोह में आमंत्रित अतिथियों सहित 103 व्यक्तियों के जलपान आदि पर व्यय की गयी थी ।

रामपुर जनपद में विमको फैक्ट्री में कार्यरत स्थानीय लोगों की संख्या तथा उनका वेतन

7—श्री मुहम्मद आजम खां—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद रामपुर में विमको फैक्ट्री में कितने स्थानीय लोग रखे गये हैं और उनको वेतन किस नियम से दिया जा रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मेसर्स विमको लि0 रामपुर में 25 स्थानीय लोग रखे गये हैं जिन्हें सेवायोजकों द्वारा अधिसूचना संख्या 1699/36-3-23 (एम डब्ल्यू) 83, दिनांक 6-8-84 द्वारा निर्धारित वेतन दिया जा रहा है ।

नेशनल राइस मिल मुरादाबाद तह0 शाहाबाद जनपद रामपुर की नीलामी तथा लाइसेन्स

8—श्री मुहम्मद आजम खां—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे यू0 पी0 एफ0 सी0 मुरादाबाद में नेशनल राइस मिल तह0 शाहाबाद जिला रामपुर किश्तें अदा न होने के कारण इसे 5, 81, 842.72 रुपये का इश्तेहार देकर नीलाम करने का एलान किया था, को किन कारणों से रोक दिया गया तथा अब उसकी स्थिति क्या है और इसका लाइसेंस किस नाम से है ?

श्री हुकुम सिंह—

नीलाम रोका नहीं गया ।

इकाई का राज्य वित्तीय निगम की धारा-29 के अन्तर्गत सर्वश्री इकबाल सिंह और सुरेन्द्र सिंह के पक्ष में विक्रय नामा लिखा गया तथा इकाई कार्यरत है ।

वर्तमान में लाइसेंस मैसर्स पटवर्द्ध राइस मिल, नरखेड़ी, शाहाबाद (रामपुर) के नाम से है ।

आई0 टी0 आई0 ड्राफ्टमैन (सिविल) का कम्प्यूटर (सिंचाई विभाग) के पद पर प्रोन्नति

9—श्री मुहम्मद आजम खां—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि आई0 टी0 आई0 में ड्राफ्टमैन (सिविल) व्यवसाय का पाठ्यक्रम पूरे तौर पर किया जाता है तथा इसकी मान्यता राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है? यदि हां तो अन्य संस्थाओं से तकनीकी योग्यता रखने वाले कम्प्यूटर को सिंचाई विभाग द्वारा सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं, आई0 टी0 आई0 में ड्राफ्टमैन सिविल व्यवसाय का पूरा पाठ्यक्रम नहीं दिया जाता है । यह राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्रदत्त है । संगणक पद से सहायक अभियन्ता के पद पर उन्हीं पात्र संगणकों की प्रोन्नति पर विचार किया जाता है, जिनकी अर्हता लगभग अवर अभियन्ताओं के समान होती है ।

10—श्री राज किशोर सिंह—

[दिनांक 12-2-86 को अता0 प्र0 सं0 153 द्वारा उत्तरित]

नियत प्राधिकारी अन्तर्गत वेतन भुगतान अधिनियम एवं प्रादेशिक संराधन अधिकारी, वाराणसी के समक्ष विचाराधीन वेतन मान

ii—श्री राज किशोर सिंह—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे

कि नियत प्राधिकारी अन्तर्गत वेतन भुगतान अधिनियम एवं प्रादेशिक संराधन अधिकारी, वाराणसी के समक्ष विचाराधीन वेतन भुगतान वाद संख्या-79 सन् 79 का निर्णय दिया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। दिनांक 30-8-84 को निर्णय दिया जा चुका है ।

क्षेत्रीय सहायक श्रम आयुक्त तथा प्रादेशिक संराधन अधिकारी, वाराणसी पर सी0 पी0 केस

12–श्री राज किशोर सिंह–

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय सहायक श्रम आयुक्त उ0 प्र0, वाराणसी के समक्ष प्रस्तुत सी0 पी0 केस नं0 66 सन् 81 व 20 सन् 84 तथा प्रादेशिक संराधन अधिकारी, वाराणसी के समक्ष प्रस्तुत सी0 पी0 केस नं0-47 सन् 83 व 24 सन् 84 जिनकी अन्तिम सुनवाई क्रमशः दिनांक 19-10-81, 2-4-84, 16-8-83 और 19-6-84 को समाप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो कब इस पर निर्णय हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, सी0 पी0 विवादों में निर्णय नहीं दिये जाते हैं। पक्षों के मध्य समझौता दिये जाते हैं । पक्षों के मध्य समझौता न होने से इन विवादों को अभिनिर्णय हेतु श्रम न्यायालय को संदर्भित किया जा चुका है ।

बंधी प्रखण्ड, वाराणसी की दानोंगाडा बांध द्वारा क्षतिग्रस्त किसानों की क्षतिपूर्ति

3–श्री राज किशोर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बंधी प्रखण्ड, वाराणसी की दानोंगाड़ा बंधी के वर्ष 1977 में बह जाने के कारण काश्तकारों की हुई क्षति जिसकी जांच परगनाधिकारी चकिया की गई थी और जांच रिपोर्ट सं0 162/आ0 लि0 चकिया/19-7-77 की प्रतिलिपि उक्त अधिशासी अभियन्ता को दी गयी थी ? यदि हां, तो क्षति का प्रस्तावित देय मुआवजा रु0 800/- आज तक काश्तकारों को भुगतान क्यों नहीं किया गया ? यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता द्वारा रु0 800/- मात्र श्री महफूज आलम ठेकेदार के दानोगाड़ा बंधी के कार्यों के बीजक से काटकर डिपाजिट में रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आबरा बांध निर्माण खण्ड आबरा तथा देवकली पम्प नहर के सहायक अभियन्ता के प्रोन्नति के फलस्वरूप उनकी वरिष्ठता तथा वेतनमान का निर्धारण

14–श्री राज किशोर सिंह तथा श्री राजित प्रसाद यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आबरा बांध निर्माण खण्ड आबरा तथा देवकली पम्प नहर प्रखण्ड प्रथम गाजीपुर के सहायक अभियन्ताओं को प्रोन्नति के उपरान्त शासनादेश सं0 जी0-2-1330/दस-302-78 दिनांक जुलाई, 3, 1978 के अन्तर्गत उनकी वरिष्ठता तथा वेतन का निर्धारण अभी तक मुख्य अभियन्ता सिंचाई उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा क्यों नहीं किया गया ? यह निर्धारण मुख्य अभियन्ता द्वारा कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

संराधन अधिकारी, बाराणसी द्वारा संसार प्रेस संसार लि0 काशीपुर, वाराणसी के श्रमिकों से धन की वसूली

15–श्री राज किशोर सिंह–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि संराधन अधिकारी वाराणसी की ओर से जिलाधिकारी, वाराणसी के नाम जारी रिकवरी सर्टिफिफेट संख्या 9845 दिनांक 6-10-83 जो मेसर्स संसार प्रेस संसार लि0, काशीपुर, वाराणसी से उनके श्रमिकों के पावने स्वरूप वसूल किया जाना है और जिसके बारे में संराधन अधिकारी, वाराणसी की ओर से जिलाधिकारी, वाराणसी को पत्र संख्या 4572 दिनांक 21-6-84 द्वारा उनका ध्यान दिलाया गया है ? क्या यह धनराशि वसूल की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

संराधन अधिकारी, वाराणसी द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र दिनांक 6-10-83 जारी किया गया था ।

चार श्रमिकों को देय धनराशि में से तीन श्रमिकों को बकाया धनराशि का भुगतान सेवायोजकों द्वारा कर दिया गया है । शेष एक श्रमिक को देय धनराशि की वसूली हो चुकी है । परन्तु चूंकि श्रमिक की मृत्यु हो चुकी है अतः उसके वारिसान को, उसके बरासत का निर्णय हो जाने के उपरांत, भुगतान करा दिया जायगा ।

ललितपुर में नये नलकूपों के लगाने की योजना

16–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि बुन्देलखण्ड के हमीरपुर बांदा जालौन झांसी में सैकड़ों शासकीय नलकूप लगे हैं और ललितपुर में केवल 1 नलकूप है ? यदि हां, तो क्या ललितपुर जनपद में शासकीय नलकूप लगाने का शासन विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

ललितपुर जनपद में शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार अतिरिक्त राजकीय नलकूपों का निर्माण सम्भव नहीं है क्योंकि अभी तक के सर्वेक्षण के अनुसार किसी भी क्षेत्र में 15000 गैलन प्रतिघंटा भी निकास मिलने की सम्भावना नहीं है ।

17–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के होटल रेस्टोरेन्ट में कर्मचारियों का वेतनमान तथा उनका पंजीकरण

18–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट जिनमें 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हों उसे श्रम व दुकान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराना आवश्यक है ? यदि हां, तो लखनऊ एयरपोर्ट स्थित पोर्ट रेस्टोरेन्ट द्वारा पंजीकरण संख्या क्या है उसमें कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और मिनियम वेजेज एक्ट के मुताबिक उक्त कर्मचारी पैसा पा रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उत्तर प्रदेश दूकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अनुसूची–1 में उल्लिखित क्षेत्रों में स्थित सभी दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों का पंजीकरण कराना आवश्यक है । प्रश्न

गत रेस्टोरेंट अनुसूची-1 में उल्लिखित क्षेत्र के बाहर है । अतः वहां अधिनियम के प्राविधान लागू नहीं होते हैं और इसलिए उक्त प्रतिष्ठान के पंजीकरण कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

उक्त रेस्टोरेंट में 16 कर्मचारी कार्यरत हैं । यह प्रतिष्ठान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की परिधि में आता है । इस कारण प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया । प्रतिष्ठान द्वारा कुछ कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करते हुए पाया गया । अतः प्रतिष्ठान के विरुद्ध इस सम्बन्ध में निर्देशवाद दायर किया गया जिसमें निर्णय श्रमिकों के पक्ष में हुआ है ।

जनपद नैनीताल के रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थियों का पंजीकरण

19–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल के रोजगार (सेवा नियोजन) केन्द्र में पंजीकरण के लिये किसी अन्य जनपद के अभ्यर्थियों को न लिये जाने की कोई आज्ञा शासन या विभागीय अधिकारियों की ओर से जारी की गयी है ? यदि हां, तो इसका क्या आधार है ? यदि नहीं, तो संबंधित अधिकारियों के पंजीकरण न करने पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

राष्ट्रीय रोजगार सेवा पुस्तिका के भाग-1 खण्ड-1 के अनुसार जब तक राज्य निदेशक या महानिदेशक द्वारा विशेष रूप से किसी को छूट न दी जाए, प्रत्येक व्यक्ति उसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो सकेगा जिसके अधिकार क्षेत्र में वह रहता हो । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

20–श्री राम बदन एडवोकेट–

[5वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 118 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री राज कुमार राय तत्कालीन सदस्य, विधान सभा का सींचपाल, कटरा, इटौरा माइनर दोहरीघाट (आजमगढ़) के विरुद्ध शिकायती-पत्र

21–श्री राम बदन एडवोकेट–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें श्री राजकुमार राय तत्कालीन सदस्य विधान सभा के संस्तुति पत्र दिनांक 22-7-84 के साथ क्षेत्रीय जनता का शिकायती पत्र जो सींचपाल कटरा इटौरा माइनर दोहरीघाट (आजमगढ़) द्वारा की जा रही अनियमितताओं के विषय में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

संबंधित सींचपाल का स्थानान्तरण किया जा चुका है ।

श्री राजकुमार राय, सदस्य, विधान सभा का सप्लाई इंसपेक्टर, गाजियाबाद के विरुद्ध शिकायती पत्र

22–श्री राम बदन एडवोकेट–

क्या खाद्य एवं आपूर्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें श्री बी0 एल0 श्रीवास्तव डब्लू (1) नोएडा सेक्टर 12 गाजियाबाद का आवेदन पत्र दिनांक 1-8-84 जो श्री राज कुमार राय, सदस्य विधान सभा के संस्तुति पत्र, दिनांक 11-8-84 के साथ मेसर्स ज्ञानचन्द्र और वहां के सप्लाई इन्सपेक्टर के विरुद्ध शिकायत से संबंधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी गाजियाबाद को किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराकर रिपोर्ट देने

के आदेश दिये थे? यदि हां, तो उसमें जांच किसने की और क्या परिणाम निकला?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

उक्त शिकायती पत्र के संबंध में आवश्यक जांच क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ट्रान्स हिन्डन क्षेत्र गाजियाबाद द्वारा कराई गई थी। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की जांच आख्या के आधार पर यह पाया गया कि राशन कार्ड धारी श्री बी0 एल0 श्रीवास्तव व दुकानदार श्री ज्ञानचन्द्र नरेश कुमार सरकारी सस्ता गल्ला बिक्रेता के बीच दिनांक 10-12-83 को झगड़ा हुआ। कार्ड धारी उत्तेजित होकर बिक्रेता से झगड़ने लगे और बिक्रेता ने उनके विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी। श्री बी0 एल0 श्रीवास्तव का राशन कार्ड तत्कालीन सम्बन्धित परगनाधिकारी के आदेशानुसार प्रश्नगत दुकान से हटाकर अन्य निकट की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से सम्बद्ध कर दिया गया ।

श्री हरिश्चन्द्र ममगई तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक को जो उक्त अवधि में नोयडा में थे उनके द्वारा राशन कार्ड बनाने में किन परिस्थितियों में बिलम्ब किया गया इसके लिए पूर्ति निरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है ।

यू0 पी0 सहकारी कताई मिल लि0 बहेड़ी, जनपद बरेली तथा उ0 प्र0 सहकारी कताई मिल लि0 मगहर, जनपद बस्ती में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमान में विषमता

23–श्री अकबर हुसैन बावर–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 सहकारी कताई मिल्स लि0 बहेड़ी, जनपद बरेली और उ0 प्र0 सहकारी कताई मिल मगहर, जनपद बस्ती में समान पदों पर कार्यरत श्रमिकों को समान वेतन मिल रहा है? यदि नहीं, तो सरकार इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सेवायोजकों के अनुसार उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स लि0 बहेड़ी, तथा सन्त कबीर सहकारी कताई मिल लि0 मगहर, बस्ती में समान पदों पर कार्यरत श्रमिकों के समान वेतन न होने का कारण यह है कि मगहर स्थित सहकारी कताई मिल 1978 में स्थापित हुई तथा श्रमिकों को उभय पक्षों के मध्य समय-समय पर हुए समझौतों का लाभ मिलता रहा है। बहेड़ी स्थित सहकारी कताई मिल की स्थापना 1985 में हुई है तथा उन्हें न्यूनतम देय वेतन मिल रहा है। अतः वर्तमान में दोनों प्रतिष्ठानों में समान वेतन होने का प्रश्न नहीं है।

किसान प्रोडक्ट्स लि0 भोजीपुरा, जनपद बरेली के न्यूनतम वेतन निर्धारण का स्थगन

24–श्री अकबर हुसैन बावर–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन 6 अगस्त, 84 के विरुद्ध मेसर्स किसान प्रोडक्ट्स लि0 भोजीपुरा, जनपद बरेली ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है? यदि हां, तो सरकार ने स्थगन आदेश वैकेट कराने की क्या कार्यवाही की है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

स्थगन आदेश निरस्त कराने हेतु उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

कर दिया गया है और पैरवी की जा रही है।

सहकारी कताई मिल लि0 बहेड़ी, बरेली में ट्रेनीज श्रमिकों का वेतन

25–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी कताई मिल लि0 बहेड़ी, जनपद बरेली में ट्रेनीज श्रमिकों को प्रतिदिन कितना वेतन मिल रहा है और क्या उस वेतन से 1.67 रु0 प्रतिदिन कर्मचारी राज्य बीमा योजना के नाम पर कटौती हो रही है? यदि हां, तो सरकार प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मेसर्स यू0 पी0 सहकारी कताई मिल्स लि0 बहेड़ी, बरेली में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले (ट्रेनीज) प्रशिक्षार्थियों को 5 रु0 से 10 रु0 प्रतिदिन उनके अनुभव एवं कार्यक्षमता के आधार पर छात्रवृत्ति के रूप में भुगतान किया जा रहा है। प्रशिक्षणार्थियों से कर्मचारी राज्य बीमा योजना के नाम पर कटौती नहीं की जा रही है। अतः इस बिन्दु पर प्रबन्धकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है।

सरोजनीनगर में डबेरिया भरोसवा ड्रेन की खुदाई की योजना

26–श्री शारदा प्रताप–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र में डबेरिया भरोसवा ड्रेन की खुदाई न किये जाने के क्या कारण हैं तथा इसकी खुदाई कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत ड्रेन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1982–83 में स्वीकृत करायी गयी थी जिसमें भूमि अध्याप्त करने का कोई प्राविधान नहीं है। अतः जैसे ही कार्य प्रारम्भ किया गया कुछ कृषकों ने अपनी भूमि देने के सम्बन्ध में विरोध किया और इस ड्रेन के सम्बन्ध में एक रिट याचिका दायर कर दी तथा इस पर न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण कार्य बन्द है। इस ड्रेन की खुदाई तभी प्रारम्भ की जा सकेगी जब उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत किये गये स्थगन आदेश खारिज हो जायेंगे तथा ड्रेन के निर्माण हेतु कृषक भी भूमि देने को सहमत हो जायेंगे।

सरोजनी नगर में सदरौना ड्रेन की खुदाई

27–श्री शारदा प्रताप–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र में सदरौना ड्रेन की खुदाई न किये जाने के क्या कारण हैं तथा इसकी खुदाई कब तक कर दी जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत क्षेत्र में सदरौना पश्चिम ड्रेन का निर्माण पूर्ण हो चुका है परन्तु सदरौना पूर्व ड्रेन की खुदाई का कार्य कृषकों के विरोध के कारण रोक दिया गया है। भूमि उपलब्ध होने पर कार्य सम्भव हो सकेगा।

सरोजनी नगर की नहरों की पटरियों को पक्का कराये जाने की योजना

28–श्री शारदा प्रताप–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र की नहरों की पटरियों को पक्का कराने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है? समस्त नहरों की पटरियां

कब तक पक्की कर दी जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

29–श्री राम आसरे वर्मा–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में धान का क्रय मूल्य

30–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषकों के धान की कीमत को समर्थन मूल्य से नीचे न गिरने देने के लिए धान खरीद की राजकीय योजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जनपदों में जनपदवार 21 नवम्बर, 1985 तक कितने-कितने धान की खरीद की गई ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि यह खरीद इतनी कम थी कि लगभग सभी जगह धान की कीमत खुले बाजार में समर्थन मूल्य से 20 रुपये प्रति कुन्टल कम रही ?

श्री हुकुम सिंह–

कृषकों के धान की कीमत को समर्थन मूल्य से नीचे न गिरने देने के लिए धान खरीद की राजकीय योजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जनपदों में दिनांक 21 नवम्बर, 1985 तक एजेंसियों द्वारा 10401 मी0 टन धान की खरीद की गई (जनपदवार विवरण संलग्न है) †जबकि गत वर्ष इसी दिनांक को 9805 मी0 टन धान की खरीद की गई थी । इस प्रकार धान की खरीद गत वर्ष की तुलना में कम नहीं हुई । जहां कहीं धान के भाव समर्थन मूल्य से कम रहे वहां ऐसा ही धान कम मूल्य पर बिका जो निर्धारित गुण- निर्दिष्टियों के अनुसार निम्न श्रेणी का था।

प्रदेश में गेहूं खरीद में अनियमितताएं

31–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

क्या सरकार गेहूं की खरीद नियमित करने के लिए कोई विशिष्ट नियंत्रण आदेश जारी करने पर विचार करेगी, जिससे कि खरीद करने पर अनियमित कार्य करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा सके? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

गेहूं की खरीद के सम्बन्ध में "उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (प्राप्ति और व्यापार विनियमन) आदेश, 1982" दिनांक 2 जून, 1982 से शासकीय अधिसूचना संख्या पी–2476/29-खाद्य-5-5 (42)/80 के द्वारा प्रवृत्त किया गया है, अतः किसी अन्य नियंत्रण आदेश के जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

सिकन्द्राराऊ नगर, जनपद अलीगढ़ में शराब के दूकान का स्थानान्तरण

32–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि अलीगढ़ जनपद के सिकन्द्राराऊ नगर के सर्वाधिक सार्वजनिक महत्व के स्थान पर बस स्टेशन के बराबर तथा अस्पताल व नगरपालिका कार्यालय के समक्ष स्थित देशी शराब की दूकान दीर्घ काल से विवादों व दुर्घटनाओं का कारण बनी हुई है ? इस दुकान को स्थानान्तरित करने से संबंधित जनपद के विधायकों की मांग पर क्या कार्यवाही की गई और इसे कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

इस दुकान को अन्यत्र स्थानान्तरित करने से संबंधित जनपद के एकमात्र विधायक

†छापी नहीं गई ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी की मांग पर जांच कराई गई और जांच के तथ्यों के आधार पर दुकान को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

अलीगढ़ के तहसील सिकन्दराराऊ में चीनी का वितरण

33–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि अलीगढ़ जनपद के सिकन्दराराऊ तहसील स्थित मार्केटिंग विभाग के डिपो से दुकानदारों को वितरण हेतु दी जाने वाली चीनी बिना तौल माप किए प्रति बोरी 5 से 10 कि0 ग्रा0 तक कम दी जाती है ? क्या मंत्री जी यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि अक्टूबर माह में मार्केटिंग विभाग द्वारा निर्धारित समय पर चीनी न लाने के कारण विजय दशमी जैसे पर्व पर भी जनता को चीनी नहीं मिल सकी? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं ।

सिकन्दराराऊ तहसील में विजय दशमी के पर्व तक 555 कुन्तल चीनी सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों के माध्यम से वितरित कराई गई थी । प्रादेशिक सहकारी संघ को भारतीय खाद्य निगम के आगरा स्थित डिपो से आयातित लेवी चीनी विलम्ब से प्राप्त हो सकी थी।

प्रश्न नहीं उठता ।

अलीगढ़ जनपद में धान क्रय-केन्द्र खोलने की योजना

34–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि अलीगढ़ जनपद में धान निर्धारित मूल्य से कम 100–125 रुपए प्रति कुन्टल मूल्य पर खरीदा जा रहा है ? क्या कृषकों का समर्थन मूल्य दिलाने के लिए सिकन्दराराऊ तहसील में स्वीकृत चार सरकारी खरीद केन्द्रों में से एक की भी स्थापना अब तक नहीं की गयी ? क्या सरकार शीघ्र खरीद केन्द्रों को खुलवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

अलीगढ़ जनपद में खोले गए सरकारी खरीद केन्द्रों पर निर्धारित गुण-निर्दिष्टियों के अनुरूप धान की खरीद समर्थन मूल्य पर ही की जा रही है । जो धान निर्धारित गुण-निर्दिष्टियों के अनुरूप नहीं था वह व्यापारियों द्वारा कम मूल्य पर खरीदा गया है । कृषकों को समर्थन मूल्य दिलाने के उद्देश्य से सिकन्दराराऊ तहसील में धान खरीद के लिए चार नहीं, अपितु छः क्रय केन्द्र धान खरीद के लिए स्वीकृत हुए थे, जो अकराबाद में दो व सिकन्द्राराऊ में चार केन्द्र विभिन्न खरीद एजेंसियों द्वारा खोले जा चुके हैं, जिन पर खरीद जारी है ।

अलीगढ़ में राजबहा महौ के कुलाबा से एक माइनर निकालने की योजना

35–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि अलीगढ़ जनपद के तैलीय पानी के क्षेत्र में भूगर्भ जल से फसल नष्ट हो जाने के कारण फसल को बचाने के लिए राजबहा महौ के कुलाबा नं0 13 से एक माइनर निकाल कर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की क्षेत्रीय विधायक की मांग पर उन्होंने अपने पत्र संख्या 1166/वी0आई0पी0/85 दिनांक 20-7-85 द्वारा शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था? यदि हां, तो कब तक निर्माण करा दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जांचोपरान्त पाया गया कि प्रश्नकर्ता के पत्र में इंगित ग्रामों में नहर द्वारा सिंचाई

सुविधा उपलब्ध है तथा प्रस्तावित सींच से अधिक सींच हो रही है । ऐसी स्थिति में राजबहा महाँ के कुलाबा नं0–13 की गूल को माइनर में बदलने की आवश्यकता नहीं है ।

राधा कृष्ण विमल कुमार पेट्रोल पम्प, जनपद बस्ती की जांच

36–श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राधा कृष्ण विमल कुमार पेट्रोल पम्प अनौरी, जिला बस्ती की जून, 85 में परगना अधिकारी, बस्ती ने जांच की थी और त्रुटियां पायी गयी और एक कर्मचारी को बन्द किया गया था? यदि हां, तो पेट्रोल पम्प का लाइसेन्स अब तक निलम्बित न किये जाने का क्या कारण है तथा उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? उसके विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह–

जून, 85 में जिला पूर्ति अधिकारी ने परगनाधिकारी, बस्ती एवं अन्य कर्मचारियों के साथ मेसर्स राधा कृष्ण विमल कुमार से सम्बन्धित यम0 पी0 डी0 सी0 (फुटकर मिट्टी तेल के लाइसेंसी) के स्टाक की जांच की थी और जांचोपरान्त अनियमितता पाये जाने के फलस्वरूप पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए फर्म से सम्बन्धित दो कर्मचारियों को बन्द करवाकर विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत यम0 पी0 डी0 सी0 से सम्बन्धित लाइसेंस को निलम्बित कर दिया गया था और बाद में दिनांक 22/23-8-85 को लाइसेंस निरस्त कर दिया गया । मेसर्स राधा कृष्ण विमल कुमार द्वारा मनौरी में पेट्रोल का कोई व्यापार नहीं किया जाता है।

इटौंजा रजबहा के अल्पिका में पानी का न आना

37–श्री रामचन्द्र वख्श सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद बाराबंकी में इटौंजा रजबहा से निकलने वाली सैहारा अल्पिका में पानी नहीं आ रहा है जिसके कारण वहां के कृषकों को अत्यन्त संकट है? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त अल्पिका की कमाण्ड में कितने एकड़ भूमि किन-किन गांवों की है तथा पिछले 6 वर्षों में उक्त अल्पिका से प्रत्येक फसल (रबी व खरीफ) में कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह–

इस अल्पिका में पानी चल रहा है । केवल खरीफ 1393 फसली में इस अल्पिका में पर्याप्त पानी नहीं आ पाया।

इस अल्पिका के कमान्ड में कुल सी0 सी0 ए0 1001 एकड़ है जिसका ग्रामवार विवरण निम्न प्रकार है :–

नाम ग्राम	सी0सी0ए0
1–बेहटा	3 एकड़
2–सेहरा	161 एकड़
3–जबरी खुर्द	18 एकड़
4–दौंडिहारा	529 एकड़
5–कतरा मऊ	14 एकड़
6–बबुरी गांव	276 एकड़
कुल	1,001 एकड़

इस अल्पिका पर प्रस्तावित खरीफ 260 एकड़ तथा रबी 230 एकड़ (कुल 490 एकड़) हैं जिसके विरुद्ध पिछले 6 वर्षों में निम्नलिखित सिंचाई हुई :—

(एकड़ में)

वर्ष (फसली)	खरीफ	रबी	कुल
1—1387	230	90	320
2—1388	25	123	148
3—1389	42	85	127
4—1390	81	306	387
5—1391	143	466	609
6—1392	73	115	183

जनपद बाराबंकी विकास खण्ड सूरतगंज ग्राम तेलवाय में ड्रेन की खुदायी की योजना

38—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में विकास खण्ड सूरत गंज में ग्राम तेलवाय से ग्राम पहाड़पुर तक पानी निकास हेतु ड्रेन खोदाये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-8-85 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है, जिसकी प्राप्ति की स्वीकृति उन्होंने अपने पत्र संख्या 1310/वी0 आई0 पी0/85 दिनांक 17-8-85 द्वारा की गयी है? यदि हां, तो क्या ड्रेन खुदने के आदेश दे दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के सरोजनी नगर में नहरों के पटरियों के मरम्मत की योजना

39—श्री शारदा प्रताप—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर में नहरों के किनारे (बैंक) कटे हुए हैं और पटरियां उबड़ खाबड़ हो गयी हैं तथा झंखाड़ खड़ा है? इनको ठीक कराने तथा साफ कराने की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। नहरों पर ट्रैक्टरों तथा बैलगाड़ियों आदि के आवागमन बढ़ जाने के कारण पटरियां अवश्य कुछ खराब हो गई हैं।

जी हां। वार्षिक मरम्मत का कार्य आवश्यकतानुसार कराया जाता है।

श्री इन्द्रपाल सिंह ब0 ई0 प्रथम उप खंड नलकूप विभाग अलीगढ़ के विरुद्ध गबन का आरोप

40—डा0 बंगाली सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप विभाग अलीगढ़ प्रथम उप खण्ड हाथरस के जूनियर इंजीनियर श्री इन्द्र पाल सिंह ने एक लाख अस्सी हजार रुपये का जो फर्जी पेमेन्ट कराया है, क्या सरकार को उसकी जानकारी है? यदि हां, तो उन्होंने कौन-कौन से कार्य कराये जिसका पेमेन्ट किया गया है? साथ ही इन्द्रपाल सिंह ने पी0 बी0 सी0 पैक सं0-81 को चोरी दिखाकर बेच दिया है? यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। फर्जी भुगतान का कोई मामला विभाग की जानकारी में नहीं आया।

सिकन्दराराऊ, हाथरस स्थित स्टोर से हुई चोरी की रिपोर्ट संबंधित अवर अभियंता द्वारा दिनांक 25-2-85 को पुलिस में दर्ज करायी गयी। पुलिस ने श्री ललिता मोहन नाम के व्यक्ति से 221 मीटर पाइप बरामद कर धारा 379/411

भा0द0वि0 के अंतर्गत मुकदमा न्यायालय सप्तम ए0 एम0 एम0 अलीगढ़ के यहां दायर किया है।

श्री झम्मन सिंह, गोदाम चौकीदार कार्यालय ज्येष्ठ हाट निरीक्षक मथुरा की मृत्यु

41—श्री विजय सिंह राणा—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री प्रश्नकर्ता के द्वितीय सत्र 1985 के तीसरे गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 37 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि श्री झम्मन सिंह, गोदाम चौकीदार, कार्यालय, ज्येष्ठ हाट, निरीक्षक, मथुरा की मृत्यु के संदर्भ में आपने अपने उत्तर में कहा है कि उसकी मृत्यु दिनांक 1-11-82 को प्रातः 9 बजे हुई थी जबकि झम्मन सिंह की मृत्यु दिनांक 31-10-82 को होना बताया गया है? क्या इस संदर्भ में कोई जांच करायी गयी है, जिससे निश्चय हो सके कि उसकी मृत्यु 31-10-82 को हुई थी या 1-11-82 को? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उस रिपोर्ट का तथ्यात्मक आधार क्या है, यदि नहीं, तो जांच न कराने के कारण क्या है?

श्री हुकुम सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

42—श्री श्याम बिहारी सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

43—श्री श्याम बिहारी सिंह—

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

लखनऊ जनपद के सरोजनी नगर में नलकूप

44—श्री शारदा प्रताप—

क्या सिंचाई मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र में जो राजकीय नलकूप हैं, वह किन-किन स्थानों पर लगे हैं तथा किन-किन नलकूपों पर आंशिक वेतन भोगी तथा कितने नलकूपों पर वेतन भोगी कर्मचारी तैनात हैं तथा इन कार्यरत कर्मचारियों के निवासीय पते क्या हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद लखनऊ के सरोजनीनगर विधान सभा क्षेत्र में 41 राजकीय नलकूप हैं जिनके विवरण संलग्न प्रपत्र† के स्तम्भ-4 में अंकित हैं।

11 राजकीय नलकूपों पर अंशकालीन एवं 18 पर नियमित नलकूप चालक कार्यरत हैं तथा 3 एवं 7 राजकीय नलकूपों का दोहरा चार्ज क्रमशः अंशकालीन एवं नियमित नलकूप चालकों पर है। एक नलकूप फेल हो चुका है तथा एक अभी चालू नहीं है जैसा कि संलग्न प्रपत्र† के स्तम्भ 5 एवं 9 से स्पष्ट है।

इन कर्मचारियों के स्थायी एवं वर्तमान पते संलग्न प्रपत्र† के स्तम्भ 7 एवं 8 में अंकित हैं।

उप श्रमायुक्त, गाजियाबाद के विरुद्ध शिकायतें

45—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप श्रमायुक्त गाजियाबाद को इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि ग्राम पूठा हुसैनपुर, तहसील हापुड़, जिला गाजियाबाद के खेत मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो कानून का उल्लंघन करने वाले तत्वों के खिलाफ श्रम विभाग द्वारा कौन सी कार्यवाही की गयी है तथा भविष्य में इस गांव के खेत मजदूरों को निर्धारित

†छापा नहीं गया।

वेतन दिलाने हेतु शासन द्वारा कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

जिन 8 बड़े कृषि निकायों द्वारा निर्धारित दर से कम मजदूरी भुगतान करने की शिकायत पायी गयी उनके विरुद्ध विहित प्राधिकारी, न्यूनतम मजदूरी, गाजियाबाद के समक्ष निदेशवाद दायर कर दिया गया है जिसकी सुनवाई चल रही है। भविष्य में भी उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

ग्राम कुम्हरवा, विकास खण्ड रामनगर, बाराबंकी में सिंचाई की व्यवस्था

46–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम कुम्हरवा में सरकारी नलकूप से वर्ष 82-83, 83-84 व 84-85 में कितने एकड़ सिंचाई हुई तथा कितनी सिंचाई वसूल की गयी? क्या यह सही है कि उक्त नलकूप बेकार पड़ा हुआ है? यदि हां, तो कब से तथा उसकी मरम्मत न किये जाने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम कुम्हरवा में सरकारी नलकूप से हुई सिंचाई एवं सिंचाई वसूली के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :–

वर्ष	सिंचाई क्षेत्र	वसूली हेतु कर निर्धारण
82-83	23 एकड़	979 रुपया
83-84	43 एकड़	1926 रुपया
84-85	30 एकड़	1996 रुपया

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी तथा बस्ती में सस्ते गल्ले की दुकानों का भू0 पू0 सैनिकों में आवंटन

47–श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी और बस्ती जिले में सस्ते गल्ले की अलग-अलग कुल कितनी दुकानें हैं? इनमें से क्रमशः कितनी दुकानें भू0 पू0 सैनिकों द्वारा चलायी जा रही हैं?

श्री हुकुम सिंह–

वाराणसी और बस्ती जिले में सस्ते गल्ले की अलग-अलग कुल 1388 तथा 516 दुकानें हैं। इनमें से क्रमशः 27 तथा 9 दुकानें भूतपूर्व सैनिकों द्वारा चलायी जा रही हैं।

सहायक निदेशक कारखाना, कानपुर की पदोन्नति

48–श्री आसान सिंह–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि श्रमायुक्त कानपुर के अधीन कार्यरत सहायक निदेशक कारखाना के पदों की पदोन्नति में पक्षपात किया गया है और सहायक निदेशक कारखाना श्री वी0 एस0 गौतम को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी पदोन्नति नहीं किया गया है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। श्री वी0 एस0 गौतम, सहायक निदेशक, कारखाना को उप निदेशक, कारखाना के पद पर पदोन्नति की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय में हलर मशीन की खरीद

49–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं

प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर में संयुक्त निदेशक राइस मिलिंग द्वारा बाउचर नम्बर 1883/दिनांक 31 मार्च, 1984 द्वारा सेक्शन हलर मशीनों की खरीद की गयी? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इन हलर मशीनों का न तो अभी तक वैज्ञानिक परीक्षण करवाया और न ही किसानों में बांटी गयीं ? उक्त मशीनें किन-किन किसानों को दी गयीं, उनका नाम व पता क्या है?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं, वाउचर नम्बर 1883 दिनांक 31 मार्च, 1984 द्वारा किसी भी सेक्शन हलर मशीन की खरीद नहीं की गयी है। अतएव हलर मशीनों के वैज्ञानिक परीक्षण एवं किसानों में बांटे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

50–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[दिनांक 12-2-86 को अता0 प्र0 सं0 72 द्वारा उत्तरित।]

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिं0 वि0 के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों में आवास व्यवस्था

51–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिं0 वि0 में वर्तमान समय में तृतीय श्रेणी के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्होंने सरकार से हाउस बिल्डिंग एडवान्स प्राप्त करके लखनऊ में निजी आवास निर्मित करा लिए हैं एवं आवासों को किराये पर उठाकर राजकीय आवासों में रह रहे हैं? क्या सरकार ऐसे सभी कर्मचारियों से राजकीय आवास रिक्त करवाने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसे कर्मचारियों की संख्या पांच है ।

ऐसे कर्मचारियों से राजकीय आवास खाली करवाने के औचित्य का परीक्षण कर विचार किया जायेगा ।

मिर्जापुर में कनहर सिंचाई परियोजना के चालकों का स्थानान्तरण

52–श्री विजय सिंह राणा–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में कनहर सिंचाई परियोजना के चालको के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-7-83 का श्री नरेश चन्द्र जैन, मुख्य अभियन्ता स0 एवं सा0 प्रा0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

रायबरेली के मूंगताल ड्रेन तथा अन्य ड्रेनों पर फर्जी कार्य तथा पेमेन्ट

53–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि (श्री शेर सिंह) मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग को सम्बोधित श्री तेजमान सिंह, भू0 पू0 विधायक ग्राम व पो0 अचलपुर, सुल्तानपुर का दिनांक 9-6-83 का रजि0 पत्र के साथ रायबरेली के ग्राम मूंगताल सिकन्दरामऊ के प्रधानों के प्रार्थनापत्र जिसमें रायबरेली के मूंगताल के ड्रेन तथा अन्य ड्रेनों के फर्जी कार्य दिखाकर पेमेन्ट की शिकायत की गयी है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अब तक कोई जांच की गयी है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे तथा उस जांच रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । उक्त मामले की जांच हो रही है । जांच प्रगति में है ।

सिंचाई विभाग के आशुलिपिकों को समयबद्ध वेतनमान की योजना

54–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग उ0 प्र0 470–735 रु0 के वेतनमान में कार्यरत 250 आशुलिपिकों को शासनादेश सं0 जी-626/दस-84-सं0 व्यय (आ) 84 दिनांक 9-5-84 के अन्तर्गत 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर लेने पर रु0 620–820 का समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सिंचाई बिभाग में वेतनमान रु0 470–735 में कार्यरत कुल 138 आशुलिपिकों को कथित शासनादेश के अनुसार समयबद्ध वेतनमान देय है । इनमें से 74 आशुलिपिकों को समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत किया जा चुका है । शेष 64 आशुलिपिकों को समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है ।

बुन्देलखण्ड तथा कानपुर देहात में असफल नलकूपों का सर्वेक्षण

55–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुन्देलखण्ड एवं कानपुर देहात में किस-किस जिले में कितने नलकूप असफल हो गये हैं और उनके क्या कारण हैं ? क्या नलकूपों के निर्माण के पूर्व भूवैज्ञानिकों एवं भूभौतिकविदों द्वारा सर्वेक्षण कराया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बुन्देलखण्ड के जिला हमीरपुर, बांदा, झांसी तथा जालौन में क्रमशः 16, 13, 4 तथा 10 राजकीय नलकूप असफल हो गये हैं जबकि कानपुर देहात जनपद में ऐसे असफल नलकूपों की संख्या 20 है ।

नलकूपों की असफलता के कारण जल का कम निकास, अनुपयुक्त एवं अपर्याप्त स्टेटा एवं खारा पानी मुख्यतः है । कुछ नलकूप बोर में असामाजिक तत्वों द्वारा ईंटें भर दिए जाने के कारण भी असफल हो गये हैं ।

जी हां, नये क्षेत्रों में छिद्रण करने हेतु भू-वैज्ञानिक एवं भू-भौतिकविदों द्वारा सर्वेक्षण कराया जाता है एवं उनके द्वारा प्रकाशित तकनीकी सामग्री से मार्ग दर्शन भी प्राप्त किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पब्लिक नलकूप योजना में सर्वेयरों की संख्या तथा उनकी प्रोन्नति

56–श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक नलकूप योजना में कितने ऐसे सर्वेयर के पद पर कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार उनकी लिस्ट बनाकर उन्हें जे0 ई0 के पद पर नियुक्त करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पब्लिक नलकूप योजना में 42 सर्वेयर हैं जो सर्वेयर के पद पर कार्य कर रहे हैं ।

जी नहीं ।

प्रदेश में हलर मशीन का लाइसेन्स

57—श्री राम सजीवन—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि मार्च, अप्रैल, 85 से धान कूटने की हलर मशीन लगाने का लाइसेंस देना बन्द कर दिया गया है और केवल मिनी मशीन प्लांट के लाइसेंस दिए जाते हैं? यदि हां, तो दोनों की अलग-अलग कीमतें क्या हैं? क्या हलर का लाइसेंस न देने से अति छोटे उद्यमी प्रभावित हुए हैं और कुछ अच्छी हैसियत के उद्यमी और मिनी राइस प्लांट के निर्माताओं को फायदा पहुंचा है? यदि हां, तो क्या कुटीर उद्योग के हित को ध्यान में रख कर हलर के लाइसेंस जारी करने की कार्यवाही की जायेगी?

श्री हुकुम सिंह—

जी हां।

क्षमता के आधार पर मोटर रहित विविध हलरों के दाम रु0 500.00 से रु0 1500.00 तक हैं। पांच से साढ़े सात कुन्तल धान प्रति घंटा कुटाई क्षमता की की मिनी राइस मिल, जिसमें धान साफ करने, भूसी उतारने, धान अलग करने एवं पालिश करने की इकाइयां होती हैं, की मोटर रहित कीमत लगभग रु0 20,000.00 से रु0 25,000.00 है।

जी नहीं।

हलर के लाइसेंस जारी करने की नीति भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। अतएव प्रदेश सरकार द्वारा इस विषय में स्वयं निर्णय लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भ्रष्टाचार व मंहगाई के विरुद्ध आयोजित 'भारत बन्द' पर नियम 311 के अंतर्गत चर्चा की मांग

(12 बजकर 20 मिनट)

(श्री मुलायम सिंह यादव, नेता विरोधी दल को पुकारे जाने पर।)

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एक प्रस्ताव लाना चाहता हूं। "सदन का यह निश्चित मत है कि नियमों को निलम्बित करके आज कमर तोड़ मंहगाई, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आयोजित 'भारत बंद' पर जनहित में विचार किया जाय?"

श्री अध्यक्ष—

आप इसे नियम 311 के अन्तर्गत उठा रहे हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां, नियम 311 के अन्दर उठा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप केवल ग्राह्यता पर ही कहें।

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां, मैं ग्राह्यता पर ही कहूंगा।

मान्यवर, जो यह प्रस्ताव रखा गया है, यह इसलिए रखा गया है कि आज आप देखेंगे कि पूरे भारत का जन-जीवन तो अस्त-व्यस्त है ही, इस पूरे प्रदेश की 12 करोड़ की जनता का जीवन भी अस्त-व्यस्त हो गया है। महंगाई को लेकर जब जनता स्वयं आन्दोलित हुई, तो उसका परिणाम यह हुआ कि आज पूरे लखनऊ की दुकानें बन्द पड़ी हैं।

(व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी, नेता विरोधी दल बोल रहे हैं, इसलिए सदन की व्यवस्था को बनाये रखा जाय।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आज व्यापारियों ने और जनता ने आन्दोलित होकर अपनी सारी दुकानें बन्द कर रखी हैं। लखनऊ में ही नहीं, कानपुर में ही नहीं, पूरे प्रदेश का जिला प्रशासन और पुलिस अकर्मण्य हो गयी है।

ग्राम्य विकास एवं लंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप नियम 311 को देख लें। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है "कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाये और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो वह नियम उस समय के लिये निलम्बित कर दिया जायेगा। एसी अवस्था में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा, वह अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जायेगी।" माननीय नेता विरोधी दल ने एक प्रस्ताव रखा आपकी अनुमति से कि नियमों का निलम्बन कर दिया जाय। उन्होंने महंगाई के बारे में एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने जो प्रस्ताव रखा नियमों के निलम्बन के सम्बन्ध में क्या उसे सदन ने स्वीकार कर लिया है?

श्री अध्यक्ष–

वह अनुमति मांग रहे हैं।

*श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, नियम 311 की ओर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं। इसमें स्पष्ट लिखा है कि "कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय..." प्रस्ताव ऐसा हो जो सदन के समक्ष पहले से ही हो। चाहे कार्यसूची के अनुसार प्रस्तुत हो या किसी अन्य प्रकार से, उस प्रस्ताव पर नियमों का लागू होना निलम्बित कर दिया जाय न कि किसी विशेष प्रस्ताव को लाने के लिये नियमों को निलम्बित कर दिया जाय। अगर आप ध्यानपूर्वक नियमों को देखेंगे तो विदित होगा कि माननीय नेता, विरोधी दल ने किसी ऐसे प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया है जो सदन के सम्मुख पहले से उपस्थित हो। वह अपना प्रस्ताव किसी और नियम के माध्यम से ला सकते हैं। अतः माननीय नेता, विरोधी दल को यह अनुमति देने से पहले उचित व्यवस्था देने की कृपा करें?

श्री अध्यक्ष–

वे मेरी अनुमति मांग रहे हैं, मैं ग्राह्यता पर सुनना चाहता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनता स्वयं आन्दोलित है और सारे व्यापारियों ने दुकानें और बाजार बन्द कर दिये हैं। दूसरी तरफ प्रशासन और पुलिस के बल पर जबर्दस्ती दुकान खुलवाने की भी कोशिश की जा रही है। भारत बन्द था, लेकिन आज तीन दिनों से पूरे प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं के घरों में घुस-घुस कर लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मैं कल उन्नाव गया था, जो हमारे विधायक बन्द हैं उस सिलसिले में। सीमा सील कर दी गयी है लखनऊ को। अफसोस इस बात का है कि घरों में घुस घुस कर यह पूछा जाता है कि इसमें हिन्दू कौन है और मुसलमान कौन है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज पूरे उत्तर प्रदेश में इमरजेन्सी लागू है, कर्फ्यू लागू है, हजारों लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है, सड़कें बन्द है। आज यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है कि उधर बैठी हुई कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई बढ़ रही है, मूल्य वृद्धि हो रही है। यह सरकार महंगाई पर रोक लगा नहीं सकती, भ्रष्टाचार मिटा नहीं सकती, बेकारी मिटा नहीं सकती, उसी की तरफ से ध्यान बंटाने के लिए आज साम्प्रदायिक तनाव पैदा कर रही है। मेरा खुला आरोप है कि जो उत्तर प्रदेश में तनाव है, कल से आज ज्यादा है। हमारे विपक्ष के जो मुसलमान विधायक थे, उनको गिरफ्तार करके जेल में बन्द कर दिया गया है। गिरफ्तार भी किस समय किया गया, रात्रि में 12 बजे से और 2-1/2 बजे के बीच सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, न उन्हें चाय दी गयी, न पानी दिया गया और न सोने दिया गया। ऐसी कौन सी बात थी, जब वे जग जाते तब गिरफ्तार कर लेते। मेरी जानकारी है कि पूरी रात उनको जगाया गया। जो व्यवहार एक अपराधी के साथ भी नहीं होता है, उससे ज्यादा दुर्व्यवहार उनके साथ किया गया।

मेरा खुला आरोप है कि जो जनता की समस्यायें है उनसे ध्यान बंटाने के लिए यह सरकार इस प्रदेश में साम्प्रदायिक तनाव पैदा कर रही है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई सवाल नहीं हो सकता। चौराहे पर कर्फ्यू लगा है, इमरजेन्सी पूरे प्रदेश में है, इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज इस सवाल को गम्भीरता से लीजिये। कल आश्वासन दिया था माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने, लेकिन आज दो विधायकों हाजी मोहम्मद हयात और श्री काजी कलीमुररहमान, को फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किया है दारुलशफा से। दारुलशफा में सोते हुए विधायक कभी गिरफ्तार नहीं होते थे, एक मर्यादा थी, आप उसको तोड़कर काम कर रहे है। आज भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की 12 करोड़ जनता आन्दोलित है, इसलिए इस पर चर्चा करानी चाहिए। मेरा प्रस्ताव है, उसको आप स्वीकार करें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, वैसे तो पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में एक असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गयी है, मान्यवर, इन्होंने जो घोषणायें की थीं अपने चुनाव मैनीफेस्टों में, आज ये उसका खुला उल्लंघन कर रहे है, यह उसी का कारण है कि आज देश और पूरा प्रदेश ऐसी स्थिति में पहुंच गया है और प्रदेश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि सामान्य जनता सड़कों पर आ गयी है। आज पूरे देश में, आज पूरे प्रदेश में सभी कल-कारखाने, सभी दुकानें जनता ने अपनी स्वेच्छा से बन्द कर रखी है।

हमारे संविधान में देश की जनता को जो प्रदत्त सुविधायें है, उनको उसका प्रयोग यह सरकार नहीं करने दे रही है। आज प्रदेश में हजारों गिरफ्तारियां की गयी है। आज लगता है कि पूरे सूबे में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। आज जो लोग इस शहर में किन्हीं कारणों से अपने-अपने कामों से आये थे बसों के द्वारा या रेलों के द्वारा उन्हें एक जगह पर घेर कर रोक लिया गया

है। जो लोग रोक कर रखे गये हैं, उनके बेचारे बच्चों ने, उनकी स्त्रियों ने या बूढ़े बुजुर्गों ने क्या कसूर किया था जो कि उनके घर वालों को इस तरह से घेर कर रोक लिया गया है?

आज प्रदेश में महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, साम्प्रदायिक वातावरण के खिलाफ, प्रदेश की आम जनता सड़कों पर निकल आयी है और यह जो हमारी सरकार है वह उनको रोकने का काम कर रही है, जो निन्दनीय है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जरा सद्बुद्धि से काम लें नहीं तो जैसे सन् 1975 में आपने इमरजेन्सी लागू करके जो काम किया था उसका परिणाम भी सामने आ गया था कि आप गद्दी से उतर गये थे। आज जो सत्ता के मद में आप हैं और उस मद में चूर होकर गलत काम कर रहे हैं, इससे भी जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। इसलिए आप गलत काम न करें, नहीं तो जैसे आज जनता को अपना जीवन यापन करना मोहाल हो रहा है, कहीं आपको भी अपनी सरकार के चलाना मोहाल न हो जाय। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि माननीय, इस विषय पर आप चर्चा करा दें।

श्री कल्याण सिंह—

माननीय, आज पूरे देश में एक ऐतिहासिक दिन है, पूरा भारत आज बन्द है। जनता के कष्ट, जनता की वेदना इस सीमा तक बढ़ चुकी है कि अपने कष्टों को, अपनी वेदना को व्यक्त करने के लिए आज प्रदेश की और देश की जनता को सड़क पर आना पड़ा है। सरकार की गलत नीतियों के कारण, सरकार के गलत नियोजन के कारण, सरकार की गलत प्राथमिकताओं के कारण महंगाई, बेहद बेरोजगारी तथा गरीबी बढ़ी है। आज के नौजवान का अपना भविष्य अन्धकारमय दिखायी पड़ता है। शासन का खुद का कोई नियोजन नहीं है, कोई नीति नहीं है। प्रदेश में और पूरे देश में आज चारों ओर असन्तोष का, असुरक्षा का वातावरण व्याप्त है।

सरकार की गलत नीतियों के ही कारण आज भुखमरी बढ़ी है। महंगाई ने जनता की कमर को तोड़ डाला है। इसीलिए आज शान्तिपूर्ण तरीके से जनता ने "भारत बन्द" का आयोजन किया है। इस सरकार को उसकी भावना का समादर करते हुए उसकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए था। आज शान्तिपूर्ण तरीके से पूरे प्रदेश के, पूरे देश के बाजार बन्द हैं। पूरा भारत बन्द है। लखनऊ बन्द है। लेकिन उनके शान्तिपूर्ण तरीकों से प्रदर्शन करने के बावजूद उनको कुचलने के लिए नागरिकों पर लाठी चलायी गयीं, उनको घेर कर बन्द रखा गया। यह सब हो रहा है और आज ही नहीं बल्कि गत तीन दिनों से प्रदेश में यह वातावरण चल रहा है। लगता है कि जैसे आज प्रदेश में अघोषित आपात्काल लागू किया गया है। यदि इस सरकार को कोई नाम दिया जाना चाहिए या यह स्थिति यदि कोई नाम देने के लायक है तो फिर इसे 'कर्फ्यू सरकार' का ही नाम दिया जाना चाहिए। आज पूरे देश के अन्दर, प्रदेश के अन्दर जनता की भावनायें उभरी हुई हैं और रोष प्रकट करने के लिए भारत बन्द है, वह जनता की भावनाओं का समादर करता है। आज हमें इस सदन में बैठकर, जनता जो कष्ट उठा रही है, उसकी भावनाओं को मुखरित करना चाहिये।

मान्यवर, जनता को क्या कष्ट है, वह क्या चाहती है। महंगाई क्यों बढ़ रही, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। इन सारी चीजों को रोकने में सरकार नाकाम रही है। इसीलिये जनता ने अपने अहिंसात्मक अस्त्र, भारत बन्द का प्रयोग किया है। मान्यवर, इससे और अधिक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न और क्या हो सकता है ? आप इस सदन की दूसरी कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करा दें। यह सवाल पूरे देश और प्रदेश की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आज पूरा देश बन्द है। माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रस्ताव किया है कि सदन के कार्य को स्थगित करके इस पर चर्चा करायी जाये, उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। अगर जनता की भावनाओं का समादर नहीं किया गया तो जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। जनता की अवमानना होगी और इस सदन की भी अवमानना होगी। इसलिये सारे नियमों को स्थगित करके आप इस पर चर्चा करायें।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, जो प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल ने किया है, उस पर मेरे हस्ताक्षर हैं और मैं उसका समर्थन करता हूं। एक तरफ सरकार निरन्तर महंगाई बढ़ाती चली जा रही है और जब उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो हमारी आवाज को दबाया जाता है, जो हमारे अधिकार हैं उनको दबाया जाता है। हमारे अधिकारों को कुचलने में पुलिस का सहारा लिया जाता है। जिलों में विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है। मान्यवर, भारत बन्द का नारा पूर्णतया सफल है। इस प्रदेश की सरकार खुले रूप से पुलिस द्वारा जनता का दमन कर रही है और साम्प्रदायिक भावनायें उकसा कर बंद को असफल करना चाहती है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। आप इस पर चर्चा करा दें।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, जो प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल ने रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर, यह सदन की आकांक्षाओं का दर्पण है। प्रदेश की जनता की आकांक्षा यह है कि जो महंगाई सरकार ने पैदा की है, उसका विरोध हो जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये हम लोग विचार करें। मान्यवर, मूल बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हमारे बुनियादी आर्थिक ढांचे पर हमला कर रही है, कीमतें बढ़ा रही है और अगर आर्थिक ढांचे पर हमला होगा तो महंगाई बढ़ेगी। आप देख ही रहे हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, मिट्टी के तेल के दाम बढ़ गये हैं और बिजली के दाम बढ़ गये हैं। यह सब बुनियादी आर्थिक ढांचे के अन्तगत है। हर चीज के दाम बढ़ जायेंगे तो जनता को भुगतना पड़ेगा और जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले हैं वह जरूर हैं। हमारे प्रदेश की 12 करोड़ जनता इस मूल्य वृद्धि का विरोध कर रही है। मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही को रोककर आप इस पर चर्चा करा दें।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारी सरकार लगातार पूंजीवादी मार्ग पर चल रही है, जिसके कारण आर्थिक संकट बढ़ा है और उसका बोझ ज्यादा से ज्यादा किसानों और मजदूरों पर तथा जनता पर लादा जा रहा है और उसी का नतीजा है कि महंगाई बेतहाशा

बढ़ रही है । प्रधान मंत्री ने घोषणा की है कि महंगाई बढ़ने से हमारे देश की तरक्की होगी और मान्यवर, आज जीवन की जरूरी चीजों की कीमत इतनी बढ़ गयी है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। हमारी जनता के पास और कोई प्रतिरोध करने का तरीका नहीं रह गया है, कोई विकल्प नहीं रह गया है। सरकार द्वारा जनता की मांगों को कुचलने के लिये पुलिस का सहारा लिया जा रहा है और पुलिस जनता के अधिकारों को कुचल रही है। जगह-जगह डंडे बरसा रही है, गोलियां चला रही है और जेलों में ठूस रही है।जो विरोधी पक्ष के लोग आन्दोलन करते है उनको भी जेलों में भरा जा रहा है और देखा जा रहा है कि सरकार इन तमाम जनतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है। जनवादी अधिकारों को कुचलने के लिए अध्यादेशों की शरण लेकर लोगों को जेलों में भर रही है। 3–3 वर्ष और 10–10 वर्ष तक की सजा देने के लिए अलग अदालतें बैठाने के प्रयास में लगी हुई है और ऐसा लगता है कि इमरजेंसी आ गयी हो, भले ही घोषणा न हो लेकिन कुल मिलाकर हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई है और उसका परिणाम है कि हमारे प्रदेश में नसबन्दी जैसा रोग पनपा है और इनके कर्मचारी इसमें लगे हुए है ।

(व्यवधान के मध्य)

ऐसी हालत में जनता के सामने एक विशाल आन्दोलन के सिवा और कोई चारा नहीं रह गया है और जो यह भारत बन्द का आन्दोलन है, यह समस्या जो निकली है, स्वयं जनता की आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा की जाय।

श्री राम नरेश–

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । आज पूरे देश और प्रदेश की हालत दयनीय हो गई है और इसकी जिम्मेदारी उधर बैठे हुए लोगों की है, सत्ता में बैठे हुए लोगों की है । क्योंकि मूल्य बढ़ते जायेंगे, आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ाने का फैसला करेंगे, नवयुवकों के सामने बेकारी की समस्या खड़ी करके उनको भुखमरी की स्थिति में लाने का काम करेंगे, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम करेंगे, तो मान्यवर, संविधान में इन सारी चीजों का विरोध करने के लिए एक अधिकार मिला हुआ है और उस अधिकार के जरिये शान्तिपूर्ण ढंग से देश के नागरिक कोई निर्णय लेते है और सड़कों पर आकर आन्दोलन का काम करते है और आपकी गलत नीतियों का विरोध करते है तो यह सरकार लाठी डन्डों के बल पर उसे दबाने का प्रयास करती है । भारत-बन्द का नारा दिया गया और आज इस सारे प्रदेश में और देश में सारा कामकाज ठप्प है लेकिन उधर के लोग खुशियां मना रहे है क्योंकि इन लोगों को समस्याओं की जानकारी है ही नहीं कि किसान की रीढ़ कैसे टूट रही है, मजदूर की रीढ़ कैसे तोड़ी जा रही है । आज देश और प्रदेश की जनता की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ जिस तरह से हो रहा है उसके लिए इस रास्ते के अलावा और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं । इसलिए मैं इन शब्दों के साथ, इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने जो प्रस्ताव रखा है और उस प्रस्ताव के समर्थन में माननीय सभी नेताओं ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, इस समय पूरे प्रदेश में 12 करोड़ जो लोग हैं वह सारे के सारे लोग इस समय महंगाई से पीड़ित हैं और जो भी आदमी की रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं । कांग्रेस पार्लियामेन्ट्री पार्टी के जितने भी संसद सदस्य हैं उन्होंने मीटिंग किया और केन्द्र सरकार से केवल इतना कहा था कि यह जो कीमतें बढ़ रही हैं उनको कम किया जाय । मान्यवर, दिल्ली के जितने संसद सदस्य हैं, सारे लोगों की यह राय थी कि जो कीमतें बढ़ाई गई हैं वह उचित नहीं हैं । उत्तर प्रदेश में जो इस समय बढ़ोत्तरी हुई है, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में और प्रदेश के अन्य इलाकों में आदमी के खरीदने की ताकत घटती जा रही है और चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति घटती जा रही है और आज हालत यह हो गई कि इस समय जो दाम बढ़ रहे हैं–पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम 40 सैकड़ा बढ़ गए हैं, चीनी के दाम 40 सैकड़ा बढ़ गए हैं, वनस्पति के दाम 25 सैकड़ा बढ़ गए हैं ।

मेरा निवेदन है कि चूंकि आज किसान बहुत ज्यादा परेशान है और इस सरकार ने अभी तक कोई दाम नीति तय नहीं की है, जब तक यह दाम नीति तय नहीं होगी तब तक पूरे प्रदेश में मंहगाई बढ़ती जायेगी । इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है । बाजार में किसानों के उत्पाद का सही मूल्य नहीं दिया जा रहा है । लागत मूल्य और बाजार मूल्य का कोई रिश्ता नहीं रह गया है । चौगुने-पांचगुने से लेकर 100 गुने तक चीजों के दाम बढ़ गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, वे अविलम्ब सदन में दाम नीति तय करके घोषित करें। यह सबसे ज्यादा अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है कि किसान जो पैदा करता है, उसका बाजार में उसे उचित दाम नहीं मिल पाता है । मान्यवर, मैं संक्षेप में ही कहूंगा । इसके अलावा किसान को बाजार में जो माल खरीदना पड़ता है वह घाटे में खरीदना पड़ता है । गेहूं के दाम 5 रुपये क्विंटल बढ़ाये हैं जबकि फर्टिलाइजर के दाम 10 गुने और 15 गुने बढ़ा दिए हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि चूंकि इस समय पूरे प्रदेश में मंहगाई से ज्यादा और कोई महत्व पूर्ण विषय नहीं है और सरकार तथा सत्तारूढ़ दल में बैठे हुये लोग इस मंहगाई को बढ़ा रहे हैं, इसलिए आप इस विषय पर चर्चा करा दें ।

(व्यवधान)

(संसदीय कार्य राज्य मंत्री को पुकारे जाने पर घोर व्यवधान)

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री(श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम 311 की परिधि की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । सम्मानित नेता विरोधी दल ने जो नियम 311 का हवाला दिया है, नियमों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निलंबित करने का प्रश्न उठाया है और चर्चा स्वीकार करने की मांग की है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, आप देखें, नियम 311 के ऊपर इसके पहले भी वैधानिक आपत्ति उठाई गई थी और आपने कृपा पूर्वक उसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में सुनने की इजाजत दी थी । मैं आग्रह करूंगा कि जितने सम्मानित सदस्य बोल रहे हैं, जिस रोज से यह सदन शुरू हुआ है उसी समय से लेकर अब तक मंहगाई के प्रश्न पर चर्चा चल रही है और आज नियम 311 के अंतर्गत चर्चा की मांग कर रहे हैं।

मान्यवर, इस पार्टी के लोग . . .

(विपक्षी सदस्यों द्वारा अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर जोर-जोर से बोलने पर सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, इसके विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं।

(नेता विरोधी दल श्री मुलायम सिंह यादव अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस दल का और इस प्रदेश के मुख्य मंत्री का यह संकल्प है कि प्रदेश भी खुला रहेगा और इस प्रदेश के प्रधान मंत्री का भी संकल्प है कि देश भी खुला रहेगा . . .

(व्यवधान)

इस पर चर्चा की अनुमति न दी जाय।

(विरोधी पक्ष के कुछ अन्य सदस्य भी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष–

जो नेता विरोधी दल ने प्रस्ताव दिया है उसकी मैं अनुमति नहीं देता हूं और उसे स्वीकार नहीं करता हूं ।

अब मैं नियम 301 ले रहा हूं ।

(श्री मैनेजर सिंह के खड़े होने पर)

मैनेजर सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री मैनेजर सिंह–

श्रीमन्, आपने नियम 311 के सम्बन्ध में नेता विरोधी दल को सुना और दूसरे सारे नेताओं को सुना । माननीय नेताओं ने अपनी राय जाहिर कर दी । उसके बाद आपने माननीय शतरुद्र प्रकाश जी को भी सुना । उसके बाद कई माननीय सदस्य अपनी राय देने के लिए खड़े हो गये । मैं समझता हूं कि जब किसी एक महत्वपूर्ण सवाल पर विभिन्न दलों के नेतागण अपनी राय देते हैं तो फिर दूसरे माननीय सदस्यों को क्यों सुनते हैं? क्या आप नियम की अवहेलना स्वयं नहीं करते हैं ? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आपका जो सुझाव है वह सही है । चूंकि वे इसकी ग्राह्यता पर बोलना चाहते थे, इसलिये मैंने इजाजत दे दी थी ।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

आपने जो व्यवस्था दी है उसके खिलाफ मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री मैनेजर सिंह भी सदन त्याग कर चले गये । श्री यदुनाथ सिंह को छोड़कर विपक्ष के सभी सदस्य सदन से उठकर चले गये)

उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 24 कर्मचारियों का पद एवं वेज बोर्ड के अनुसार वेतन क्रम निर्धारण किए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत मुझे 14 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से मैंने 7 को स्वीकार किया है ।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर,, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना आवश्यक है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 9-1-86 के अनुसार आदेशित कराया जाये। 23 जून 1980 को इन 24 कर्मचारियों को रखने के लिए मेरे द्वारा विधान सभा में प्रश्न भी किए गये और संबंधित उद्योग मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया गया है । आज लगभग 5 वर्ष 6 माह व्यतीत हो गए हैं इन 24 अल्प वेतन भोगी परिवारों के सामने भुखमरी की समस्या हो गयी है ।

अतः शासन से मांग की जाती है कि उन 24 कर्मचारियों को पद एवं वेजबोर्ड के अनुसार वेतन क्रम निर्धारण कर दिया जाए ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे "पत्राचार पाठ्यक्रम" को मान्यता देने तथा उसे आर्थिक सहायता देने की मांग के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

महोदय सदन के माध्यम से शासन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर आकर्षित करना चाहता हूं । इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस देश के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। इसे स्थापित हुए 99 वर्ष पूरे हो गए । उ0 प्र0 सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहमति से पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ करने की सहमति (इस समय 12 बजकर 52 मिनट पर उपाध्यक्ष श्री त्रिलोक चन्द्र पीठासीन हुए) 1973 में ही दे दी थी । जिसके अनुसार 1978 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ कर दिया गया था। उ0 प्र0 सरकार ने उस वर्ष कहा कि सरकार वित्तीय कठिनाईयों से गुजर रही है। फिलहाल उस सत्र से विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रम संचालन हेतु आर्थिक सहायता देना संभव नहीं था । शासन ने पुनः आश्वस्त किया कि वर्ष 1981 से आर्थिक मदद दी जायेगी किन्तु आज 5 वर्ष बीत रहे हैं प्रदेश सरकार ने पत्राचार पाठ्यक्रम चलाने हेतु इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कोई मदद नहीं दी है जिससे इस पाठ्यक्रम को बंद कर देने की स्थिति पैदा हो गयी है । इस पत्राचार पाठ्यक्रम से हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं और लगभग एक सैकड़ा कर्मचारी भी नियुक्त किये जा चुके हैं । जिनका भारवहन इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित परीक्षार्थियों की फीस से संभव नहीं है ।

अतः हमारी मांग है कि उ0 प्र0 सरकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे इस पाठ्यक्रम को अविलम्ब मान्यता दें तथा इसके सुविधापूर्वक संचालन हेतु आर्थिक राहायता भी दें।

रुद्रपुर नगरपालिका जनपद नैनीताल के अधिशासी अधिकारी द्वारा भारी भ्रष्टाचार एवं घोटाले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान रुद्रपुर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा करोड़ों रुपये की नजूल भूमि अनियमित रूप से लाखों रुपये लेकर बेची जाने की ओर केन्द्रित करना चाहता हूं । जब से उक्त अधिकारी ने अपना कार्यभार संभाला है तब से अनेक भ्रष्ट तरीके अपना कर सरकार को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है । लीज के नवीनीकरण के लिए नागरिकों को फर्जी नोटिस देकर

आतंकित कर रहा है एवं भारी रिश्वत ले रहा है । लोगों से भारी धनराशि वसूल कर गरीबों के पट्टे दूसरों के नाम कर रहा है । अधिशासी अधिकारी के उक्त कृत्य के कारण रुद्रपुर की जनता में भारी क्षोभ एवं आक्रोश व्याप्त हो गया है । उक्त अधिकारी के स्थानान्तरण एवं उपरोक्त आरोपों की जांच कराने के लिए दिनांक 17-2-86 से वहां के नागरिक क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं किन्तु प्रशासन ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है । अतः अनुरोध है कि सरकार को तुरन्त कार्यवाही हेतु निर्देशित करें ।

जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी के कतिपय ग्रामों के राजकीय नलकूपों के खराब होने तथा अधिकारियों की लापरवाही के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, जनपद आगरा ब्लाक फतेहपुर सीकरी के विभिन्न ग्रामों में लगे हुए 16 राजकीय नलकूपों रसायनिक तत्व मैंगनीशन, लोहा और बाई कारबोनेट जमा होने से, पाइपों में लगी जालियां फट जाने के कारण 5 राजकीय नलकूप ग्राम साभरा, सोनाठी, नगला जग्गेस, सहनपुर और पाली के गत दो महीने में खराब हो गए हैं और तीन नलकूप ग्राम दाऊपुर, मोहम्मदपुर और इमला वदा शीघ्र ही खराब होने जा रहे हैं । हाल ही में लगे इन राजकीय नलकूपों को क्षेत्रीय जनता ने गंगा अवतरण के रूप में लिया था । लेकिन अब उनके खराब होने के इस शीघ्र क्रम से उनकी फसलें सूख रही हैं और किसान भारी चिंतित और परेशान हैं। जिला प्रशासन आगरा मूक बनकर इस दुर्दशा को देख रहा है ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को शासन के संज्ञान में लाकर दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की मांग करता हूं और राजकीय नलकूपों की इस खराबी का निराकरण करने की प्रभावी कार्यवाही की जाये।

जनपद मेरठ के 'दि बागपत कोआपरेटिव शुगर मिल, बागपत' द्वारा किसानों को उनके बकाये धनराशि के भुगतान कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रिछपाल सिंह बंसल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

जनपद मेरठ के अन्तर्गत 'दि बागपत कोआपरेटिव शुगर मिल, बागपत' दिनांक 1-2-86 से बन्द पड़ी है । गन्ना किसानों का उक्त मिल पर लगभग 7½ लाख रुपया बकाया है । किसानों से विभिन्न प्रकार की वसूली में प्रशासन सख्ती बरत रहा है। इससे इस क्षेत्र के किसानों में रोष एवं असन्तोष व्याप्त है ।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि उक्त बकाया धनराशि उक्त मिल से भुगतान कराने का निर्देश करें ।

मेरठ के बागपत सहकारी चीनी मिल को अविलम्ब चलवाए जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र शर्मा–

मान्यवर, मैं अत्यन्त लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । बागपत सहकारी चीनी मिल बन्द कर दिया गया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं

है । अधिकांश गन्ना क्रय केन्द्र भी बन्द कर दिए गए हैं इससे किसानों को आर्थिक रूप से भारी हानि उठानी पड़ रही है । क्रय केन्द्र ग्राम लुहारी जहां से हड़ताल के दौरान सबसे अधिक गन्ना की आपूर्ति की गई थी, बन्द पड़ा है । किसानों को दो माह का भुगतान भी नहीं किया गया है। गन्ना अभी खेतों में खड़ा हुआ है सरकार की घोषणा व प्रयास के अनुसार किसानों का सारा गन्ना खरीदा जाना चाहिए था ।

अत: मैं सरकार की जानकारी में यह तथ्य इसलिए ला रहा हूं कि अविलम्ब चीनी मिल को चलवा कर किसानों को आर्थिक हानि से बचाने की कृपा करें ।

सुल्तानपुर जनपद में 'धोंपाप' को पर्यटन स्थल घोषित करने तथा गोमती नदी पर चौपारिया दियराघाट पर पुल निर्माण की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिव नारायण मिश्र–

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र बांदा सुल्तानपुर के अन्तर्गत लम्भुवा बाजार के उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर पर ऐतिहासिक स्थल धोंपाप है । श्री राम चन्द्र जी रावण का वध कर अयोध्या लौटते समय इसी स्थल पर गोमती के तट पर स्नान किये थे। इसलिये अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल बन गया है जहां लाखों-लाखों की संख्या में यात्री और पर्यटक स्नान के लिये आते जाते हैं। यह स्थल सीधे अयोध्या नगरी से जोड़ने के लिये गोमती पर पुल न होने के कारण तमाम यात्रियों को भीषण असुविधा का सामना करना पड़ता है। यह मांग आम जनता आजादी के बाद से बराबर करती चली आ रही है। कभी-कभी नावों से पार करने में भीषण दुर्घटना भी हो जाती है। यदि गोमती पर पुल का निर्माण हो जायेगा तो भीषण वर्षा से जो क्षेत्र का इलाका वर्षा से प्रभावित होता है उससे भी बचत होगी ।

मान्यवर, मैं आम जनता की तरफ से सदन के माध्यम से आपसे मांग करता हूं कि आप जन भावनाओं को देखते हुए शासन को निर्देश देने की कृपा करें कि धोपाप को पर्यटन स्थल घोषित करने के साथ गोमती नदी पर चौपारिया, दियराघाट पर पुल का निर्माण शीघ्र कराने की कृपा करें।

दिनांक 24-2-86 को परिवहन मंत्री राजकुमार संजय सिंह तथा संसदीय कार्य राज्य मन्त्री श्री हुकुम सिंह द्वारा सदन में पीठासीन अधिकारी के प्रति अपमान जनक शब्द कहे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 300 की सूचनाएं जो प्राप्त हुई हैं, उनमें एक सूचना श्री मैनेजर सिंह की है।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैंने नियम 300 में सूचना दिया है और औचित्य का प्रश्न बनता है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और संयोग से नेता सदन यहां मौजूद हैं । माननीय सदन की गरिमा की रक्षा करने का दायित्व इस सदन के एक-एक सदस्य पर है और आप पर है, विशेषकर सत्तापक्ष पर है। श्रीमन्, 24 तारीख को मैं यहां उपस्थित नहीं था, लेकिन अखबारों में कार्यवाही पढ़ने को मिली उससे चिन्ता हुई। मैंने 24 तारीख की कार्यवाही देखी है । मैंने देखा है कि हमारे संसदीय कार्य राज्य मंत्री, जिनकी हम तारीफ करते हैं, ने आवेश में आकर आपको श्रीमन इंगित करते हुये आपकी व्यवस्था को उन्होंने चैलेंज किया है। साथ ही अनो-

चित्यपूर्ण शब्दों का उन्होंने आपके लिए इस्तेमाल किया है। मैं समझता हूं कि संसदीय कार्य राज्य मंत्री का यह कार्य अत्यन्त ही खेदजनक है, अनौचित्यपूर्ण और अमर्यादित है। माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने आपके लिए कहा है कि "मेरा आपके ऊपर आरोप है।" व्यवस्था के सम्बन्ध में आपत्ति करना ही अवमानना है, लेकिन उन्होंने आपके आरोपित भी किया है। यह कार्य निहायत "औचित्यपूर्ण" है।

साथ ही परिवहन मंत्री जी ने, जिनके बारे में मैं कुछ कहना अनावश्यक समझता हूं, जिनका इस सदन की गरिमा, व्यवस्था और परम्परा से कोई सरोकार नहीं है, भी ऐसा ही किया है। वह आये दिन उदण्डता और अशिष्टता का व्यवहार अपने गुमान में करते हैं। वह एक राजा के पुत्र हैं, उसका उन्हें बराबर अहम ख्याल रहता है। मैं एक राजा का पुत्र हूं और राजा की कुर्सी पर बैठा हूं और अन्य मंत्री व सदस्य आदि सब लोग उनके सामने प्रजा के रूप में बैठे हैं। उन्होंने तो श्रीमन्, आपको डांटते हुए कहा है, आप पर व्यंग्य किया और कहा कि "आप छोटे बालक नहीं हैं" आपको अगाह करना चाहता हूं कि आप उपाध्यक्ष हैं।" तो इस तरह की उक्ति अत्यन्त अमर्यादित और असंसदीय है। मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं, इस समय नेता सदन मौजूद हैं, मैं समझता हूं कि वह स्वयं इसे स्वीकार नहीं करेंगे और जो उदण्डता सत्तापक्ष के लोगों ने की है, उसे वह पसन्द नहीं करेंगे। इनके लिए रास्ता खुला हुआ है, यदि आपके किसी कार्य से, कार्य संचालन की प्रक्रिया से सत्तापक्ष के किसी सदस्य को असन्तोष है तो वह प्रस्ताव लाकर आपको पदच्युत कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप उस गरिमामयी पद पर विराजमान हैं, उस पद की गरिमा को कायम रखना इनका धर्म है, उसको यह भंग नहीं कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं औचित्य के इस प्रश्न को उठाता हूं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य बलिया ने नियम 300 में जिस औचित्य के प्रश्न को उठाया है उसका मैं समर्थन करता हूं और उसके समर्थन में आगे यह कहना चाहता हूं कि जब माननीय परिवहन मंत्री ने एक आक्षेपात्मक टिप्पणी इस सदन में की थी, तो उसी वक्त मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था और यह कहा था कि यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जाने चाहिए और आपने कहा, निकाल दिया जाएगा किन्तु मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि माननीय सदस्य बलिया ने आज उस कार्यवाही को देखा और उस कार्यवाही में वह शब्द ज्यों के त्यों मौजूद हैं। आदरणीय पीठ की मर्यादा को कायम रखना जहां इस पक्ष का और उस पक्ष का कार्य है वहीं पीठ पर आसीन अधिकारी का भी दायित्व है कि वह देखे कि पीठ की मर्यादा में गिरावट न आने पाये। एक निवेदन मैं और करना चाहूंगा। आपकी पीठ से माननीय अध्यक्ष ने पहले भी एक निर्देश दिया था कि वाराणसी जाकर वहां की स्थिति देखकर जानकारी दें। श्यामसूरत उपाध्याय जी को उन्होंने यह निर्देश दिया था कि वाराणसी जाकर वहां की स्थिति देखकर जानकारी दें। श्यामसूरत उपाध्याय जी को उन्होंने यह निर्देश दिया था कि कल जाकर वह कमेटी अपनी रिपोर्ट सदन में रखेगी। उसके बाद मान लिया कि नेताओं की बैठक में फैसला हो गया था तो उस निर्देश को पीठ को स्वयं निरस्त कर देना

चाहिये था। इसलिये कि वह निर्देश बना रहे और उसका पालन भी न हो तो भविष्य में जो हमारी कार्यवाही को देखेगा तो अजीब स्थिति होगी । तो मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मैनेजर सिंह सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और जिस कमी की ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है, यह सही है कि हमें परिस्थितियों के बावजूद भी अपने आपको संतुलित रखना चाहिये। मान्यवर, आपके प्रति या अध्यक्ष जी के प्रति सदैव हमारा सम्मान रहता है और रहेगा। उत्तेजनावश कोई बात कार्यवाही में ऐसी आ गयी है तो सदैव आपको अधिकार है कि उसको निकलवा दें अगर आप समझें कि वह असंसदीय है। मान्यवर, तिवारी जी ने उस रोज यह बात उठायी थी कि इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय और आपने कहा था कि ऐसी बात कही होगी तो कार्यवाही से उसको निकाल दूंगा। तो माननीय तिवारी जी को जानकारी होगी कि जब कार्यवाही अंतिम रूप लेगी तभी उसको निकाला जाता है। यहां जो कुछ कहा जाता है वह अंकित हो जाता है। तो मान्यवर, मेरा सत्ता पक्ष के विधायकों का, मंत्रिगण का व्यवहार आपके प्रति नम्र और पूर्णतः आस्था, निष्ठा रखकर होता है। कुछ परिस्थिति ऐसी बनी, विशेष परिस्थिति में उत्तेजना में कोई ऐसी बात हो गयी। हमारा प्रयास होगा कि ऐसी बात न हो।

श्री उपाध्यक्ष –

माननीय मैनेजर सिंह और माननीय तिवारी जी ने जो बात उठायी तो उस दिन कुछ शोर ज्यादा था, मैं उस शब्द को सुन नहीं पाया था। इसके अलावा अगर ऐसे शब्द आये हैं तो कार्यवाही से निकाल दिये जायेंगे, यह मैंने कह दिया था।

जहां तक मैं समझता हूं कि डा0 संजय सिंह ने जिन शब्दों का उच्चारण किया था और जो मेरे सामने हैं, उन्होंने कहा था कि "आप बालक की तरह जिद न करें, छोड़ दें" तो मैं समझता हूं कि इससे पीठ की गरिमा को कुछ आक्षेप नहीं लगता है। बालक की तरह जिद कहा था, कोई यह नहीं कहा था कि मैं बालक हूं।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से स्वीकार किया और उसको सफाई कर दी। आप उसकी लीपा-पोती करेंगे तो गड़बड़ हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष–

यह जो सत्यपाल सिंह जी की सूचना है यह नियम के अंतर्गत नहीं आती है, मैं इसको अस्वीकार करता हूं। दूसरी हरिश्चन्द्र, हरीश जी की सूचना थी, यह टीचर्स के बारे में थी। यह नियम 300 के अंतर्गत नहीं आती है। इसको मैं अस्वीकार करता हूं।

भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अंतर्गत सूचित करता हूं कि भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधेयक, 1986 जो विधान सभा द्वारा 17 फरवरी, 1986 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 25 फरवरी, 1986 को वापस प्राप्त हो गया।

तत्कालीन गृह सचिव, उत्तर प्रदेश, पुलिस अधीक्षक फैजाबाद तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फैजाबाद के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर भी अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

विशेषाधिकार की कोई सूचनायें नहीं हैं लेकिन अध्यक्ष जी ने कुछ निर्णय कर लिये हैं, पुरानी जो 85 की सूचनायें थी उनके संबंध में, तो मैं उनको पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

इसको पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

पढ़ा हुआ नहीं माना जा सकता। मैं निर्णय सुना रहा हूं।

"श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री अफजल अंसारी, श्री राम सजीवन तथा श्री मित्रसेन, सदस्यगण, विधान सभा ने दिनांक 23 जुलाई, 1985 को गृह सचिव, उत्तर प्रदेश, पुलिस अधीक्षक फैजाबाद तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फैजाबाद के विरुद्ध सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दी थी।

माननीय सदस्यों ने अपनी सूचना में कहा है कि दिनांक 18 मार्च, 1985 के उपवेशन में श्री सरदार सिंह तथा अन्य सदस्यगण ने कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना के माध्यम से श्री मित्रसेन सदस्य, विधान सभा के घर पर 5 मार्च, 1985 की रात में पुलिस द्वारा किये गये आक्रमण, आगजनी तथा मारपीट का विषय उठाया था तथा सभी संबंधित सदस्यों को सुनने के उपरान्त माननीय मुख्य मंत्री ने सारे मसले को सी0 आई0 डी0 की इन्क्वायरी हेतु भेजने का आश्वासन दिया था।

माननीय सदस्यों की शिकायत है कि तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री की उक्त घोषणाओं के बावजूद सूचना के दिनांक अर्थात 23-7-1985 तक फैजाबाद के पुलिस अधिकारियों ने अपनी कार्यवाही को बन्द नहीं किया और दिनांक 22 मार्च, 1985 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में 13 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल कर दिया।

इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी थी जो तत्कालीन माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री राम रतन सिंह के हस्ताक्षर से प्राप्त हुयी है। तत्कालीन माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि जनपद फैजाबाद में प्रश्नगत मामले से संबंधित 3 अभियोग पत्र पंजीकृत हैं और इन सभी की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है। तत्कालीन माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आगे बताया कि शासन ने सी0 आई0 डी0 से जांच कराने के आदेश दिनांक 20 मार्च, 1985 को जारी कर दिए थे जो सी0 आई0 डी0 को उसी दिन प्राप्त हो गये थे, और सी0 आई0 डी0 ने रेडियोग्राम द्वारा 23 मार्च, 1985 को ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद को सूचित किया कि संबंधित अभियोगों में स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही विवेचना को रोक दिया जाए। तत्कालीन माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि स्थानीय पुलिस द्वारा श्री मित्रसेन तथा कतिपय अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध 22 मार्च, 1985 को आरोप पत्र प्रेषित

कर दिया गया था किन्तु इससे अपराध शाखा द्वारा किये जा रहे जांच कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माननीय मंत्री के अनुसार यह आरोप सही नहीं है कि श्री मित्रसेन के घर हुयी आगजनी व मारपीट की रिपोर्ट पर सी0 आई0 डी0 द्वारा कोई जांच नहीं हो रही है।

प्रश्नगत मामले में पूरी तरह से विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सदन में तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुरूप ही कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री की 18 मार्च, 1985 की घोषणा के संबंध में 23 जुलाई, 1985 को अवमानना के प्रश्न की सूचना दी गयी है। इस प्रकार यह विलम्बित भी है। इसलिए इस मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान का प्रश्न नहीं उठता और मैं इस पर सदन में चर्चा की अनुमति नहीं देता हूं।"

तत्कालीन मुख्य मन्त्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

"श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 31-7-1985 को तत्कालीन मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग एवं सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना देते हुए कहा कि वर्तमान सत्र के तीसरे मंगलवार को उनके द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-17 का गलत उत्तर देकर सदन को गुमराह किया गया है। मा0 सदस्य ने कहा है कि उप निरीक्षक, श्री हरिवंश भारती तथा उप निरीक्षक श्री राम अधार सिंह के विरुद्ध गम्भीर आरोपों के आधार पर ही गोसाईंगंज थाने से हटाया गया था किन्तु बाद में कतिपय व्यक्तियों के दबाव के कारण उक्त श्री भारती को पुनः थाना गोसाईंगंज भेज दिया गया एवं मा0 सदस्य के द्वारा प्रश्न करने की जानकारी पुलिस विभाग को होने के बाद उन्हें पुनः स्थानान्तरित कर दिया गया। जबकि तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि श्री भारती को काफी पहले स्थानान्तरित कर दिया गया था।

मैंने इस विषय में तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री से जानकारी की। तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री ने स्थिति से अवगत कराते हुए बताया है कि उन्होंने तथ्यों की पुनः जानकारी की और उससे स्पष्ट होता है कि सदन में जो उत्तर दिया गया था, वह सही था। तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री ने कहा है कि प्रश्न का उत्तर ठीक दिया गया है तथा उससे सदन को गुमराह नहीं किया गया है, अतएव उनके विरुद्ध विशेषाधिकार भंग तथा सदन की अवमानना का प्रश्न स्वीकार करने योग्य नहीं है।

प्रश्नगत मामले में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस विषय में विशेषाधिकार भंग का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री ने जो उत्तर दिया था, वह गलत था या सदन को गुमराह करने के लिए दिया गया था। अतः मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार भंग तथा सदन की अवमानना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति प्रदान नहीं करता हूं"।

दिनांक 22-8-85 को तत्कालीन मुख्य मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

"श्री जमुना प्रसाद बोस, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 22 अगस्त, 1985 को उत्तर प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन, 1984 के पृष्ठ 7 पर प्रस्तर-22 में उल्लिखित अंश पर आपत्ति करते हुए तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। उपरोक्त प्रस्तर 22 में कहा गया है कि माननीय सांसदों/विधायकों द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्रों को अतिरिक्त प्रमाण-पत्र के रूप में रखा जाय परन्तु आधारभूत निर्णय प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्रों पर ही आधारित हो।

माननीय मुख्य मंत्री से इस सम्बन्ध में जानकारी की गई।

इसी सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 5 सितम्बर, 1983 को श्री राम आसरे वर्मा आदि सदस्यों द्वारा सदन में विधायकों द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किये जाने पर औचित्य का प्रश्न उठाया गया था। उसमें यह कहा गया था कि माननीय विधायकों द्वारा चरित्र, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण-पत्र परिपाटी एवं परम्परा के आधार पर जारी किये जाते रहे हैं। इन प्रमाण-पत्रों को विभिन्न विभागों के अधिकारी अपनी स्वेच्छा से कभी मान्यता देते हैं और कभी नहीं। तत्कालीन माननीय अध्यक्ष ने औचित्य के प्रश्न को अस्वीकृत करते हुए, किन्तु शासन को निर्देश दिया था कि वह देखें कि उसमें कहां और किस तरह से सुधार हो सकता है। उक्त पुस्तिका में उल्लिखित शासनादेश उसी परिप्रेक्ष्य में जारी किया गया प्रतीत होता है।

माननीय मुख्य मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 19 अक्तूबर, 1985 द्वारा यह सूचित किया है कि–

"माननीय विधायकों द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में एक औचित्य का प्रश्न उठाया गया था जिसे दिनांक 5 सितम्बर, 1983 के उपवेशन में माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा अस्वीकार करते हुए यह निर्देश दिये गये कि यह देख लिया जाय कि प्रश्नगत मामले में कहां और किस तरह सुधार हो सकता है। उक्त निर्देशानुसार इस मामले में विचार किया गया और यह ध्यान में रखा गया कि माननीय सदस्यगण पर उनकी कार्य प्रकृति के नाते अनेकों दबाव रहते हैं और कभी-कभी इसके कारण उनकी अपनी सीमायें हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यगण के पास स्वयं की कोई ऐसी मशीनरी नहीं होती, जिससे कि वे समस्त तथ्यों की जांच करा सकें। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में जिन अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है वे सम्बन्धित राजस्व अथवा पुलिस आदि के अभिलेखों से तथ्यों की पुष्टि करके प्रमाण-पत्रों का सम्मान करते हुए उन्हें अतिरिक्त प्रमाण-पत्र के रूप में रखे जाने का निर्णय लिया गया और यह भी व्यवस्था कर दी गयी कि यदि अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र और सदस्य द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र में कोई भिन्नता हो तो अधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र की जांच उससे उच्च स्तर के अधिकारी

से पुन: करा ली जाय। इससे स्पष्ट होगा कि माननीय सदस्यों द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण-पत्रों का पूर्ण सम्मान किया गया है। प्रशासनिक कठिनाइयां, किसी व्यक्ति की नियुक्ति के बाद, उत्पन्न न हों इसके लिये यह आवश्यक है कि जिसकी जाति, निवास तथा चरित्र के बारे में सम्बन्धित अभिलेखों से समस्त तथ्यों की पूरी छान-बीन करने के बाद आश्वस्त हो लिया जाय। इससे यह स्पष्ट होगा कि शासन का विचार माननीय सदस्य की अवमानना का न तो कभी रहा है और न ही कभी हो सकता है।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि पहले माननीय सदस्यों के प्रमाण-पत्रों को कोई विभाग मानता था और कोई नहीं तथा न ही इस सम्बन्ध में शासन के कोई आदेश थे। उक्त शासनादेश माननीय सदस्यों के प्रमाण-पत्रों को आदर देने के लिए ही जारी किया गया है अधिकारी का प्रमाण-पत्र भिन्न होने की दशा में ही ऊंचे अधिकारी से जांच कराये जाने की बात कही गयी है। माननीय मुख्य मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि शासन का विचार माननीय सदस्यों की अवमानना का न तो कभी रहा है और न ही कभी हो सकता है।

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दी गयी जानकारी से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है और मैं इसे अस्वीकार करता हूं।"

तत्कालीन शिक्षा मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

"श्री दिवाकर विक्रम सिंह, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 15 जुलाई, 1985 को माननीय शिक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना की सूचना दी थी। माननीय सदस्य का कहना है कि वर्ष 1985 के द्वितीय सत्र के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 74 में पूछा गया था कि क्या उनके पत्र दिनांक 8-9-83 के साथ सचिव, शिक्षा विभाग को श्री वशिष्ठ कुमार पाण्डेय का कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ था। माननीय शिक्षा मंत्री ने अपने उत्तर में बताया था कि प्रश्नगत पत्र शिक्षा विभाग में उपलब्ध नहीं है। माननीय सदस्य के अनुसार उपरोक्त उत्तर सत्य से परे था क्योंकि लोक दल कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर के अनुसार प्रश्नगत पत्र शिक्षा सचिव के कार्यालय में दिनांक 9-9-83 को प्राप्त हुआ है।

मैंने शिक्षा मंत्री जी से इस मामले में जानकारी प्राप्त किया। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षा सचिव के कार्यालय में वर्ष 1983 के रजिस्टर में प्रश्नगत पत्र की प्राप्ति अंकित नहीं है। उक्त रजिस्टर में वशिष्ठ कुमार पाण्डेय के बारे में बस्ती के विधायक श्री परमात्मा प्रसाद सिंह के पत्र की प्राप्ति तो अंकित है पर श्री दिवाकर विक्रम सिंह का पत्र अंकित नहीं है।

इस मामले में विचारणीय बिन्दु मात्र इतना है कि माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 7-9-83 शिक्षा सचिव को दिनांक 9-9-83 को प्राप्त हुआ या नहीं। माननीय सदस्य के अनुसार लोक दल कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर में उक्त पत्र की प्राप्ति के हस्ताक्षर मौजूद हैं। इसके विपरीत माननीय शिक्षा मंत्री के अनुसार उक्त हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं हैं और शिक्षा सचिव के रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि दिनांक 9-9-83 को अंकित नहीं है। वर्णित परिस्थितियों में दो ही सम्भावनायें व्यक्त

की जा सकती है। या तो पत्र ले जाने वाला व्यक्ति प्रश्नगत पत्र शिक्षा सचिव कार्यालय के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र दे आया अथवा शिक्षा सचिव कार्यालय में प्राप्ति के उपरान्त उपरोक्त पत्र कहीं गुम हो गया।

वस्तुस्थिति चाहे जो भी हो, इतना सत्य है कि शिक्षा मंत्री जी ने कोई गलतबयानी नहीं की है। शिक्षा मंत्री ने अपने उत्तर में यह नहीं कहा है कि माननीय सदस्य का पत्र शिक्षा सचिव कार्यालय में प्राप्त ही नहीं हुआ। उन्होंने सदन में मात्र इतना कहा है कि प्रश्नगत पत्र विभाग में उपलब्ध नहीं है। अत: मेरी राय में यह कहना उचित नहीं होगा कि शिक्षा मंत्री ने जानबूझकर सदन को गुमराह करने की कोशिश की है।

अत: प्रश्नगत सूचना को मैं निरस्त करता हूं ।

(1 बजकर 20 मिनट पर)

1986-87 में विधान सभा के विभिन्न समितियों के लिये सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री उपाध्यक्ष–

1–वर्ष 1986-87 की लोक लेखा समिति तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति के लिए प्रत्येक में विधान सभा के 21-21 सदस्यों,

2–प्राक्कलन समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के लिए प्रत्येक में विधान सभा के 25-25 सदस्यों तथा

3–मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के लिए प्रत्येक में विधान सभा के 16-16 सदस्यों, के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है:–

(क) नाम-निर्देशन की अंतिम तिथि तथा समय ..	3-3-86 को अपराह्न 4 बजे तक
(ख) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तिथि तथा समय ..	4-3-86 को अपराह्न 3 बजे (सचिव विधान सभा के कार्यालय कक्ष में)
(ग) नामों की वापसी की अन्तिम तिथि ..	12-3-86 तक
(घ) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ, तो–	
(1) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति और सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के लिए मतदान ..	18-3-86 को, तथा
(2) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के लिए मतदान	19-3-86 को,

पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.30 बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

4—उक्त निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जायगा।

5—नाम निर्देशन-पत्र विधान सभा सचिवालय के पटल कार्यालय से प्राप्त हो सकेंगे।

जनपद इटावा के लोकबल महामंत्री श्री रमेश सिंह चौहान की अराजक तत्वों द्वारा हत्या कर दिए जाने के संबंध में वक्तव्य

एक सदस्य—

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

[प्राप्त सूचनानुसार श्री रमेश सिंह चौहान की हत्या की पृष्ठभूमि में जमीन संबंधी विवाद तथा आपसी रंजिश होना पाया गया है। श्रीमती शांति देवी पत्नी राम प्रकाश ब्राह्मण निवासी लालपुर नामक एक विधवा स्त्री की 60 बीघा जमीन पर श्री रमेश सिंह व उनके भाई काश्त करते थे इसलिए उक्त विधवा स्त्री के खानदान वाले इन व्यक्तियों से रंजिश मानते थे। दिनांक 27/28-5-77 को रात्रि में रघुबीर आदि द्वारा श्रीमती शांति देवी को मार-पीट कर घायल कर दिया था जिसके संबंध में एक अभियोग अन्तर्गत धारा 147/148/307/452 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ था। इस मुकदमें में मृतक रमेश सिंह के बड़े भाई प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे। इस मुकदमें में अभियुक्तों को न्यायालय से सजा हो गई थी जिससे दोनों पक्षों में विद्यमान रंजिश और बढ़ गयी। खानदान वाले श्री रघुबीर आदि को इस बात का बुरा लगा कि ब्राम्हणों की जमीन इन लोगों के पास चली जाएगी अतः श्रीमती शांति देवी पर दबाव डालकर व समझा-बुझा कर शांति देवी को रघुबीर प्रसाद आदि ने अपने पक्ष में कर लिया। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए इस भूमि को दोनों पक्षों द्वारा जोतने बोने से मना कर दिया गया। इसी जमीन के विवाद को लेकर दिनांक 11-2-85 को मृतक रमेश सिंह की हत्या के मुख्य अभियुक्त अखिलेश कुमार के पिता की हत्या हो गई थी। इस हत्या के मामले में मृतक रमेश सिंह भी धारा 302/120-बी0 भा0 दं0 वि0 का अभियुक्त था।

उपरोक्त रंजिश के कारण बदले की भावना से दिनांक 15-2-86 को 10.30 बजे रमेश सिंह की हत्या, जब वह अनन्तराम के ट्रक द्वारा इटावा आ रहे थे, कस्बा महोवा में अभियुक्तगण अखिलेश कुमार उर्फ लालजी, अवधेश कुमार, हरे राम, हरे श्याम तथा ओम नरायन द्वारा गोली मारकर कर दी गयी। इस घटना के संबंध में एक अभियोग अन्तर्गत धारा 147/148/149/307/302 भा0 दं0 वि0 थाना बकेवर, इटावा में पंजीकृत किया गया। उक्त पांचों अभियुक्त दिनांक 19-2-86 को न्यायालय में आत्म-समर्पण कर चुके हैं तथा जेल में हैं।

उल्लेखनीय है कि मृतक एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था तथा अ-श्रेणी का

नोट:—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हिस्ट्रीशीटर था जिसकी हिस्ट्रीशीट नं0 155 थाना बकेवर में खुली हुई है। यह व्यक्ति डकैतों को भी शरण देता रहा है वर्ष 1983 में यह तथा इसके अन्य भाई डकैत सुरेन्द्र सिंह तोमर (आई0 एस0 92) निवासी गढ़ा मानिक चन्द्र औरय्या को पनाह देते रहे हैं। फूलन देवी गैंग (आई0 आर0 76) को भी जयबीर सिंह ठाकुर व मुन्ना उर्फ शिवबीर सिंह ठाकुर के गैंग में होने के कारण यह तथा इसके भाई पनाह देते थे। मृतक रमेश सिंह तथा उसके भाई नरेश सिंह के विरुद्ध वर्ष 1983 में डकैतों को पनाह देने के संबंध में धारा 216 ए भा0 दं0 वि0 व धारा 10,12,14 उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित अध्यादेश, 1982 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की गई थी । इसके विरुद्ध निम्नलिखित अभियोग थाना बकेवर में पंजीकृत हैं:—

(1) मुकदमा अ0 सं0 50-ए धारा 147/148/325 भा0 दं0 वि0

(2) मुकदमा अ0 सं0 114/81 धारा 324/504 भा0 दं0 वि0

(3) मुकदमा अ0 सं0 157/82 धारा 364 भा0 दं0 वि0

(4) मुकदमा अ0 सं0 76/83 धारा 147/148/149/307/216-ए / 412 भा0 दं0 वि0 व 10,12,14 उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित अध्यादेश, 1982

(5) मुकदमा अं0 सं0 77/83 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट-इस अभियोग में मृतक के कब्जे से डकैती में लूटी गयी 12 बोर बन्दूक बरामद हुई थी।

(6) मुकदमा अं0 सं0 30/85 धारा 302/120-बी भा0 दं0 वि0

मृतक रमेश सिंह द्वारा जिला प्रशासन को अपनी सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र दिए जाने की पुष्ठि नहीं हुई। यह कहना सही नहीं है कि रमेश सिंह की हत्या सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते की गयी है वरन् उनकी हत्या उक्त भूमि विवाद की रंजिश के कारण की गयी है। दोनों पक्षों में आपसी तनाव को दृष्टिगत रखते हुए उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से ग्राम लालपुर में पुलिस बल तैनात है।

माननीय नेता विरोधी दल ने गृह सचिव को 11-2-86 की सायंकाल टेलीफोन पर अवगत कराया था कि इटावा जनपद के कुछ लोगों को जान का खतरा है और वह प्रार्थना पत्र कुछ लोगों के हाथ भिजवा रहे हैं लेकिन लिखित प्रार्थना पत्र गृह सचिव को नहीं प्राप्त हुआ और माननीय नेता विरोधी दल द्वारा दी गयी सूचना पूरी नहीं थी जिसके कारण उस पर कार्यवाही नहीं की जा सकी।

यह कहना सही नहीं है कि उक्त घटना से इटावा अथवा आस-पास के जिलों में आक्रोश व्याप्त है। स्थिति पूर्ण रूप से सामान्य है ।]

पुलिस द्वारा गाजियाबाद के वरिष्ठ पत्रकार श्री शिव कुमार मिश्र के साथ कथित अभद्र व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष—

मद संख्या—9(2) जो है, इसमें माननीय सदस्य की प्रार्थना आयी है। इसलिए इसको स्थगित किया गया।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1986

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला

परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1986 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1986 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1986 को पुर:स्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

कार्य-स्थगन की मुझे 20 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री सत्यपाल सिंह.

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जो सदस्य सदन में नहीं हैं, उनकी सूचनाएं नहीं पढ़ी जाती हैं। जिनकी सूचना है जब उन्हीं को कार्य-स्थगन की अहमियत नहीं है तो नहीं पढ़ी जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है। जितनी सूचनायें प्राप्त हुई हैं नियम 56 के अन्तर्गत उन सबको मैं अस्वीकार करता हूं।

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा), अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा), अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) तथा अनुदान संख्या 37–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 96,56,13,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 12,46,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 34–

चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,01,57,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35- चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 26,93,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36- चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 69,85,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37- चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 53,92,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, 1986-87 का चिकित्सा विभाग का अनुदान इस सदन के सम्मुख रखते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस वर्ष अर्थात् 85-86 में उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक चिकित्सा के अन्तर्गत संक्रामक रोगों का कोई खास प्रभाव नहीं रहा। हमारे प्रदेश के तीन जिला देवरिया, गोरखपुर, बस्ती में मस्तिष्क ज्वर का प्रभाव रहा। इस सम्बन्ध में भारत सरकार से अनुरोध किया गया और भारत सरकार की टीम इन जनपदों में इसके कारणों की खोज करने आयी अनुसंधान के हेतु कि इसका कारण क्या है कि इन जनपदों में और विशेष तौर से विगत चार वर्षों में जिन स्थानों पर इसका प्रादुर्भाव हुआ, वहां पुनः या उसके बगल के गांव से यह चीज उभर रही है। श्रीमन्, इसमें तीन बातें सम्मुख आयीं। पहली यह कि इन जनपदों से सटे हुए प्रदेश और सटा हुआ एक देश जो हमारा सीमावर्ती देश है, वहां से वह मच्छर आते हैं, जिनसे मस्तिष्क ज्वर का प्रभाव हमारे जनपदों में हुआ। दूसरा सूअर पालन, यह बहुत बड़ा अंश है। जो मच्छर सुअर के साथ उसके शरीर में रहते हैं, उनसे मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप हो रहा है। इसको कैसे रोका जाय, इस पर भारत सरकार का चिकित्सा सम्बन्धी जो निदेशालय है, वह अन्वेषण का कार्य कर रहा है। हम अपने स्तर पर कीट नाशक दवाओं का छिड़काव और उसका घनत्व बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार हमारे पश्चिमी क्षेत्र में, आगरा, मथुरा, एटा आदि में मैनेन्जाइटिस का प्रकोप हो रहा है। इसके कारणों की जांच हो रही है। मूलतः आज से साल भर पहले हमारी राजधानी दिल्ली में इसका प्रकोप हुआ था। वहां से उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर, मेरठ में और इस वर्ष आगरा मण्डल के तीन जनपदों में इनका प्रकोप रहा है। इसकी जांच हम अपने स्तर से कर रहे हैं। कीट-नाशक दवाओं के छिड़काव का घनत्व बढ़ा दिया गया है।

मान्यवर, इसकी जो तालिका हमने देखी है, खोज की गयी तो यह नतीजा निकला कि मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित व्यक्ति अगर 24 घंटे के अन्दर चिकित्सालय में लाया गया तो वह निरोग हो जाता है। और अगर विलम्ब से आता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। कुल 1100 व्यक्ति गोरखपुर, बस्ती, देवरिया में पीड़ित हुए और 407 की मृत्यु हुई। इसी प्रकार मैनेन्जाइटिस में भी यह रोग होने के बाद यदि रोगी तत्काल चिकित्सालय में ले जाया जाता है तो वह निरोग हो जाता है। अतएव इन जनपदों में इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन, चिकित्सा विभाग, आकाशवाणी, दूरदर्शन और समाचार-पत्र, इनके माध्यम से यह प्रचारित किया गया कि जो रोगी हो, उसे तत्काल उसके परिवार वालों द्वारा चिकित्सालय में ले जाया जाय तो उसके जीवन की रक्षा हो सकती है। अन्यथा, प्रदेश में इस वर्ष, इसके बावजूद कि भीषण बाढ़ आयी और प्रदेश के अधिकांश जनपद उससे प्रभावित रहे, लेकिन महामारी उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। मान्यवर, उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का एक अंश है। भारत सरकार ने उस घोषणा के अनुसार अपने को सम्बद्ध किया है जिसके अन्तर्गत भारतवर्ष सन् 2000 तक हर व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगा। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हो रहा है और नये चिकित्सालयों की स्थापना का कार्यक्रम वर्ष 1985-86 में 355, वर्ष 1986-87 में 500 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में होगी। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 2 चिकित्सक रहेंगे। अर्थात् हर 30 हजार की जनसंख्या पर सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 2,500 अतिरिक्त नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जायेंगे। आज लगभग 907 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं उत्तर प्रदेश में। सन् 1990 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग 2500 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हो जायेगी और हर 30 हजार की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दो चिकित्सक के साथ उपलब्ध हो जायेगा। अर्थात् हर 15 हजार की जनसंख्या को एक चिकित्सक उत्तर प्रदेश में उपलब्ध हो जायेगा।

मान्यवर, सन् 2000 तक हर 10 हजार व्यक्ति पर एक चिकित्सक उपलब्ध कराने की भारत सरकार की योजना है। उसके अन्तर्गत सन् 1990 तक हम 15 हजार की जनसंख्या पर एक चिकित्सक उपलब्ध करा देंगे। जबकि हम 1980 में लगभग 40 हजार की जनसंख्या पर एक चिकित्सक उपलब्ध कराते थे।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था हेतु धन का अधिक आवंटन किया गया है। मान्यवर, हमारी 80 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है ग्रामीण क्षेत्रों में और 20 प्रतिशत नगरीय क्षेत्रों में। नगरीय जनसंख्या जो हमारी है उनको हम रेफरल चिकित्सा के रूप में परिणत करने का धीरे-धीरे कार्यक्रम चला रहे हैं। हर जिला चिकित्सालय में बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ आंख-कान का विशेषज्ञ—आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर 30 हजार की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और एक लाख की जनसंख्या पर एक उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और हर 4 लाख की जनसंख्या पर एक सामुदायिक उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र—इसकी स्थापना हो

रही है । सन् 1985-86 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में जो निर्मित हो चुके हैं लगभग पन्द्रह, पचास निर्माणाधीन हैं जो सन् 1986-87 के दिसम्बर तक पूरे हो जायेंगे । 98 और निर्माणाधीन हैं जो सन् 1986-87 के मार्च और 1987-88 के दिसम्बर तक पूरे हो जायेंगे। इस प्रकार के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लगभग 355 की स्थापना उत्तर प्रदेश में होनी है । यह स्वास्थ्य केन्द्र तहसील स्तर पर और उन ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में जहां चिकित्सा की सुविधा नहीं है वहां स्थापित होंगे । यह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चार ब्लाकों के बीच में एक अर्थात् स्वास्थ्य केन्द्र 4 लाख की जनसंख्या पर 1 या अधिक की जनसंख्या पर 4 ब्लाकों के बीच एक उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना होगी जिसमें महिला चिकित्सक, पुरुष चिकित्सक, चीड़-फाड़ करने के चिकित्सक, दन्त चिकित्सक, नेत्र चिकित्सक इनकी वहां पर सेवा उपलब्ध होगी, ताकि हमारे ग्रामीण बंधुओं को अधिक दूर न जाना पड़े, उपरोक्त रोगों की चिकित्सा के लिए ।

मान्यवर, इसी सन्दर्भ में यह भी निर्णय लिया गया कि हमारे उन मण्डलों में, जहां राजकीय मेडिकल कालेज नहीं है, उन मण्डलों के मुख्यालयों पर एक विशिष्ट अति विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी । हमारे प्रदेश में मुरादाबाद, बरेली, फैजाबाद और बनारस—ये चार मण्डल ऐसे हैं, जहां राजकीय मेडिकल कालेज नहीं है और बाकी दो पर्वतीय मण्डल हैं—कुमाऊं मण्डल और गढ़वाल मण्डल । कुमाऊं मण्डल में अल्मोड़ा में एक अति-विशिष्ट चिकित्सालय का निर्माण हो रहा है जो वर्ष 1986-87 के अप्रैल और मई माह तक पूरा हो जायेगा । वहां पर विशिष्ट चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी । जैसे हृदय रोग, नेत्र रोग, दन्त रोग, इसी प्रकार की अन्य कई बीमारियां, जिनके लिए हमारे पर्वतीय भाई लखनऊ आते हैं ।

गढ़वाल मण्डल में श्रीनगर नामक स्थान पर अति विशिष्ट चिकित्सालय की स्थापना हो रही है जो 1987-88 के दिसम्बर माह के अन्त तक पूरा हो जायेगा । इसी प्रकार मुरादाबाद में एक मण्डलीय चिकित्सालय की स्थापना हो रही है । शुरू में यह निर्णय लिया गया था कि 300 शैय्याओं का चिकित्सालय बनाया जायेगा लेकिन अब यह निर्णय हुआ है कि जो भी मण्डलीय चिकित्सालय बनाए जायेंगे वे 500 शैय्याओं के होंगे । मुरादाबाद में जो मण्डलीय चिकित्सालय निर्माणाधीन हैं, उसकी भी रूप-रेखा अब 500 शैय्याओं की की जा रही है । जहां नव निर्माण हो रहा है वह 300 शैय्याओं का होगा और जो वर्तमान चिकित्सालय है, उसमें 200 शैय्याओं को बढ़ाकर महिला चिकित्सालय में प्रोन्नत कर दिया जायेगा । 1986-87, 1987-88 और 1988-89—इन तीन वर्षों में प्रत्येक मण्डलीय चिकित्सालय में डाइलेसिस यूनिट की स्थापना हो जायेगी और उन पर्वतीय दो चिकित्सालयों में भी इसकी स्थापना हो जायेगी । 1985-86 में एक डाइलेसिस फैजाबाद में और एक बनारस में स्थापित हो रही है । 1986-87 में एक डाइलेसिस यूनिट की स्थापना मुरादाबाद में स्थापित होगी । 1987-88 में एक डाइलेसिस यूनिट अल्मोड़ा में और एक बरेली में होगी। प्रदेश के हर मेडिकल कालेज में डाइलेसिस यूनिट की स्थापना हो चुकी है।

हमारे प्रदेश में हार्ट सर्जरी और गुर्दे बदलने जैसी सुविधाएं मौजूद नहीं थीं, जिनके लिए चण्डीगढ़, बिल्लोर और बम्बई जाना पड़ता था । इन बीमारियों का इलाज काफी महंगा भी पड़ता है। अब यह निर्णय लिया गया है कि 1986-87 में आगरा

मेडिकल कालेज में किडनी ट्रान्सप्लान्ट की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी और 1986-87 में हृदय रोग, जिसे ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं, की सुविधा लखनऊ मेडिकल कालेज में कर दी जायेगी । लखनऊ मेडिकल कालेज को हमारे मुख्य मंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए दिया भी है । आने वाले वर्षों में ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा इलाहाबाद मेडिकल कालेज, कानपुर मेडिकल कालेज और मेरठ मेडिकल कालेज में भी कर दिए जाने का कार्यक्रम है ।

इसी संदर्भ में बताना चाहता हूं एक हार्ट सर्जरी की लागत 50 हजार रु0 है। एक गुर्दा बदलने की लागत 40 हजार रु0 है । उत्तर प्रदेश में अधिकाश नागरिक इस उपचार के लिए समर्थ नहीं हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने आज से दो वर्ष पूर्व यह निर्णय लिया था कि हम उस व्यक्ति को जिसकी आमदनी 12 हजार रु0 से कम है, उसे पेस मेकर के लिये शतप्रतिशत आर्थिक मदद देंगे । इस वर्ष यह निर्णय लिया जा रहा है कि किडनी ट्रांसप्लाण्टेशन या हार्ट सर्जरी के बारे में जो इसकी लागत आती है, उसका 50 प्रतिशत अंशदान उत्तर प्रदेश शासन उस व्यक्ति को करेगा, जिसकी वार्षिक आमदनी 12 हजार रु0 प्रति वर्ष से कम हो।

इसी संदर्भ में हमारे प्रदेश में एक इन्स्टीट्यूट की स्थापना हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संजय गांधी इन्स्टीट्यूट पर 32 करोड़ रु0 अब तक व्यय किया है प्रथम चरण में, इस पर 70 करोड़ रु0 के व्यय का अनुमान है। प्रयास यह है कि जुलाई, 1986 से इसमें कार्य प्रारम्भ हो जायगा । इस सदन को आपके माध्यम से अवगत कराते हुए मुझे हर्ष है कि भारत सरकार के सहयोग से संजय गांधी इंस्टीट्यूट को जापान से आर्थिक सहायता मिलेगी उपकरणों की आवश्यकता के लिये, जिसकी लागत 36 करोड़ रु0 है। उनसे सहायता मिलने का प्रयास किया जा रहा है और यह उम्मीद है कि इसी मार्च के महीने में, अभी पिछले माह जापान की टीम आयी थी, एक सप्ताह तक लखनऊ में थी, इस मार्च में पुनः उनके विशेषज्ञ आ रहे हैं, जो उपकरणों के बारे में बातचीत करेंगे कि किन उपकरणों की आवश्यकता समयबद्ध होगी। मुझे आशा है कि इस सदन की अनुकम्पा से, भारत सरकार की अनुकम्पा से वह सहायता मिल सकेगी। यह इन्स्टीट्यूट अपनी तरह का एशिया का प्रथम इन्स्टीट्यूट होगा और विश्व का पांचवां इन्स्टीट्यूट होगा । भारतवर्ष में जो इन्स्टीट्यूट आज कार्य कर रहे हैं, उनसे यह भिन्न है । हर इन्स्टीट्यूट में अण्डर-ग्रेजुएट को पोस्ट ग्रेजुएट का पढ़ाने का कार्यक्रम है । इसमें सिर्फ वे व्यक्ति अध्ययन और शोध कार्य कर सकेंगे जो पोस्ट-ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने एम0 एस0 या एम0 डी0 कर लिया है, जो डाक्टरेट करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं । जिस स्पेशलिस्ट कोर्स की स्थापना प्रथम चरण में है, उसके लिये आवश्यक अध्यापकों की नियुक्तियां हो गयी हैं, कुछ हो रही हैं । मार्च के प्रथम सप्ताह में भी अध्यापक, रीडर्स, लैक्चरर्स का चयन करने हेतु चयन समिति बैठने वाली है, उसमें भारतवर्ष के विशिष्ट वैज्ञानिक जिनका सम्बन्ध जन-स्वास्थ्य और चिकित्सा से रहा है, वे उसके सदस्य हैं ।

सबसे महत्वपूर्ण कार्य उत्तर प्रदेश के लिये आज है परिवार कल्याण का । हमारे प्रदेश में 7776 सन्तति प्रति दिन आती है और यह गति 14 वर्ष

तक अगर निरन्तर चलेगी, तो इसमें हर साल कुछ न कुछ बढ़ोत्तरी होगी । आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 12 करोड़ है, सन् 2000 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या होगी ? इसका निर्णय इस सदन को और उत्तर प्रदेश के नागरिकों को लेना है । सन् 2000 में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वर्तमान जन्म-वृद्धि की दर से क्या 23 या 24 करोड़ हो अथवा इस पर रोक लगा कर सन् 2000 तक यह 17-18 करोड़ पर ही रुक जाये ? अथवा 14 वर्षों में 5-6 करोड़ की ही वृद्धि हो ।

उत्तर प्रदेश की गरीबी का मूल कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या । यदि गरीबी का निवारण करना है तो जनसंख्या की वृद्धि के बारे में गम्भीरता का रुख अपनाना पड़ेगा । आज उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 40 लाख लक्ष्य दम्पत्ति है जो कि केरल और हरियाणा की कुल जनसंख्या के बराबर है। इन लक्ष्य दम्पत्तियों से सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास है । परिवार कल्याण के अन्तर्गत, मातृ-शिशु कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस बढ़ती हुई जन्म-दर को रोकने के लिये हमको संबंध स्थापित करने होंगे ।

परिवार कल्याण के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1985 तक 3 लाख 19 हजार लोगों ने नसबन्दी करायी और इसमें उत्तर प्रदेश ने 8वां स्थान प्राप्त किया जबकि 1984 में उत्तर प्रदेश का स्थान 20 वां था । आई० यू० डी० कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश का 30 दिसम्बर, 1984 में 8 वां स्थान था और 31 दिसम्बर, 1985 में आई० यू० डी० कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है । यह निर्णय शासन ने लिया और हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री ने इस कार्यक्रम के पालन में सहयोग दिया, इसके बावजूद कि बड़ा प्रेशर और दबाव पड़ा कि इसे रोक दिया जाये । आज उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र से आगे है, केरल की अपेक्षा मध्य में है । आज महाराष्ट्र का नवां और केरल का सातवां स्थान है । मुझे विश्वास है कि 31 मार्च, 1986 के आते-आते हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे।

श्रीमान्, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने जिलाधिकारियों ने, अस्पताल के कर्मचारियों ने, राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने, सबने मिल कर इसमें प्रयास किया, यही कारण है कि हम इस स्थान तक पहुंच गये । अब प्रश्न उठता है कि लोगों को क्यों हटा दिया गया । किसी शासन की मंशा नहीं होती किसी की रोजी-रोटी को लेने की या किसी के पेट पर लात मारने की, लेकिन इस कार्यक्रम से सम्बद्ध जो लोग हैं जिन्हें 32 करोड़ सालाना वेतन दिया जाता है और यदि हम उनसे अपेक्षा न करें तो फिर क्या करेंगे ? फिर हम क्यों किसी को सेवा में रखेंगे ? क्या आप चाहते हैं कि हम उन्हें सेवा में रखें और उनसे कहें कि कोई काम न करो ? हर कार्य का लक्ष्य होता है । हर व्यक्ति जो नौकरी करता है उसके सामने भी एक लक्ष्य होता है, अपने परिवार को पालने का । हर व्यक्ति जो रोजगार करता है उसके सामने भी एक लक्ष्य होता है अपने रोज-

गार में वृद्धि करने का और उससे परिवार का भरण-पोषण करने का। हर इन्सान जब कदम बढ़ाता है तो उसका एक लक्ष्य होता है कि हम फलां स्थान तक पहुंचे। हर माता पिता का लक्ष्य होता है कि उसका पुत्र पढ़े लिखे, हर मां बाप चाहते हैं कि उसका बेटा आगे बढ़े। हम लक्ष्य विहीन नहीं हैं, हर कोई लक्ष्य रखता है और हमसे कहा जाता है कि लक्ष्य विहीन रहो। जिनको मान्यवर, हमने निकाला है, मैं सदन के माध्यम से उन लोगों का आवाह्न करता हूं कि जो नौकरी से निकाले गये हैं, अगर वह इस बात पर तैयार हों कि वह अपने लक्ष्य की पूर्ति करेंगे तो उनको शासन सेवा में ले लेगा। तीन वर्षों में कुछ नहीं किया, एक भी आदमी को प्रेरित नहीं किया और 10,376 रुपया वेतन लेता रहा, तो क्या मैं उसकी आरती उतारूंगा? अगर हम ऐसा करेंगे तो बढ़ते हुये संक्रामक रोग को कैसे रोक पायेंगे, महामारियों से कैसे बचा पायेंगे? कोई कार्य नहीं करेगा और 154 करोड़ रुपये वेतन बांट दिया जायेगा। मान्यवर, सदन का कोई भी सदस्य इस बात से सहमत नहीं होगा कि किसी को बिना कार्य किये 154 करोड़ रुपया दिया जाये। मान्यवर, देश आजाद हुये, 1951 1952 के संविधान के अनुसार उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री आये और जब वह चले जाते हैं तो वह सार्वजनिक जीवन से हट जाते हैं, उनकी चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। शासन ने यह निर्णय लिया है कि हर भूतपूर्व मुख्य मंत्री को उसकी चिकित्सा की सुविधा दी जाये, सारा धन उत्तर प्रदेश शासन देगा, जैसे राज्य कर्मचारियों और अन्य लोगों को दिया जाता है। यह मुख्य मंत्री पद की गरिमा को देखते हुए किया गया है, उस स्थान की गरिमा को देखते हुए किया गया है। प्रजातंत्र में कोई आदमी बराबर नहीं रहता है, इसलिये मुख्य मंत्रियों को यह सुविधा दी जायेगी, यह निर्णय किया गया है।

हमारे प्रदेश में जूनियर डाक्टर्स हैं, एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वैदिक चिकित्सा पद्धति है और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति है, हर चिकित्सा पद्धति में यह है कि समय निर्धारित है कि शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त इतने दिन तक सेवा करना पड़ेगा। एलोपैथी में एक वर्ष है, होम्योपैथी में एक वर्ष है और आयुर्वेद में 6 महीने है। आज एलोपैथी में इन्टर्नशिप के लिये 500 रुपया दिया जाता है, शासन ने निर्णय लिया है कि उनको 625 रुपया दिया जाये। आयुर्वेद में 400 रुपया दिया जाता है, इसको 500 रुपया दिया जाये और होम्योपैथी में 300 रुपया दिया जाता है, इसको बढ़ाकर 400 रुपया कर दिया गया है। आयुर्वैदिक होम्योपैथी के छात्रों को यह सुविधा 1 अप्रैल, 1986 से, एलोपैथी के छात्रों को यह सुविधा 2 अक्टूबर, 1985 से दी जायेगी। उस दिन वह मिले थे और उन्होंने इसकी मांग की थी। इसी प्रकार हाउस आफीसर, सीनियर रेजीडेन्ट, जूनियर रेजीडेन्ट, चीफ रेजीडेन्ट, डिमान्सट्रेटर हैं तो हाउस आफीसर को 15 प्रतिशत सीनियर रेजीडेन्ट को 18 प्रतिशत जूनियर रेजीडेन्ट को 17 प्रतिशत तथा पी0 जी0 रेगुलर भत्ता 20 प्रति0 इनका भी वेतन बढ़ाया जा रहा है। एलोपैथी, आयुर्वैदिक और होम्योपैथी में 50 रुपये से 100 रुपये किया जा रहा है, इनका वेतन बढ़ाया जा रहा है।

श्रीमन् उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा के बारे में कहूंगा। हमारे 6 मेडिकल कालेज हैं उत्तर प्रदेश में 9 होम्योपैथिक कालेज हैं और 9 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हैं तथा 2 तिबिया कालेज हैं। मान्यवर, उनकी व्यवस्था और आज की आवश्यकता विशेष रूप से एलोपैथिक जगत में प्रगति इतनी तीव्र है कि हम उसके साथ नहीं चल पा रहे हैं। श्रीमन्, मैं अभी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक हफ्ता था, मैंने अपने सचिव से भी कहा कि हमारे जो मेडिकल कालेज के चिकित्सालय हैं वह राम मनोहर लोहिया अस्पताल से 100 वर्ष पिछड़े हैं, हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे, उसके पहले मुझे दिल्ली का स्तर नजदीक है, उस पर पहुंच जाना चाहिए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और हमारे 6 मेडिकल कालेज हैं इनमें डायलिसिस की यूनिट लग गयी, कार्डियक यूनिट लग गयी और न्यूरो सर्जरी यूनिट लग गयी, कार्यक्रम बन गया है और सन् 1990 तक हर मेडिकल कालेज में हार्ट सर्जरी की व्यवस्था करने जा रहे हैं।

श्री श्रीनाथ सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी विधायकों की सुविधा को भी बता दें।

श्री लोक पति त्रिपाठी–

मान्यवर, विधायकों की सुविधा अध्यक्ष जी के विचाराधीन है। जहां तक स्वास्थ्य विभाग की सुविधा की बात है, जो भी विधायक हमारे स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सालय में रहेगा उसको वह सारी सुविधाएं स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी जायेंगी जैसे जांच पड़ताल, भोजन, आवास आदि।

एक सदस्य–

मान्यवर, दारू की सुविधा मिलेगी।

श्री लोक पति त्रिपाठी–

दारू हम नहीं बेचते हैं। जो हमारे विधायक हैं, बलरामपुर चिकित्सालय और बनारस चिकित्सालय में उनके चिकित्सक से जो दवा लिखा लेंगे वह उनको मिलेगी, चिकित्सक के प्रिस-क्रिप्शयन पर, चिकित्सक की पर्ची पर जो दवा लिख दी जायेगी वह दवा विधायकों को मिलेगी। अन्य सुविधाए अध्यक्ष जी के विचाराधीन है। श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मुझे विश्वास है कि यह सदन इसको स्वीकार करेगा।

(मेजों की थपथपाहट)

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

मान्यवर, मुझे बोलने का मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष–

कटौती का प्रस्ताव माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी का था, वह नहीं है।

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

मान्यवर, साल में एक बार तो इस पर बोलने का मौका मिलता है। मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखना चाहता हूं। इस पक्ष के जो माननीय सदस्य लोग हैं, उनको आप मौका दीजिए, बाकी लोगों को जाने दीजिए।

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं, मान्यवर, 1974 से लेकर आज तक लगातार मुझको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस चिकित्सा स्वास्थ्य के बजट पर बोलने का मुझे अवसर मिला।

(इस समय 2 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुये)

और श्रीमन् इसी दौरान तीन वर्ष तक सन् 77 से लेकर सन् 80 तक इसी बजट

पर कटौती का प्रस्ताव रखने का सौभाग्य भी मुझे मिला लेकिन आज मैं जितनी कठिनाई अनुभव कर रहा हूं उतनी पहले कभी नहीं की। मैं यह तय नहीं कर पा रहा हूं कि कहां से शुरू करूं इस पर बोलने के लिये। मैं नई बात का जिक्र करूं या पुरानी बात का जिक्र करूं। श्रीमन्, इस सिलसिले में मुझे एक शेर याद आता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़ दूं—....

भला हुआ जो मयस्सर न हुई मायूसी,
बुरा किया जो तेरे वादे पर एतबार किया।

श्रीमन्, मैं सोचता हूं कि मैं पहले पुराने वायदों की तरफ ही इनका ध्यान आकर्षित करूं और फिर आगे चलूं। मैं गत वर्ष के अपने बजट भाषण से शुरू करता हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने डायलिसिस की यूनिट की बात कही। हर मेडिकल कालेज में डायलिसिस यूनिट की स्थापना कर दी है और करने जा रहे हैं। मशीनें भी आ गई हैं। लेकिन जहां-जहां आपने ये डायलिसिस यूनिटें स्थापित की हैं वहां पर रोज-मर्रे का खर्चा कहां से आयेगा, केमिकल्स का खर्चा कहां से आयेगा? आज तक मेंटीनेन्स फण्ड की व्यवस्था आपने कहीं पर भी नहीं की है। आपने 1983 में यह आश्वासन दिया था इस सदन के अन्दर कि आगरा में 100 शैय्याओं वाले एक आपतकालीन चिकित्सालय का निर्माण कराया जायेगा। 1984 में आप स्वयं आगरा गये थे। आपने उसकी आधारशिला रखी थी, मैं आपको याद दिला दूं। आज आपने सदन को सूचना दी है, सदन के माननीय सदस्यों को सूचित किया है कि साढ़े ग्यारह लाख रुपये आपने गत वर्ष उसके लिए आवंटित किया था। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन साढ़े ग्यारह लाख रुपयों में से आज की तारीख तक कितना खर्च हुआ। और श्रीमन्, अगर मेरी सूचना को सही माना जाय तो उन साढ़े ग्यारह लाख रुपयों में से एक लाख रुपया भी उसमें खर्च नहीं हुआ। आधारशिला के समय जो ईंट आप वहां पर रख आये हैं उसके अलावा दूसरी ईंट नहीं रखी गई। दो साल हो गये हैं।

श्रीमन्, 1984-85 में साढ़े ग्यारह लाख की बात कही गई थी। 1986-87 में इस मद में कितने धन की व्यवस्था आप करेंगे इसका जिक्र कहीं नहीं किया। मैंने गतवर्ष निवेदन किया था कि सरोजिनी नायडू चिकित्सालय में जो पोस्ट-मार्टम कक्ष हैं उनकी इतनी दुर्दशा है कि वहां पर एक मिनट भी आप खड़े नहीं हो सकते हैं। उसका फर्श टूटा हुआ है, खिड़कियां टूटी हुई हैं, छतें चू रही हैं। मैंने कहा था कि इसका जीर्णोद्धार कर दें किन्तु आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। बाल रोग विभाग के बारे में आपने जिक्र किया। बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम में भी है। आपने सन् 1983 में वायदा किया इसी सदन में कि इसी वर्ष आगरा में बाल रोग विभाग का उच्चीकरण किया जायेगा लेकिन आज जो सूचना मिली है जिसमें कहा गया है कि वह उच्चीकरण 1986-87 में प्रस्तावित है, उसका उच्चीकरण इस वर्ष होगा। श्रीमन्, आगरा में बाल रोग विभाग की जो दुर्दशा है, जहां छोटे-छोटे बच्चे तमाम प्रदेश से इलाज के लिये जाते हैं, उस भवन में आप चले जायं तो तौबा कर जायेंगे। उसकी छतें चू रही हैं, सारा सीवर चोक्ड है, बिजली नहीं है, सीलन की वजह से शार्ट-सर्किट

होता रहता है, किसी समय भवन गिर जाय तो कितने बच्चों की जान चली जायेगी, कब क्या हो जाय, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन आज की तारीख तक कुछ नहीं किया गया जब कि पिछले तीन वर्षों से इस शासन के निदेशालय को वहां से लिख-कर भेजा जाता रहा है। लेकिन आज तक श्रीमन्, कोई ध्यान इस ओर नहीं दिया और आप 20 सूत्री कार्यक्रम में बाल रोग निवारण में भागीदारी की बात करते हैं।

एक बात नर्सों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। आज नर्सों की दुर्दशा हो रही है उनका उत्पीड़न हो रहा है आपके विभाग द्वारा मैंने पिछली बार भी आपसे जिक्र किया था। आपने चमोली में गोपेश्वर में नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया है। सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण केन्द्र। उसमें 15, 20 लड़कियां भर्ती हैं वहां पर आज तक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की शिक्षा नहीं दी गयी है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, पलंग की व्यवस्था नहीं है, पंखे आदि की कोई सुविधा नहीं है। झांसी से वहां कोई ट्यूटर गयी है। जब लड़कियों ने इस बात की शिकायत ट्यूटर से की तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने उनसे कहा कि प्रैक्टिकल करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपको तो देह व्यवसाय करना है। तो जब इस प्रकार की ट्यूटर होगी तो किस प्रकार प्रशिक्षण मिलेगा इन छात्राओं को। प्रशिक्षणार्थियों ने शिकायतें की तो इस व्यवहार से कुपित होकर वहां की ट्यूटर ने दो छात्राओं को टरमिनेट कर दिया लेकिन आपके डायरेक्टरेट में बैठे लोगों ने इस बात को जानने की जहमत गवारा नहीं की कि इन लड़कियों को क्यों निकाला जा रहा है और उन्होंने उस ट्यूटर के आदेश को स्वीकृति दे दी। वह दो छात्रायें आज सड़कों पर घूम रही हैं। तो वहां जो कमी थी उसकी तरफ ध्यान आकर्षित उन छात्राओं ने किया। जब मैंने निदेशालय में अधिकारियों से इसका जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि हमारी जानकारी में यह बात आ चुकी है और जब लड़कियां इनके पास आईं तो उनसे कहा कि आप पहले वहां माफीनामा देकर आईये, उसके बाद आपकी प्रार्थना पर विचार होगा। यह बड़े दुख की बात है इसे आप देखने का कष्ट करें। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जहां नर्सें काम कर रही हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है, असामाजिक तत्वों का सामना उनको करना पड़ रहा है। यह भी देखने की बात है कि उनको आप कितनी कम तनख्वाह देते हैं जो 24 घंटे सेवा करती हैं।

श्रीमन्, मैंने लगातार अपने पिछले भाषणों में निवेदन किया था कि एक रीजनल ब्लड बैंक की स्थापना आगरा में की जाय। तीन वर्ष पहले आपने इस विधान सभा में आश्वासन दिया था कि आगरा में लखनऊ की तरह रक्त कोष की स्थापना होगी लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि जिस बोतल में खून इकट्ठा किया जाता है, वह ए0 सी0 डी0 बोतल वहां नहीं है, जिससे ब्लड निकाला जाता है उसके लिए सुई और ट्यूब नहीं है, ब्लड ग्रुप का मैचिंग व क्रास मैचिंग करने के लिए कांच की स्लाइड नहीं है, केमिकल्स नहीं है तो कैसे काम होगा? आगरा में इलाज के लिए केवल आगरा के ही लोग नहीं आते हैं बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग भी आते हैं। तो श्रीमन्, जो आश्वासन आपने दिया है उसे पूरा करने की कृपा करें। आपके अधिकारी

आपको गुमराह करते हैं आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें। मेरा निवेदन है कि सदन में जो आप आश्वासन देते हैं उनकी मानेटरिंग करने के लिए एक मानेटरिंग सेल बना दें अपने डायरेक्टरेट या शासन स्तर पर जो यह देखें कि जो आश्वासन सदन में दिये गये हैं उनका कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपके अधिकारी कह देते हैं कि बहुत सही काम चल रहा है लेकिन काम इतना सही नहीं चल रहा है।

अब मैं मान्यवर, राजकीय केन्द्रीय औषधि भण्डार की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं पिछली बार, उससे पहले और उससे पहले सालों में भी आपका ध्यान आकर्षित करता आया हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय कौशल जी, आपके कहने पर चर्चा शुरू कर दी है। लेकिन आप न कटौती कर रहे हैं और न बढ़ोत्तरी कर रहे हैं। चर्चा में आपने अपने क्षेत्र की बात कह दी, इसलिए समय सीमा 10 मिनट रहेगी। आपको उससे ज्यादा समय हो गया है, इसलिए आप जल्दी समाप्त करें।

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

श्रीमन्, आगरे के सम्बन्ध में बात कर रहा हूं और मंत्री जी ने जो बजट भाषण दिया उस पर थोड़ी रोशनी डाल रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

10 मिनट का समय था, जो हो गया है। इसलिये आप अब संक्षेप में अपनी बात कहें।

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

मान्यवर, विरोध पक्ष नहीं है, सत्ता पक्ष के लोग हैं, इसलिये समय बढ़ा दें।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षेप में कहें।

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने राजकीय औषधि भंडार के कार्यकलापों की जांच के लिए मेरी अध्यक्षता में एक सब-कमेटी बनाई थीं, जिसमें तीन सदस्य थे। उसकी अंतरिम रिपोर्ट भी भेजी थी लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि उस रिपोर्ट का क्या हुआ है। उसका यदि 50 प्रतिशत अमल करते तो आज जो घोटाला और अनियमितताओं की चर्चा होती है, वह नहीं होती।

मान्यवर, आज ग्लूकोस कांड को देखें। मुझे मानसिक कष्ट होता है, एक डाक्टर होने के नाते कि जो ग्लूकोस यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 से खरीदा गया वह खराब निकला। सचिव, स्वास्थ्य, ने बयान दिया है, जिसको पढ़ रहा हूं। यह अंग्रेजी में है, हिन्दी में अनुवाद बाद में कर दूंगा– "ही स्ट्रेस्ड दैट इट वाज नो हार्ड टास्क फार दीज डाक्टर्स टू हैव टैम्पड विद दि पैक्ट्स एण्ड काज्ड फंगल ग्रोथ टू टेक प्लेस"

हिन्दी में है कि डाक्टरों के लिये यह कठिन कार्य नहीं है कि वे ग्लूकोस के पाउच में पंक्चर करके फंगल पैदा कर दें। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान और नहीं हो सकता है कि इम्पलायर अपने इम्पलाइज की ईमानदारी व नीयत पर शक करे। बल्कि इनको चाहिए था कि इसकी वह जांच कराते कि जो ग्लूकोस अस्पतालों में यू0 पी0 डी0 एल0 द्वारा बेचा जा रहा है उसमें कोई दोष तो नहीं है। यह न करके

उल्टे डाक्टर की ईमानदारी पर शक किया ।

मान्यवर, जब यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 की बात चली है तो उसमें मैं कहना चाहूंगा कि वहां जो दवाइयां खरीदने वाले हैं, वही दवाइयां बेचने वाले भी हैं क्योंकि मेडिकल हेल्थ सेक्रेटरी जो हैं, वही यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 के चेयरमैन भी हैं। मान्यवर, यू0पी0डी0पी0एल0 के चेयरमैन, मेडिकल सेक्रेटरी को नहीं होना चाहिए और यह बात मैंने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में भी कही थी । आप ताज्जुब करेंगे कि आज जो यू0पी0डी0पी0एल0 में घाटा हो रहा है, उसका कारण है कि वह रा-मैटेरियल 10 प्रतिशत ज्यादा कीमत देकर खरीदता है। अनाप शनाप खर्चे हो रहे हैं । आज उनके पास 12 दवाईयां ऐसी हैं जो कई वर्षों से डम्प पड़ी हैं और वह तीन करोड़ रुपये की दवाईयां हैं । उनमें से 3-4 दवाईयां जो खरीदी जा रही हैं वह बेकार हैं । यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 ने डाइरेक्टर, हेल्थ, को पत्र लिखा कि इन दवाओं को आप खरीदें, डायरेक्टर हेल्थ ने लिखा कि यह दवाईयां इस्तेमाल की नहीं हैं लेकिन फिर भी उनको खरीदा जा रहा है और वह भी ज्यादा कीमत देकर क्योंकि बाजार में जो दवाई 5 रुपये की है, यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 10 रुपये की देता है । ग्लिसरीन 19 रुपये की है लेकिन वह 79 रुपये की यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 देता है । तो इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है । इसलिये मंत्री जी इसकी जांच करा लें कि यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 में इतना ज्यादा घाटा क्यों हो रहा है ।

मान्यवर, पिछले दिनों स्वास्थ्य भवन के स्टोर में जो आग लगी उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि इसके पीछे बहुत बड़ा षडयंत्र है और यदि आप जांच करायेंगे तो सारी बातें साफ हो जायेंगी। श्रीमन्, थोड़ा सा समय और आपसे चाहता हूं। मंत्री जी ने अभी मेडिकल कालेजों की बात कही, यहां पर संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुयेट इंस्टीट्यूट बन रहा है, लेकिन जब आपकी इमारत सौ साल पुरानी है और आप उस पर एक मंजिल, दो मंजिल और तीन मंजिल बनाते चले जा रहे हैं तो नतीजा क्या होगा? आप पुरानी इमारत पर मंजिलें बनाते चले जायेंगे तो वह मंजिलें गिरेंगी ही । उसी तरह से जो छात्र पास होकर निकलते हैं, उनका स्तर क्या है, क्या वह वहां शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे? यह आपके देखने की चीज है। एम0 बी0 बी0 एस0, एम0 डी0, एम0 एस0 की पढ़ाई में छात्रों का स्तर क्या है, वह आपसे छुपा नहीं है। पिछले दिनों आगरा मेडिकल कालेज में एम0 बी0 बी0 एस0 का जो प्रेक्टिकल इक्जामिनेशन हुआ, उस समय वहां कालेज में केमिकल्स नहीं थे, रीजेन्ट्स नहीं थे। इसलिए उनका इम्तहान ही नहीं लिया गया, परन्तु बिना इम्तहान के उनको पास कर दिया गया। तो ऐसे लड़कों को आप पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में शिक्षा देंगे तो वह कैसे शिक्षा ठीक से ग्रहण कर पायेंगे ? जबकि उनकी नींव ही सही नहीं है, वह कमजोर हैं । आपको पहले अपने मेडिकल कालेजों में देखना चाहिए कि बच्चों को शिक्षा उसमें कैसी हो रही है ।

आज सरकारी अस्पतालों के पैथोलाजी और रेडियोलाजी आदि विभागों में आप चले जाइये, आप पायेंगे कि वहां पर लायसोल नहीं है, क्लोरोफार्म नहीं है, ग्लास स्लाईड्स व कवर नहीं हैं तथा रेजेन्ट व माइक्रोस्कोप नहीं हैं ।

यदि किसी नागरिक का आज एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे जब मेडिकल कालेज में ले जाया जाता है तो वहां मालूम पड़ता है कि उसकी मरहम पट्टी के लिए वहां पर स्ट्रीचिंग निडिल नहीं है, थ्रेड नहीं है, टिंचर-आयोडीन और टिंचर बायन्जीन सरीखी आवश्यक दवायें नहीं है और यहां तक कि वहां पर बैन्डेज नहीं है, काटन नहीं है, और टेप नही है । यदि हमारे अस्पतालों में उसके लिए कुछ है ही नहीं तो उसे अस्पताल जाने की क्या आवश्यकता है, वह घर पर ही अपनी देखभाल कर लेगा । पहले आपको अपने मेडिकल-कालेजों पर ध्यान देना चाहिए । आप जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बनवा रहे हैं, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं आप उनको बनवाइये, लेकिन मेडिकल कालेजों पर भी आप पूरा ध्यान दीजिए और उनको मजबूत व सुविधा सम्पन्न बनवाइये । एक बात मैं पेसमेकर के बारे में कहना चाहता हूं। आगरा में 15 दिन पहले एक डाक्टर को हार्ट-अटैक हुआ... (व्यवधान) किन्तु 30 साल के उस डाक्टर को आगरा मेडिकल कालेज में पेस मेकर नहीं लग सका और उसको दिल्ली आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज में ले जाना पड़ा । तो आपकी ऐसी व्यवस्था से क्या फायदा जब एक डाक्टर को ही पेस-मेकर की सुविधा नहीं मिल सकी। हमारे इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट्स हैं, वहां भी हालत बहुत खराब है, वहां पर प्रापर इक्वीपमेंट्स नहीं हैं, आपरेटस नहीं हैं। इसके कारण जो इन्वेस्टीगेशन की सुविधा प्राप्त है वह समाप्त हो गई है। आप उनमें आवश्यक सभी चीजों की व्यवस्था करा दें, ताकि लोगों की सही तरीके से चिकित्सा हो सके।

अब मैं अन्त में मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं परिवार नियोजन के मामले में। आपने बड़ी मजबूती के साथ निश्चित रूप से परिवार नियोजन के कार्य को आगे बढ़ाया है और उसमें अच्छी सफलता प्राप्त की है। मैं चाहता हूं कि आप इस काम को और आगे बढ़ाइये। आज पूरे कांग्रेस के विधायक, विधान मंडल दल के सदस्य और पूरे प्रदेश की 12 करोड़ जनता आपके साथ है। आप कड़ाई से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइये। हम विकास कार्य करना चाहते हैं... (व्यवधान) इन शब्दों के साथ मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं।

श्रीमती शशि शर्मा–

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो स्वास्थ्य का बजट रखा है, उनकी नीयत बिल्कुल साफ है, मैं उनको बधाई देती हूं। वह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस प्रदेश की जनता को स्वस्थ्य करना चाहते हैं। वह बहुत योग्य और अनुभवी हैं और उनके घर पर जो उनके एक चाचा डाक्टर कौशलपति जी हैं, उनके अनुभव का उन्हें लाभ मिल रहा है। मैं उनको इस बात के लिए बधाई देती हूं कि उन्होंने नई-नई योजनाएं इस प्रदेश के लिए रखी हैं। इसमें कटौती का प्रश्न नहीं है, इसमें पक्ष व विपक्ष का कोई सवाल नहीं है । मैं जानती हूं कि आज कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया है। स्वास्थ्य की समस्याएं पक्ष-विपक्ष की न होकर हम सबकी समस्याएं हैं। जो मेडिकल इथिक्स है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस आगामी 21वीं शताब्दी के लिए जो नारा दिया है कि सबके लिए स्वास्थ्य, यह बजट उस दिशा में अग्रसर है।

अब मैं मंत्री जी का ध्यान कुछ समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहती

हूं। पहले तो जनसंख्या की समस्या है, केवल एक देवरिया में 40 लाख की आबादी है। मान्यवर, दुख है कि जनसंख्या के हिसाब से वहां पर स्वास्थ्य सुविधायें गरीब जनता के लिए जो उपलब्ध होनी चाहिए, वह नहीं हो पा रही हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण अभी सम्भव नहीं हो सका है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समोर में लाइफ सेविंग्स ड्रग्स जैसे ग्लूकोज और कार्टिसोन वगैरह के इंजेक्शन नहीं हैं। जिससे जो मरीज आते हैं, उनको असुविधा होती है। इस दिशा में बहुत काम करने की आवश्यकता है। मान्यवर, दवाओं के वितरण की व्यवस्था भी सही नहीं है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि विदेशों में जो दवायें डिस्कार्ड कर दी जाती हैं, वह अभी हमारे देश में चलती आ रही हैं। मान्यवर, मैक्सा-फार्म, इन्टोबायोफार्म, एनलजीन आदि दवाओं का जो हमारे यहां प्रयोग होता है यह बहुत हानिकारक है। यूरोप तथा रशा में यह व्यवस्था है कि वहां इलाज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं बल्कि बीमारियों की रोकथाम पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हमारे यहां भी यही प्रयास होना चाहिये कि बीमारियां बढ़ने न पायें। हैजा, मलेरिया, इन्सेफेलाइटिस की रोकथाम की व्यवस्था की बात माननीय मंत्री जी ने कही है, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देती हूं। हम सबको कोशिश करनी चाहिये कि पहले बीमारियों की रोकथाम करें ताकि पूरे प्रदेश के लोगों को हम अच्छा स्वास्थ्य दे सकें। अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करके ही हम प्रदेश का विकास कर सकते हैं।

मान्यवर, फेमिली डाक्टर्स की प्रथा अगर यहां पर लागू की जाय तो बहुत अच्छा होगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। फैमिली डाक्टर्स जानते हैं कि इस गांव के लोगों में कौन सी बीमारी प्रचलित है। हमारे देवरिया जिले में अक्सर एनीमिया, घेघा और फाइलेरिया की बीमारी होती है। आप डाक्टर्स का ट्रांसफर कर देते हैं, नये डाक्टर आते हैं तो वह वहां की बीमारियों को जल्दी नहीं समझ पाते हैं। मान्यवर, यह रीजनल प्राब्लम्स जो होती हैं उनका इलाज रीजनल होता है अगर डाक्टर्स का ट्रांसफर्स करते रहेंगे तो बीमारियों का इलाज ठीक से उस क्षेत्र में नहीं हो सकता। एक जगह पर रहकर डाक्टर्स अच्छी सेवा कर सकते हैं। माफ कीजियेगा डाक्टर दरोगा या पुलिस का कर्मचारी नहीं है। डाक्टर की सेवा जो है वह एक निश्चित स्थान के लिये, एक निश्चित जनसंख्या पर निश्चित होनी चाहिये। तो फेमिली डाक्टर्स का सिस्टम जैसा कि यूरोप में है वैसे यहां पर भी होना चाहिये। वहां पर पहले फेमिली डाक्टर्स देखते हैं, उसके बाद अगर जरूरत होती है तो वह हायर अथारिटीज को रिफर करते हैं। माननीय मंत्री जी को अगर इलाज की आवश्यकता होती है तो वह आगरा प्रिफर करते हैं या दिल्ली जाते हैं। तो हमारे यहां एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए मान्यवर, अगर डाक्टर राय को बलरामपुर से ट्रांसफर कर दें, जितनी अच्छी व्यवस्था वी0 आई0 पी0 ट्रीटमेंट की है, अगर डा0 राय को ट्रांसफर कर दें तो बलरामपुर का अस्तित्व नहीं मान सकते हैं। मान्यवर, डाक्टर मेहरा जो आंख के सर्जन हैं, उन्होंने नेत्र चिकित्सा में सेवा की है। तो यह जो एक्सपर्ट्स हैं, सर्जन्स हैं अगर इनका ट्रांसफर कर देते हैं तो वह ट्रांसफर के लिए सचिवालय में घूमते रह जाते हैं और

उनकी योग्यता नष्ट हो जाती है। डाक्टर कौशल जी ने अच्छा सुझाव दिया है कि सचिव आई० ए० एस० नहीं होना चाहिए। जो एक्सपर्ट्स हैं, डाक्टर्स हैं उन्हीं में से डायरेक्टर्स होने चाहिए। बहुत दुख की बात है, जो आई० ए० एस० हैं वह उनकी परेशानियों को और उनकी डिपार्टमेंटल प्राब्लम्स को नहीं समझ सकते हैं। वह एक दूसरे को लड़ाने भिड़ाने और ट्रांसफर करने में रहते हैं।

मान्यवर, साइकोसिमेटिक सिस्टम यूरोप में है। वहां पर दो तरह से टेस्ट करते हैं, एक तो मानसिक बीमारियों का और दूसरे फिजिकल डिजीज के लिए टेस्ट करते हैं। मैं अनुरोध करती हूं कि यहां पर मेंटल प्राब्लम्स के लिए अच्छे डाक्टर्स नहीं हैं। महिलाओं और बच्चों में यह बीमारियां होती हैं। मेरे क्षेत्र फाजिलनगर में कोई चाइल्ड स्पेशिलिस्ट और फेमिली डाक्टर नहीं हैं। इसकी व्यवस्था करें। मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि फाजिलनगर के अस्पताल का उच्चीकरण किया जाय 30 शैय्याओं का अस्पताल खोला जाय। आपने जो स्वास्थ्य विभाग का बजट रखा है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। इसके साथ-साथ मैं यह भी अनुरोध करती हूं कि जो उपकरणों का रखरखाव है तो उसके लिए एक डिप्टी डायरेक्टर मेंटीनेंस है। वही इन सारे उपकरणों को मेंटीनेंस के लिए जिम्मेदार हैं। इसके लिए कोई व्यवस्था करें ताकि जो एक्सरे, कार्डियोलाजी के उपकरण हैं उनकी रख-रखाव की व्यवस्था हो सके। इन शब्दों के साथ आपने जो स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद देती हूं।

श्री जंग बहादुर–

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो स्वास्थ्य विभाग का बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग सरकार का एक ऐसा विभाग है, जिसमें कोई आय नहीं होती है और सारा धन सरकार को ही इस पर लगाना पड़ता है। यह सही है कि स्वास्थ्य विभाग को जितना धन मिलना चाहिए नहीं मिल पाता। देश और प्रदेश की जनता पर प्रति व्यक्ति जितना व्यय चिकित्सा पर किया जाना चाहिए उतना धनाभाव के कारण सम्भव नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, हमें अपने बचपन के दिन याद हैं जब प्लेग, हैजा, क्षय रोग, चेचक आदि से हजारों की संख्या में लोग मर जाया करते थे और इन बीमारियों से पूरे के पूरे गांव साफ हो जाया करते थे। लेकिन आज प्लेग, चेचक आदि महामारियों का नाम व निशान मिट गया। आप देखें कि उस समय लोगों की औसत आयु लगभग 34 वर्ष ही थी। लेकिन आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा बीमारियों पर कोशिश की गयी। परिणामस्वरूप आज औसत आयु लोगों की लगभग 54 वर्ष हो गयी है। इसी प्रकार से छोटे-छोटे बच्चे 8 और 12 वर्ष की आयु में बहुत संख्या में मर जाया करते थे, परन्तु अब स्वास्थ्य विभाग ने इस पर भी किसी हद तक काबू पाया है और बच्चों की मृत्यु में 50 प्रतिशत की कमी आयी है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर नये बड़े-बड़े चिकित्सालयों को निर्मित कराया है। सरकार सभी को सुविधा देने का प्रयास करती है। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी और एलेपैथिक चिकित्सालय ग्रामीण अंचलों में खोले जा रहे हैं। अभी कुछ वर्ष पूर्व 27 महीने के लिए जनता शासन आया था। उन 27 महीनों के अन्दर

मान्यवर, किसी भी चिकित्सालय का निर्माण नहीं हुआ। इस 27 महीनों में यह आपस में केवल लड़ते और झगड़ते रहे। एक तरह से उनका यह समय हनी-मून मनाने का था जो आया और चला गया।

(हंसी)

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं हमारे जनपद जौनपुर में संतोष-जनक है, बाढ़ के दिनों में जौनपुर नगर का दक्षिणी हिस्सा काफी प्रभावित होता है। वहां पर स्वास्थ्य संबंधी सुविधायें बाढ़ के समय नहीं मिल पातीं। बाढ़ में मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे जनपद जौनपुर गये हुए थे। वहां मैंने भी और वहां की जनता ने भी दक्षिणी भाग में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए आग्रह किया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने वहां यह घोषणा किया कि नगर के दक्षिणी भाग में एलोपैथिक का एक बड़ा हास्पिटल बनेगा और इसके लिए इन्होंने एक लाख रु0 दिये जाने की घोषणा की और अब उसके लिए भूमि तलाशी जा रही है। मान्यवर, जनपद जौनपुर में 1912 में बना हुआ सिजरामऊ के अस्पताल का भवन आज जर्जर हालत में है, वहां पर न तो मरीजों के रहने के लिए कोई स्थान रह गया है और न ही डाक्टरों के बैठने के लिए । यह चिकित्सालय जिला परिषद् का था, उसका प्रान्तीयकरण हो गया है । मा0 मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस चिकित्सालय के भवन का निर्माण शीघ्र करा दिया जाए ताकि वहां की जनता का कष्ट दूर हो सके। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने भाषण में परिवार नियोजन की आवश्यकता पर बल दिया और प्रदेश की बढ़ती हुई जन-संख्या का उल्लेख किया। मान्यवर, यह सही है देश में खुशहाली तभी आ सकती है जब इस बढ़ती हुयी जनसंख्या को नियंत्रण में रखा जाए। और अगर जन-संख्या वृद्धि की यही स्थिति रही तो मैं समझता हूं कि 20-25 वर्षों के बाद लोगों के रहने के लिए कहीं जगह भी नहीं रह जायेगी। इसलिए इस कार्य-क्रम को सफल बनाने के लिए जनता में प्रचार किया जाए और जनता को परिवार नियोजन के लाभ से अवगत कराया जाए। इस प्रकार के प्रयास से बढ़ती हुयी जनसंख्या में कमी अवश्य मिलेगी और हमारा प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वास्थ्य के बजट का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

* श्री नरेश चन्द्र–

मान्यवर, आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस सदन में स्वास्थ्य विभाग का बजट रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं, साथ ही साथ आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग में जो सुधार हुआ है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आज स्वास्थ्य निदेशक 3 हो गये हैं, परिवार कल्याण के अलग मेडिकल केयर के अलग और प्रशासनिक कार्य के लिए अलग, प्रशासनिक डायरेक्टर हो गये हैं। मान्यवर, डायरेक्टर जनरल का पद जो अब तक नहीं था, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने डायरेक्टर जनरल का पद भी सृजित कर दिया और पदोन्नति देकर महा निदेशक बना भी दिये गये हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक विभाग के निदेशक अपने-अपने कार्यों के बारे में, जो उनके विभाग में हो रहे हैं, उनका रिव्यू

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और मूल्यांकन भी करें। मान्यवर, इनके कार्यों का बंटवारा भी हो जाय कि कौन किन-किन मदों को और कहां-कहां पर अपने कार्य को देखेंगे और कितनी उनकी जिम्मेदारी होगी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से इस देश का 1/6 हिस्सा है। यह संयोग की बात है। भारतवर्ष की आबादी विश्व की 1/6 है। अब मैं आपके द्वारा मंत्री जी को बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि जून, 1980 में माननीय लोकपति त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का कार्यभार सम्भाला। यह ऐसा विभाग है जो पिछले पौने 6 वर्षों तक माननीय त्रिपाठी जी के पास रहा। इसमें कार्य में प्रगति भी हुई, इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।

कुछ समय पहले यहां के लोगों की आयु की सीमा 27 वर्ष थी, वह अब 54 वर्ष हो गयी है। अभी जो डाइलिसिस लगाने का प्रबन्ध किया गया है, वह चाहे बलरामपुर अस्पताल में हुआ है या अन्य कहीं पर, इसकी जो पैराफरनेलिया है, साज-सज्जा है, वह पूरी नहीं हो पाई है। तो इसके लिए अनुदान में व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कोई मशीन खराब हो जाती है और उसके लिए अनुदान में व्यवस्था नहीं होती है तो उनकी मरम्मत में कठिनाई होती है और वे मशीनें काफी दिनों तक खराब पड़ी रह जाती हैं। तो मान्यवर, जब इतनी बड़ी उपलब्धि है, तो यह भी आवश्यक है कि उन मशीनों के रख-रखाव एवं मरम्मत आदि के लिए भी अनुदान में व्यवस्था होनी चाहिये। कैंसर का इलाज कानपुर में होता है, परन्तु कैंसर के इलाज के लिए लखनऊ और आगरा में भी व्यवस्था की जानी चाहिए। मान्यवर, कैंसर के इलाज में हमें जितनी कामयाबी मिलनी चाहिए, उतनी कामयाबी अभी नहीं मिली है। उसका मुख्य कारण यह है कि उसमें उपकरणों की कमी है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कालेज हैं, जिसमें दो मेडिकल कालेज जो बनारस और अलीगढ़ में हैं, वे केन्द्रीय सरकार के माध्यम से चल रहे हैं। मान्यवर, इन 9 मेडिकल कालेजों में केवल 915 छात्रों को प्रवेश मिल पाता है। मान्यवर, अब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग साढ़े 12 करोड़ की होने जा रही है। मान्यवर, अगर महिला डाक्टरों की कमी है, तो एडमिशन बढ़ाने के साथ-साथ महिला छात्रों का अनुपात भी बढ़ाना होगा।

मान्यवर, डेन्टल कालेज उत्तर प्रदेश में केवल लखनऊ में ही है। लखनऊ के अतिरिक्त कहीं डेन्टल कालेज नहीं है, तो इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। मान्यवर, मलेरिया के बारे में कहना चाहूंगा आई0 सी0 एम0 आर0, जिसमें 10 प्रोजेक्ट बनाये गये, जिसमें चार उत्तर प्रदेश को मिले हैं। इसमें अब इन्होंने जितना छिड़काव होता था, उस छिड़काव के वगैर अपना एक तरीका ढूंढा है, जो उत्तर प्रदेश के चार जिलों में लागू हो गया है। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा कि बलरामपुर अस्पताल को जिला अस्पताल की श्रेणी में न रखा जाय। बलरामपुर अस्पताल मिनी मेडिकल कालेज के बराबर है। अतः जो अनुदान दिया जाए वह जिला अस्पताल के आधार पर न दिया जाये।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री नरेश चन्द्र–

मान्यवर, दो मिनट और लेना चाहता हूं। अभी तो आठ मिनट हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मैं पांच-पांच मिनट का समय सबको दे रहा हूं।

श्री नरेश चन्द्र–

मान्यवर, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म किए देता हूं। मान्यवर, क्वीन मेरी अस्पताल महिलाओं का अस्पताल है यहां पर गाइनाकोलाजी को सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा मान्यवर, नकली दवायें बेची जाती हैं, तो कैमिस्ट की दुकान को सस्पेंड कर दिया जाता है। मेरा सुझाव है कि कैमिस्ट की दुकान सस्पेंड नहीं होनी चाहिए बल्कि जिस ड्रग इन्सपेक्टर के क्षेत्र में, जिसके जरिए दवायें बिकती रही हैं, उसको भी सस्पेंड होना चाहिए, उसको भी सस्पैंड करने की आवश्यकता है। मान्यवर, आबादी के बारे में कहना चाहूंगा, हिन्दुस्तान **में उत्तर प्रदेश की आबादी 1/6 है** और संयोग से पूरे संसार की आबादी की 1/6 आबादी भारत की है। भारत सरकार के उप मंत्री श्री कृष्ण कुमार एक ब्लड बैंक में आये थे, उन्होंने भी इस बात को माना है।

यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 के बारे में कहना चाहता हूं यह जो दवायें बनाये उनको सप्लाई करें, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है लोन लाइसेंस की, उनको दवाइयां सप्लाई न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्रीमती पुष्पा सिंघल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से, मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट का स्वागत करती हूं और समर्थन करती हूं। उनको हार्दिक बधाई देती हूं सबल राष्ट्र बनाने के लिए स्वस्थ नागरिकों की आवश्यकता है, जिसके लिए मंत्री महोदय ने प्रभावशाली कदम उठाए हैं, लेकिन जितना प्रभाव होना चाहिए, उतना नहीं हुआ है। नागरिकों के स्वास्थ्य की समस्या चिन्ताजनक और गम्भीर बनी हुई है यद्यपि मृत्यु दर में कमी आई है और नागरिकों की उम्र में वृद्धि हुई है। फिर भी आज बच्चों की मृत्यु दर एक बटा तीन प्रतिशत है अर्थात् 100 बच्चों में मरने वालों की संख्या 33 होती है। यह बच्चे तीन साल से पांच साल के बीच के होते हैं। 5 साल के बच्चों के मरने के कारण कुपोषण है। कुपोषण को दूर करने के लिए माननीय मंत्री जी ने बहुत से कदम उठाये हैं लेकिन इसमें बहुत से कदम और उठाये जा सकते हैं। चिकित्सा के माध्यम से मलिन बस्तियों का जो कुपोषण दूर किया जा रहा है, उसकी तरफ मंत्री जी को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जिससे उन बस्तियों में रहने वालों का उपचार हो सके।

मान्यवर, मुरादाबाद बर्तनों की सनद का शहर है, करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा प्रतिवर्ष सरकार को मुरादाबाद से प्राप्त होती है। लेकिन मंत्री जी को मैं बताना चाहती हूं कि उस नगर की हालत इतनी खराब है कि जो अस्पताल दसियों साल से जिस हालत में चले आ रहे थे, उससे ज्यादा उनकी हालत खराब हो गई है। मुरादाबाद में बर्तनों के कारीगरों की हालत इतनी दयनीय है, कि उनके छोटे-छोटे बच्चे शुरू से ही कारखानों में काम करते हैं। उनके

बच्चे क्षय रोग लेकर पैदा होते हैं। मंत्री जी मुरादाबाद गए थे तो भी मैंने मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि मुरादाबाद में क्षय रोग अस्पताल की स्थापना कराई जाय, ताकि उन कारीगरों के बच्चों का इलाज वहां हो सके। पूरी चिकित्सा सुविधा उनको मुरादाबाद में मिल जाय। भुआली में अभी क्षय रोग का अस्पताल है, वहां जाने वालों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि वहां जगह नहीं मिल पाती है। मुरादाबाद में इस रोग से मरने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मान्यवर, एक निवेदन और माननीय मंत्री जी से करना चाहती हूं कि मुरादाबाद में सचल चिकित्सालय की व्यवस्था की जाय। मंत्री जी के ध्यान में इस बात को भी मैं मुरादाबाद में लायी थी। जो मलिन बस्ती में रहते हैं, सचल अस्पताल के द्वारा उन बस्तियों में घर-घर जाकर उनका इलाज किया जाय।

मुरादाबाद की अस्पताल की हालत को देखकर मरीज समझता है कि उसको अस्पताल न भेजकर जेल भेजा जा रहा है। मान्यवर, मजबूरी में मरीज को जाना पड़ता है। प्राइवेट नर्सिंग होम में, इतनी शक्ति नहीं है कि मरीज अपना इलाज करा सके। वहां पर अस्पतालों में न साफ चद्दर मिलती है, न चारपाई मिलती है, साफ शौचालय नहीं है। जिसका नतीजा यह होता है कि मरीज और बीमार होकर अस्पताल से घर लौट आता है। मंत्री जी से निवेदन है कि मुरादाबाद के अस्पताल की तरफ ध्यान दें, जिससे वहां की अस्पतालों की हालत सुधारी जा सके। मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि मुरादाबाद में डायलेसिस और हृदय चिकित्सा की भी व्यवस्था की जाय। मुरादाबाद में 500 शैय्याओं का अस्पताल मंत्री जी खोलने जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि वहां पर पूरा इन्तजाम करें, ताकि उसका पूरा लाभ नागरिकों को मिल सके। एक बात महिला अस्पताल के बारे में कहना चाहती हूं। मान्यवर, मुरादाबाद में जो महिला अस्पताल है, उसका नाम विक्टोरिया अस्पताल है, मेरा निवेदन है कि उसका नाम बदल कर इन्दिरा गांधी कर दिया जाय। अस्पताल के आस पास जो सड़कें हैं, उनकी हालत इतनी खराब है कि गर्भवती महिलायें उस सड़क पर जाने से डरती हैं। मेरा निवेदन है कि महिला अस्पताल के आस पास की सड़कों को ठीक कराया जाय।

* श्री राम भजन लाल–

मान्यवर, मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। हमारे मंत्री जी इस देश और प्रदेश के बहुत ही योग्य, ईमानदार एवं सच्चे व्यक्ति हैं मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। जो स्वास्थ्य विभाग का बजट माननीय मंत्री जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

यह मानी हुई बात है कि हमारे देश के अन्दर देहातों की स्थिति दूसरे प्रकार की है। शहर की आबादी और देहात की आबादी में बहुत बड़ा अन्तर है और हम यह जानते हैं कि शहर चाहे जितना तरक्की कर जाय, लेकिन जब तक देहात में तरक्की नहीं आती है और वहां की हालत अच्छी नहीं होती, तब तक हमारी सारी स्कीमें बेकार हो जाती हैं। यह मानी हुई बात है कि आज तक हैजा, टाउन और चेचक से जितनी मौतें हुई, ज्यादातर देहातों के अन्दर हुई हैं। इसलिये कि

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

उनकी दवा-दारू का अच्छी तरह से प्रबन्ध नहीं है यह मानी हुई बात है कि मौत एक दिन अवश्य आती ही है। हर एक की मौत का दिन मुकर्रर है। मेडिकल साइन्स और स्वास्थ्य विभाग की सहूलियतों ने इस बात को साबित कर दिया है कि ये मौतें इस तरह से नहीं आती हैं, उसकी दवा की जा सकती है और मनुष्य की औसत जिन्दगी बढ़ाई जा सकती है। हमारी बढ़ी हुई औसत जिन्दगी मेडिकल साइन्स का नतीजा है। हैजा, ताऊन और चेचक आदि की जो जड़ खोद दी गयी है, वह मेडिकल साइन्स के बदौलत है। लेकिन जरूरत है कि देहातों में, मंत्री जी से अनुरोध है कि देहातों में इस साधन का अच्छी तरह से प्रसार किया जाय। यह मानी हुई बात है कि हमारे बजट का जितना हिस्सा स्वास्थ्य विभाग के लिये खर्च होना चाहिये, नहीं हो पा रहा है। यह हमारे देश की अर्थ व्यवस्था की कमियों की वजह से है। फिर भी देहातों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

मेरे जिले में बहुत कमियां हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि डाक्टर लोग देहातों में जाना पसन्द नहीं करते। बहुत से अस्पताल खोले गये हैं लेकिन 4-5 साल तक वे खुले पड़े रहते हैं और उनमें डाक्टर नहीं जाता है। यह मानी हुई बात है कि देहातों में दवा दारू का कोई इंतजाम नहीं है। देहातों में गरीबों के घर हैं। वहां के मरीज लखनऊ या और शहरों में जाने की ताकत नहीं रखते, न इतनी ताकत रखते हैं कि दवा का इंतजाम कर सकें या और खर्च कर सकें। मेरी राय है कि जो मेडिकल कालेज या अस्पताल शहरों में खोले जाते हैं, लखनऊ में तो बहुत से हैं, संजय गांधी संस्थान खोला गया है, तो नये अस्पताल देहातों में खोलें, जिससे देहातों के लोग उसका फायदा उठा सकें। मेरे कहने का मतलब यह है कि अस्पताल वहां खोलें जहां अच्छी आबादी हो ठीक है, लेकिन इनको ऐसे स्थानों पर खोला जाय जिसके इर्द-गिर्द देहातों के ज्यादा लोग फायदा उठा सकें। मेरे क्षेत्र में गोला गोकरननाथ बहुत बड़ा स्थान है जिसकी आबादी 50 हजार है। वहां शिव मंदिर होने और बिजनेस सेन्टर होने से वहां जनता की आमदरफ्त रहती है, लेकिन वहां केवल एक डिस्पेंसरी है जो जिला परिषद् की थी और अब स्टेट की है। मेरा बराबर मंत्रीजी से अनुरोध रहा है कि गोला जैसे स्थल पर एक तहसील स्तर का अस्पताल खुलवा दिया जाय तो बड़ी कृपा होगी। मंत्री जी ने संतोष भी दिलाया और वादा भी किया लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह अभी भी स्टेट स्तर पर पड़ा है। स्टेट स्तर पर भी बात हुई। वहां से पत्र लाकर मैं मंत्री जी को दे चुका हूं। शायद उसकी लिखावट ऐसी है कि मंत्रीजी ने उसे ठीक से पढ़ा नहीं है। मैंने गोला के लिये आपसे जो प्रार्थना की है, उसे आप ज्यादा से ज्यादा पूरा करें। आप उस पत्र को पढ़ लें बात साफ हो जायगी। जिला स्तर पर उसकी मंजूरी दिलावा चुके हैं और सी0 एम0 ओ0 और डी0 एम0 का कहना है कि यह अस्पताल अब हो चुका है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे यहां की इस ज्वलंत समस्या को हल कर दें। इसके साथ ही अन्त में मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं।

*श्री मोहम्मद असलम खां–

श्रीमन्, आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया,

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये इस बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, थोड़े से सुझाव, जो मेरे क्षेत्र से संबंधित हैं, वह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं ।

मान्यवर, मुजफराबाद क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जरूर है लेकिन यह एक छोटा सा ऐसा इलाका पड़ता है जो पिछड़ा है। मान्यवर, वहां काफी दिक्कतें हैं, जो स्वास्थ्य विभाग से ताल्लुक रखती है। मान्यवर, हमारे यहां सडौली में एक पी0 एच0 सी0 है, जिसमें 42 बेड्स है, वहां 4-5 डाक्टरों की रहने की व्यवस्था है। लेकिन, वर्तमान में वहां सिर्फ एक डाक्टर मौजूद है, जिस कारण वहां के निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मान्यवर, मुजफराबाद और उसके आस पास जो हमारे ब्लाक पड़ते हैं, ब्लाक हेड क्वार्टर को छोड़कर के, दूसरी जगह अस्पतालों की कमी है, डिस्पेंसरियों की कमी है । मान्यवर, वह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां मलेरिया भी फैलता है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि इस इलाके की तरफ भी ध्यान दें और हमें नये अस्पताल देने का कष्ट करें।

मान्यवर, ड्रग कन्ट्रोल के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि स्कूल कालेज के जो बच्चे हैं, उनमें इसका खराब असर पड़ रहा है। बच्चे ड्रग में ज्यादा पड़ते हैं। मान्यवर, मेरा कहना है कि यदि इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो जो आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए वह तकलीफदेह होगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दें और यह ड्रग कंट्रोल के बारे में भी कोई व्यवस्था की जाय । मान्यवर, परिवार नियोजन के बारे में भी अच्छे कदम उठाये हैं, क्योंकि हमारे यहां आबादी बढ़ती चली जा रही है और उससे विकास के काम पीछे रह जाते हैं । परिवार नियोजन के बारे में जिस ग्रीन कार्ड की व्यवस्था की गयी है, उसके बारे में अभी सही प्रचार नहीं हुआ है गांव में। अभी तक लोगों को नहीं मालूम है कि ग्रीन कार्ड से क्या-क्या सुविधाएं मिल सकती हैं । इसका व्यापक प्रचार होना चाहिए रेडियो, टी0 वी0 और अखबारों के द्वारा ताकि लोगों को इसकी बावत पता चले और यह कार्यक्रम सफल हो सके ।

मान्यवर, हमारा जो पिछड़ा इलाका है, उसकी ओर एक बार पुनः ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं मलेरिया हमारे इलाके में बहुत फैलता है, इसके अतिरिक्त जो इसके इसके लिये प्रेसक्राइब्ड दवाएं है, वह भी वहां पूरी तौर से उपलब्ध नहीं होती हैं और छोटे-छोटे बच्चों की ज्यादा बुखार के कारण मृत्यु हो जाती है । वहां पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इससे जो एफेक्टेड एरियाज हैं, वहां स्पेशल टीम जाय, उनकी देख-भाल करे । सी0 एम0 ओ0 के दौरे हों या किसी किस्म की कोई व्यवस्था होनी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री शिवनारायण मिश्र–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । मान्यवर, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान अपने जनपद सुल्तानपुर की ओर ले जाना चाहता हूं । मान्यवर, जनपद सुल्तानपुर में बाढ़ के समय जिस त्वरित गति से

स्वास्थ्य चिकित्सा का लाभ बाढ़-पीड़ितों तक पहुंचाया गया, अपने स्थान पर वह सराहनीय है । इसी के साथ-साथ यह कहना चाहता हूं कि मान्यवर, जिला चिकित्सालय की हालत यदि देखी जाये, तो वह एक महत्वपूर्ण चिकित्सालय है। लेकिन, वहां पर मान्यवर, यह स्थिति है कि वहां गंदगी का साम्राज्य है । स्थिति इतनी खराब है कि वहां मरीजों को भोजन दिया जाता है, फल दिया जाता है, दूध दिया जाता है, उसमें इतनी कटौती की जाती है कि हर मरीज अपने स्थान पर काफी परेशान रहता है। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र चांदा के अन्तर्गत लम्बुआ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 30 शैय्याओं वाला काफी दिन हुए स्वीकृत हो चुका है, उसका बजट भी जनपद स्तर पर पहुंच चुका है, लेकिन आज तक अस्पताल की नींव नहीं रखी जा सकी । उसका मुख्य कारण यह बताया गया कि जमीन उपलब्ध नही हुई है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जमीन आवंटन की पत्रावली शासन को प्रस्तुत की जा चुकी है लेकिन आज तक उस पर कार्यवाही नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि चिकित्सालय के लिये जमीन आबंटन संबंधी पत्रावली का निस्तारण तत्काल करा दें ताकि वह कार्य प्रारम्भ किया जा सके और चिकित्सालय की स्थापना हो सके।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में शिवगढ़ कस्बे में एक होम्योपैथिक चिकित्सालय है, जहां विगत दो वर्षों से कोई डाक्टर नहीं है। वहां तत्काल एक डाक्टर की व्यवस्था करने का कष्ट किया जाय। मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि कायरीपुर टाउन एरिया में ग्रामीणों के द्वारा एक चिकित्सालय भवन का निर्माण कराया गया है। जिसमें शासन ने चिकित्सक नियुक्त करने की व्यवस्था भी कर दी थी, किन्तु आज तक वहां पर डाक्टर नहीं है । यह एक बड़ा कस्बा है । मरीज परेशान होते हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जिस कस्बे की तरफ मैंने उनका ध्यान आकर्षित करवाया है, उस पर विशेष ध्यान देने की वह कृपा करें और चिकित्सालय को यथा शीघ्र खुलवाने की व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद ।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग का बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया है, उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि संजय गांधी इंस्टीट्यूट जो एशिया का सबसे बड़ा आयुर्विज्ञान संस्थान है, उसमें अगले वर्ष तक 6 विशिष्ट विभाग कार्य करना प्रारम्भ कर देंगे । दूसरी तरफ प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर लगता है कि आने वाले कल में न होगा खेत, न होंगे खलियान, बाकी होगा तो केवल शमशान होगा। इस प्रदेश को जीतेजी शमशान में न बदलने देने के लिये स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है ।

यह तो स्वास्थ्य विभाग की तस्वीर का एक पहलू था । अब आप दूसरे पहलू को देखें । कानपुर में जे0 के0 कैन्सर इंस्टीट्यूट है, मरीज वहां पर नाली के कीड़े की तरह सड़ व गल रहे हैं । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जो सक्षम भी है और जन स्वास्थ्य की चिन्ता में निरन्तर व्यस्त रहते हैं । परन्तु आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री से सानुरोध कहना चाहूंगा कि कानपुर का जे0 के0 इन्स्टीट्यूट स्वयं में कैन्सर का रोगी बन गया है, जिसके इलाज की सख्त जरूरत है । हमारे स्वास्थ्य निदेशालय के निदेशक डा0 एस0

एस0 मिश्र साहब हैं, जिनके सक्षम निर्देशन में केवल उन दुराग्रही व्यक्तियों को संरक्षण मिलता है, जो अपना कार्य समय पर पूरा न करें, उनकी योग्यता का निर्धारण यही होता है। जे0 के0 कैन्सर इन्स्टीट्यूट में दो विभाग हैं-आइसोटोप और रेडियो थेरेपी, एक डा0 प्रेमनाथ हैं, यह दोनों विभागों को देखते हैं। उनकी शैक्षिक योग्यता यदि देखी जाय तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जानते हैं लेकिन निर्णय नहीं ले सकते हैं। उनके पास योग्यता और अर्हता न होते हुए भी वह इन दोनों विभागों का एक साथ कार्यभार देख रहे हैं और योग्य डाक्टर टक्कर खा रहे हैं। यह तो एक पहलू हुआ, दूसरा पहलू है हिन्दुतान का नौजवान नशीली दवाओं के शिकार में, नौजवानी के दिनों में जहां कठिन परिश्रम करना पड़ता है, हमारा नौजवान मैण्डेक्स की गोलियों में उलझता जा रहा है। जिला स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जो दवाइयां हैं कष्ट सहने वाली, वे बाजार में बिक रही हैं, नकली दवाइयों पर रोकथाम की तुरन्त आवश्यकता है।

इसी के साथ मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 12 हजार रु0 तक की प्रति वर्ष आय वाले व्यक्तियों को किडनी ट्रांसप्लेण्टेशन के लिए 50 प्रतिशत छूट की एक सुविधा प्रथम बार प्रदत्त की है, इसके लिये स्वास्थ्य विभाग बधाई का पात्र है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 86-87 तक 500 पी0 एच0 सी0 खोलने जा रही हैं, 1590 उप केन्द्र खोलने जा रही है वहीं एक दुखद पहलू भी है कि हमारे यहां महिला चिकित्सकों की कमी है। स्वास्थ्य विभाग ने योजना चलायी है कि 50 रु0 प्रति दिन की राशि पर यदि महिला चिकित्सक हों तो उनको सेंटरों पर भेजा जा सकता है। इसमें सबसे बड़ी समस्या राजनीतिक भी हो जाती है। हमारे विश्वास टकराते हैं कि हमारा डाक्टर हमारे घर में रहना चाहिये। जिस देश में प्रदेश में हजार-हजार की आबादी के ऊपर कम्पाउण्डर न उपलब्ध हो वहां फेमिली डाक्टर की बात करना, हम किसी यूरोप के मुल्क में नहीं रह रहे हैं, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कहूंगा कि हमें एलोपैथिक चिकित्सा नहीं चाहिये, लेकिन आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक में तो कम से कम एक डाक्टर उपलब्ध हो जाय। यह शिक्षा पद्धति है कि जो एम0बी0बी0एस0 डाक्टर निकलते हैं वे गांव में जाने से कतराते हैं, लेकिन हिन्दुस्तान की 80 प्रतिशत आबादी गांव में रहती है, जहां पर कि एलोपैथिक सुविधा उपलब्ध नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

बस मान्यवर, दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान एक तरफ और आकृष्ट करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद के चिकित्सकों की भर्ती हुई, प्रतिभा पलायन और युवा कुण्ठा, ये समाज की बुराइयां हैं। माननीय मंत्री जी जानते हैं 70 प्रतिशत जिसको अंक प्राप्त हुए हैं, उसका चयन तो कम्प्यूटराइजेशन की गलती के कारण नहीं हुआ लेकिन 48 प्रतिशत और 52 प्रतिशत वालों का हो गया। अनुरोध करूंगा कि चयन प्रक्रिया की जांच करायें कि कहां कमी है और उसे निवारण करने का कष्ट करें। इसके अलावा मातृ-शिशु कल्याण की बात बराबर उठती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि एक हजार से ज्यादा

सेन्टर और 6,000 दाइयों की आपने व्यवस्था कर दी है, लेकिन यह व्यवस्था तो आपने कर दी है परन्तु देखने की बात तो यह है कि यह 6,000 दाइयां उन सन्टरों पर रहती भी हैं या नहीं ? यदि नहीं रहती हैं, तो उनको सैकड़ों रुपया वेतन के रूप में देना क्या उचित है?

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने लखनऊ मेडिकल कालेज में जो ओपेन हार्ट सर्जरी की व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात कही है इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। परन्तु इसके साथ ही मैं एक बात का अनुरोध भी आपसे करना चाहता हूं कि दवाइयां उपलब्ध कराने के लिये जो आपका बजट है उसमें कृपया आप 10 या 15 परसेन्ट का और इजाफा कर दें जिससे कि जनसाधारण को आसानी से दवाइयां उपलब्ध हो सकें। माननीय अधिष्ठाता जी, जो आपने मुझे स्वास्थ्य के बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिये आपको फिर से धन्यवाद।

श्री शौनाथ सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे भी मौका दिया, इसका मैं तहेदिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप अस्पताल बनाते हैं तो उसके बनाने से पहले यह भी सोचिये कि उसमें स्टाफ, डाक्टर, डाक्टरनी देनी चाहिये और आपने एक करोड़ रुपया लगा दिया 80-80 लाख रुपया लगा दिया और और वहां पर डाक्टर या डाक्टरनी तथा नर्स उसमें नहीं दिया साल-साल भर तक, तो क्या फायदा वह अस्पताल बनाने का ? क्या फायदा रुपया लगाने का ?

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी ही एक मिसाल मेरे पास है कि मेरे क्षेत्र सेवद्वारा, जिला बिजनौर के लिये आपने अस्पताल मंजूर किया 32 बेड का और वह बन कर तैयार भी हो गया है। (सत्ता पक्ष के एक सदस्य के कुछ करने पर) आप चुप रहिये।

श्री अधिष्ठाता–

चौधरी साहब, आप अपना भाषण जारी रखिये ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, यह "चुप रहिये" शब्द को कार्यवाही से निकलवा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, देख लेंगे ।

श्री शौनाथ सिंह–

तो अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी ने हमारे यहां 32 बेड का अस्पताल दिया है जो कि बन कर तैयार है और जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री नारायन दत्त तिवारी ने किया था । उस उद्घाटन के करीब-करीब साल भर होने को आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उसमें अभी तक कोई स्टाफ नहीं है चाहे वह डाक्टर हो, चाहे वह डाक्टरनी हो, चाहे नर्स हो या चाहे दाई हो ।

मंत्री जी, इसका तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमको एक अस्पताल दिया, लेकिन उस अस्पताल का क्या फायदा, जबकि उसके अन्दर कोई स्टाफ नहीं है ? वहां से 15-15 और 30-30 मील तक कोई अस्पताल नहीं है और गरीब लोग, हरिजन, पिछड़े वर्ग के लोग, सभी कौम के लोग जो हैं, उन्हें वहां पर कोई इलाज

की सुविधा नहीं है । अब आप ही सोचिये कि कितने बच्चे, कितनी औरतें बिना इलाज के इस दुनियां से चले जाते हैं। माननीय मंत्री जी जरा ख्याल करिये और वहां के लिये आप स्टाफ का प्रबन्ध कीजिये । एक बात है, साल भर हुआ माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक अस्पताल का उद्घाटन किया, परन्तु वहां पर आज तक न ही कोई स्टाफ है और न दवा मिलती है । वहां की जनता कहती है कि इससे क्या फायदा, जब कोई इलाज ही नहीं होता मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उसका इन्तजाम करें । माननीय मंत्री जी पुराने अनुभवी आदमी हैं, आप देखें और सख्ती के साथ काम लें। आज यहां पर जो दोपहर को खाना दिया गया है, वह सड़ा हुआ था, किसी भी सदस्य ने उसको नहीं खाया है। सभी लोग शिकायत कर रहे थे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के प्रेषित बजट को मैं अपना समर्थन देते हुए बधाई देता हूं।

श्री प्रेमपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महादय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा अन्य कई प्रान्तों का दौरा किया है। मैं जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर से आता हूं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी अच्छा ही काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग का काम ठीक चल रहा है। मुझे बाहर का अनुभव है। मेरी प्रार्थना है कि जनपद एटा के जलेसर विधान सभा क्षेत्र में एक 30 बेड का अस्पताल बनवा दें और एक महिला डाक्टर दे दें, इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री महरम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महादय, आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। वैसे तो मैं चाहता था कि हमारे विपक्ष के सभी माननीय सदस्य होते और सत्तापक्ष के सदस्य होते और दोनों पक्ष स्वास्थ्य के मामले में बढ़िया ढंग से विचार करते, लेकिन आज यह जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के सदस्यों को वहन करनी पड़ रही है, जो विरोधी पक्ष के सदस्यों को वहन करनी चाहिये थी। मैं उनके राजनैतिक, आर्थिक, बौद्धिक और शारीरिक स्वास्थ्य की कामना करता हूं । वह लोग थोड़ी-थोड़ी बातों में असन्तुष्ट हो जाते हैं और हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है और उनका पूरा भार हमारे ऊपर आ गया है और इसी कारण मैंने बोलने की प्रार्थना आपसे की है। जो बजट स्वास्थ्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और थोड़े समय में 2-4 सुझाव दे रहा हूं।

(3 बजकर 30 मिनट)

एक तो यह है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी चिकित्सा की व्यवस्थाएं हैं इनमें बहुत से चिकित्सालय जिला परिषदों द्वारा संचालित होते हैं आयुर्वेद के। किसी समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा एलोपैथिक चिकित्सालय चलते थे, सरकार ने सब ले लिये, आयुर्वेदिक चिकित्सालय बहुत से ले लिये और जिला परिषद् के द्वारा जो आयुर्वेदिक चिकित्सालय का संचालन होता है उनकी व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब है। इसलिए मेरा सुझाव है कि चिकित्सा पद्धति की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के द्वारा होनी चाहिए तभी कुछ सुधार हो सकता है ।

दूसरी बात यह कि मलेरिया का फिर कुछ प्रकोप होने लगा है । मंत्री जी तो बनारस के सर्किट हाउस में रहे न होंगे, उनका तो घर ही है, मुझे वहां रहने का मौका लगा तो रात में मच्छरों ने सोने का मौका नहीं दिया । फर्रुखाबाद शहर में मच्छर मारने की डी0डी0 टी0 की दवाई नगर क्षेत्र में नहीं पड़ी और बताया गया कि नगर क्षेत्र में दवा डालने के लिये नहीं है । स्वास्थ्य विभाग का हमारा बजट है, अब मलेरिया बढ़ती रहे, स्वास्थ्य विभाग की ओर से व्यवस्था न हो तो इसको मंत्री जी को देखना चाहिए । हमारे जो अधिकारी है वह अच्छे हैं, उनका ध्यान भी इस ओर है लेकिन इतने विशाल विभाग में बहुत सी कमियां हो सकती हैं, इसका मूल्यांकन होना चाहिए । परिवार कल्याण का जो विषय है वह बहुत ही व्यापक है जरा सी असावधानी हमारे दल को राजनीतिक नुक्सान पहुंचा सकती है और विरोधी दल के माननीय सदस्यों को गलत तरीके से प्रचार का अवसर दे सकती है । इसलिए पूरी तरह से सावधानी बरती जाय और परिवार कल्याण के विषय में सभी राजनीतिक दलों को तथा जन प्रतिनिधियों को मौका दिया जाय और वह जनता में वातावरण बनाने के लिये आयोजित समारोह में भाग लें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य विभाग के बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

डा0 रजनी कान्त दत्त–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के मांग तजट का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव उनके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । सवाल इस बात का नहीं है कि आप कितने नये अस्पताल खोलते जा रहें हैं और सवाल इस बात का भी नहीं है कि संजय गांधी इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जो अस्पताल बने हुए हैं, जो अस्पताल पहले से चल रहें है वह ठीक से कार्य करें । श्रीमन्, आज ही मैंने जागरण अखबार में पढ़ा कि "के0 जी0 मेडिकल कालेज में आपरेशन थियेटर में जनरेटर न होने की वजह से मोमबत्ती जलाकर आपरेशन हो रहे हैं" । किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ, स्टेनली मेडिकल कालेज मद्रास, कलकत्ता मेडिकल कालेज और ग्रान्ड मेडिकल कालेज ये हिन्दुस्तान के वे 4 मेडिकल कालेज है जिनकी हिन्दुस्तान में सबसे पहले स्थापना हुई थी । जब उनकी यह हालत है तो आप यह कल्पना कर सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में आपरेशन थियेटरों की क्या स्थिति होगी ? तो श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि नये अस्पताल जरूर खोले जायें । यह अवाम की जरूरत है, बढ़ती हुई आबादी की मांग है लेकिन उसके साथ जो हमारी यूनिट पहले से एकजिस्ट कर रहीं है, उनके रखरखाव का भी समुचित प्रबन्ध होना चाहिए । बड़ी-बड़ी मशीनें हैं, एक्सरे प्लान्ट्स है, आटो-एनालाइर्ज्स है, डायलिसिस मशीनें हैं लेकिन श्रीमन् अगर वह बिगड़ जाती हैं तो सालों और महीनों टेक्निशयनों के अभाव में पड़ी रहती है । तो उसके लिये कम से कम एक जोन बना लें जहां पर इलेक्ट्रानिक्स एक्सपर्ट्स हों, जो कि ऐसी जानकारी होने पर तुरन्त उनको सुधार सकें, उनको ठीक कर सकें । हमारे एक विपक्ष के सदस्य थे, उनको यहां पर एक बार चक्कर आ गया । हम लोगों ने और यहां के डाक्टर्स और मार्शल की सहायता से उनको बलराम अस्पताल ले गये । वहां पर हर कमरे में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और आसीवो स्कोप मशीनें

लगी हुई थीं लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक भी मशीन काम नहीं कर रही थी । यह बड़ी विडम्बना की बात है कि वहां पर इतने धन का अपव्यय हो रहा है और जो जनता को सुविधायें चाहिए उनको देने में मात्र एक लफ्फाजी भरा दिखावा है ।

श्रीमन्, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा । जब ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और होमियोपेथिक चिकित्सा पद्धति के डाक्टर्स हमारे पास हर जगह मौजूद हैं तो क्यों नहीं जब कोई असाध्य रोगी अस्पताल में जाता है तो उन डाक्टर्स का एक बोर्ड बैठ जाय, उसकी बीमारी को देखे, उसका निदान करे और फिर यह सोचे कि इस रोगी का इलाज ऐलोपैथी में होगा, आयुर्वेदिक में होगा, होमियोपैथी में होगा या यूनानी में होगा । इस तरह से उस पेशेन्ट को किसी चिकित्सा पद्धति की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाय ।

श्रीमन्, हम बात करते हैं देश की अखन्डता की, हम बात करते हैं राष्ट्रीयता की । सन् 47 से लेकर सन् 86 हो गया लेकिन आज भी मेडिकल कालेजेज में पढ़ाई जाने वाली किताबें अंग्रेजी में हैं। हम इन्टरनेशनल टर्मिनोलौजी को एक्सेप्ट करें लेकिन उन किताबों की जो स्क्रीप्ट हैं, वे हिन्दी में होनी चाहिए । मैं यह कहना चाहूंगा कि आज मेडिकल बोर्ड में या हेल्थ सेक्रेटरी जो हैं, यह आई0 ए0 एस0 से आते हैं । इसके लिये एक सेलेक्शन बोर्ड होना चाहिए । इन डाक्टर्स का एप्वाइन्टमेंट, इन हेल्थ सेक्रेटरीज का एप्वाइन्टमेंट चाहे वह आई0 ए0 एस0 हों, पी0 सी0 एस0 हों या डाक्टर्स हों एक सेलेक्शन बोर्ड के थ्रू होना चाहिए। क्योंकि आई0 ए0 एस0 अधिकारी ऐसे ईंट होते हैं जिनको आप किसी मंदिर में भी लगा सकते हैं, मस्जिद में भी लगा सकते हैं और कुतुबमीनार में भी लगा सकते हैं। लेकिन कहां लगा सकते हैं? क्यों लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं? इसके बारे में कोई नहीं बता सकता है। मैं बताना चाहता हूं कि चन्डीगढ़ में एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है जहां हिमांचल प्रदेश, पंजाब दिल्ली से . . . (व्यवधान)

मान्यवर, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। तो वहां पर जिन-जिन प्रोविन्सेज से मरीज आते हैं उनका परसेन्टेज क्या है इसको देखकर उन प्रान्तों को चिकित्सा के लिये अनुदान दिया जाता है । इसी तरह से बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में आयुर्विज्ञान संस्थान है जिसमें मध्य प्रदेश और दूसरे प्रदेशों से लोग आते हैं। मैं मांग करता हूं कि इस तरफ भी आप ध्यान दें।

श्री अधिष्ठाता–

एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

डा0 रजनी कान्त दत्त–

लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत दवाओं के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को जो अनुदान देना है वह नहीं दिया जा रहा है । वहां के लिये प्रोवीजन है . . (व्यवधान) मैं इस विषय पर मंत्री जी से वार्ता कर लूंगा ।

नियुक्ति के सम्बन्ध में एक चीज और कहना चाहता हूं जहां पर आप स्पेशलाइज्ड डाक्टर्स भेजते हैं उन जगहों पर कभी-कभी आपने उन विशेषज्ञों को भेजा है जिनके पास पर्याप्त अनुभव था लेकिन उन डिसपेंसरीज में वे विशेषतायें उपलब्ध नहीं थीं । . . . (व्यवधान)

मान्यवर, एक मिनट और समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

नहीं, अब आप बैठें, 5 मिनट मैं दे रहा हूं, आपको मैं दो मिनट ज्यादा दे चुका हूं ।

डा0 रजनी कांत दत्त–

इन शब्दों के साथ मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, इसमें दो राय नहीं कि जो स्वास्थ्य विभाग का बजट प्रस्तुत किया गया है इससे स्वास्थ्य विभाग में सुधार और सुदृढ़ीकरण होगा। मान्यवर, हमारे स्वास्थ्य विभाग ने अनेकों महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। जैसे पहले इस प्रदेश में मलेरिया के प्रकोप से गांव के गांव खाली हो जाते थे, उसी तरह से हैजे और दूसरे संक्रामक रोगों से अनेकों लोग मर जाते थे। चेचक से बड़ी मात्रा में लोग पीड़ित थे लेकिन आज हमारे स्वास्थ्य विभाग के प्रयास से चेचक का उन्मूलन हो गया है और अगर कोई व्यक्ति उसकी सूचना देता है तो उसे इनाम दिया जाता है। लेकिन जहां हमें अपनी सरकार और स्वास्थ्य मंत्री जी पर पूर्ण विश्वास और आशा है वहीं स्वास्थ्य विभाग के संबंध में कुछ मांग और शिकायतें भी हैं, जो स्वाभाविक हैं। जिस व्यक्ति से या सरकार से आशायें होती हैं, उसी से शिकायत भी करते हैं।

मैं अपने जनपद गोंडा के संबंध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि हमारे जिला अस्पताल में ई0एन0टी0, चाईल्ड स्पेशलिस्ट, आई0 डिपार्टमेंट और होम्योपैथी को वेल इक्वीप किया है। लेकिन जिला अस्पताल का भवन अधूरा पड़ा है। हमारे जनपद में माननीय मंत्री जी गये थे तो मैंने उस वक्त मांग की थी कि वहां जगह बहुत है लेकिन भवन पूरा नहीं बना है, वह 1/3 ही बना है। होम्योपैथी के डाक्टर के बैठने के लिए जगह नहीं है। वह लकड़ी के कटघरे में जो 6×6 फुट का बना है, बैठते हैं। वह डाक्टर बहुत अच्छे हैं। इसके लिए मैं बधाई देता हूं लेकिन शिकायत यह है कि होम्योपैथी, यूनानी डाक्टर जो आपने दिये हैं उनके लिए ठीक व्यवस्था नहीं है और उनके लिये इक्वीपमेंट नहीं है। हमारे यहां ई0 एन0 टी0 डाक्टर बहुत अच्छे हैं लेकिन अगर गले में कोई चीज फंस जाय तो उसके लिए जो संयत्र होता है जिससे उसे फौरन निकाला जा सकता है, वह नहीं है। तो यंत्रों के उपलब्ध न होने के कारण उपचार सही नहीं हो पाता है।

दूसरी बात हमारे जिला अस्पताल गोंडा में सुपरिन्टेन्डेन्ट और फिजीशियन के रहने के लिए आवास की व्यवस्था है लेकिन बाकी जो डाक्टर हैं उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, वे दूर-दूर से आते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि डाक्टरों के रहने की सुविधा का भी ख्याल रखा जाय। इसलिए मैं मांग करूंगा कि हमारे यहां जिला अस्पताल में डाक्टरों के आवास सुविधा का ध्यान रखा जाय।

हमारे स्वास्थ्य विभाग ने रोग के उपचार के लिए बहुत ध्यान दिया है। लेकिन उपचार में दो मुख्य बातें प्रिवेंशन और क्योर यानी उपचार और रोक-थाम दो चीजें हैं। मैं प्रिवेंशन की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से असफल रहा है। (लाल बत्ती होने पर) मैं दो मिनट और लूंगा। विभाग को इसका भी ध्यान रखना चाहिये कि रोगी को मालूम हो कि कैसे प्रारम्भ में बीमारी के बारे में जानकारी हो जिससे वह रुक सके और बीमारी बढ़ने

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

न पाये। जैसे कुष्ट रोग है उसके बारे में रोगियों में प्रचार होना चाहिये, हास्पिटल्स में बोर्ड लगे रहने चाहिये कि कैसे कुष्ठ रोग को रोका जा सकता है, उसके लक्षण क्या हैं? पी0एच0सी0 और ब्लौक्स पर इसकी रोक-थाम के लिए बोर्ड लगे रहने चाहिये। मरीजों को बताया जाना चाहिये कि शुरू में ही वह डाक्टर के पास चले जायं। इस बात को मैंने स्वास्थ्य कमेटी में भी कहा था लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। न अस्पतालों में और न सार्वजनिक स्थानों पर। तो मेरा सुझाव है कि प्रिवेंटिव मेजर की तरफ स्वास्थ्य विभाग विशेष ध्यान दे। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हृदय से समर्थन करता हूं और आपके प्रति मान्यवर, आभार प्रकट करता हूं।

चौधरी श्याम लाल–

मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। मान्यवर, स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में मैं केवल दो बिन्दुओं के बारे में कहना चाहता हूं। मान्यवर, पहला बिन्दु है कि सबसे बड़ी चीज है डेथ रेट कम हो गया है, आयु सीमा बढ़ गयी है। लेकिन हम देखते हैं कि मनुष्य के शरीर का ढांचा दिन प्रति दिन कम होता जा रहा है। 'नामेन क्लेचर आफ दि बाडी, का ह्रास हो रहा है। इसका क्या कारण है? मान्यवर, वास्तव में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भोजन और परिपोषण के मानदंडों का दिन प्रति दिन ह्रास होता जा रहा है। इसलिये फूड एण्ड न्यूट्रीशन वैल्यूज की रिसर्च करायी जाये और समाज में प्रचार कराया जाये। अच्छे भोजन और परिपोषण के मानदंडों के संबंध में समाज में बताया जाना चाहिए। इसकी ओर स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

मान्यवर, दूसरे बिन्दु के संबंध में कहना चाहता हूं कि परिवार कल्याण में विश्व कल्याण और राष्ट्रीय कल्याण निहित है। लेकिन यह परिवार नियोजन सुनियोजित तरीके से नहीं चलाया जा रहा है। मान्यवर, एकेडेमिक्स, पढ़े लिखे लोगों और शिक्षाविदों, जिनके निर्देशन में यह परिवार नियोजन कार्यक्रम चल रहा है, वह इसमें आगे क्यों नहीं आते हैं? जब यहां का स्वास्थ्य निदेशक, स्वास्थ्य सेवाओं के बड़े-बड़े अधिकारी ही लक्ष्य दम्पत्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं तो परिवार कल्याण के लिये समाज उनसे कैसे प्रेरित होगा?

मान्यवर, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 15 हजार की जनसंख्या पर एक चिकित्सक दे रहे हैं, जिसमें औसतन 5 हजार परिवार हुये। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक परिवार का कार्ड होना चाहिए और दो पटल होने चाहिए जिनमें परिवार नियोजन वाले के कार्ड एक पटल पर और दूसरे पटल पर बिना परिवार नियोजित कार्डों पर विशेष चिकित्सा सुविधायें दी जानी चाहिए और उनके बच्चों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

मान्यवर, एक बात खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी मेडिकल कालेजों में लेक्चरर्स की नियुक्तियां हुईं लेकिन उसमें आरक्षित वर्ग से एक भी नहीं लिया गया है, यह खेदजनक बात है। इसी प्रकार एक हजार होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डाक्टरों का चुनाव किया गया किन्तु उसमें भी इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हैं, जिनका परिवार कल्याण में सबसे ज्यादा रुचि है उनको नहीं

रखा गया। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और उनके लिये प्राथमिकता रखी जानी चाहिए। इसी प्रकार गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों को जो परिवार नियोजित हैं उनके बच्चों को चतुर्थ श्रेणी की नौकरी में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मान्यवर, कानपुर में मेडिकल कालेज में जिन लोगों ने प्रि-मेडिकल टेस्ट पास किया है उनका मेडिकल कालेज में एडमीशन नहीं हो रहा है, इस संबंध में निवेदन है कि मंत्री जी जांच करायें कि उनका क्यों एडमीशन नहीं हो रहा है?

*श्री हनुमान प्रसाद कुरील–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी के बजट पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके पहले कि मैं उनको धन्यवाद दूं। . .

श्री अधिष्ठाता–

आप अपने क्षेत्र के बारे में सुझाव दे दें।

श्री हनुमान प्रसाद कुरील–

इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं, जैसा कि अन्य भी कई भाइयों ने कहा है, उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कालेजेज हैं, उनमें हमारे अनुसूचित जाति के लोगों के रिजर्वेशन का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। इन 9 मेडिकल कालेजों में केवल 20–22 मात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं, बाकी सभी उनके सुरक्षित स्थान खाली पड़े हैं। अतः मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि जहां पर अनुसूचित जाति के छात्रों का प्रश्न है, उनकी कोटे के हिसाब से संख्या पूरी होनी चाहिए। यह मेरी मंत्री जी से मांग है। अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में यह कहना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र बिल्हौर बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां पर स्वास्थ्य सम्बन्धी कोई भी सुविधायें ग्रामीणों को नहीं प्राप्त हैं। वहां एक कस्बा मकनपुर है, जहां पर मदारशाह का बहुत बड़ा प्रसिद्ध मेला लगता है, वहां पर एक आयुर्वेदिक अस्पताल चल रहा था, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि उस आयुर्वेदिक अस्पताल को वहां से शिफ्ट कर दिया गया, खत्म ही कर दिया गया और अब वहां पर कोई डाक्टर नहीं है न वैद्य है। इस तरीके से वह इलाका स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से बिल्कुल वंचित कर दिया गया है जो पहले ही बहुत पिछड़ा हुआ था।

इसके साथ ही इस पिछड़े हुए क्षेत्र में विशधन है, जिसके आस-पास 70-80 गांव लगते हैं, वहां पर भी कोई स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा नहीं प्राप्त है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब जिला योजना के अंतर्गत और जिला परिषद् के अंतर्गत तमाम योजनाएं प्रदान की जाती हैं, तो उसमें वहां के लिए 20 शैय्याओं वाला एक अस्पताल खोला जाए। कभी-कभी वहां पर ऐसा होता है कि हमारी मां-बहनों को अपनी चिकित्सा के लिए यहां से 70-80 किलोमीटर दूर कानपुर जाना पड़ता है, जिसमें काफी समय लगता है, धन की बर्बादी होती है और परेशानी होती है तथा वहां तक ले जाने में मरीज की हालत भी खराब हो जाती है। हमारे क्षेत्र में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक अरोल का भी इलाका है, जो जी0 टी0 रोड पर पड़ता है। उसमें बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन वहां पर भी स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं नहीं हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कम से कम 15 शैय्याओं वाला एक अस्पताल अरौल में खुलवा दिया जाए, ताकि यहां के निवासियों को सुविधा पहुंच सके। (व्यवधान) स्वास्थ्य सम्बन्धी समुचित सुविधाओं की ओर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो यह प्रदेश के लिए अच्छा नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, हमारे विद्वान स्वास्थ्य मंत्री जी ने बड़ा महत्वाकांक्षी बजट प्रस्तुत किया है और उसके पढ़ने से बड़ी आशा बंधती है।

श्री नरेन्द्र सिंह यादव–

मैं चाहता हूं कि जो सदस्य सदन में कम बोलते हैं आज उनको आप अवसर दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी।

श्री अधिष्ठाता–

मैं वही कर रहा हूं।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, इस बजट को पढ़ने के बाद एक बात स्पष्ट सामने आई है। जिस अनुपात में प्रदेश की जनसंख्या है, उस अनुपात में रुपयों का बंटवारा नहीं हुआ है। अभी भी जिस प्रकार और विभागों के द्वारा देहात के लोग उपेक्षा के शिकार हैं, वही परम्परा इस बजट में भी प्रतिबिम्बित होती है।

श्री लाल प्रताप सिंह–

सुनाई नहीं पड़ रहा है, इनसे कहें कि माईक पर बोलें।

श्री समर पाल सिंह–

मेरा अनुरोध है कि हमारे मंत्री जी इस बात पर विशेष ध्यान दें कि जो योजनायें वह चला रहे हैं उनका क्रियान्वयन सुचारु रूप से हो रहा है या नहीं। मेरा निश्चित मत है कि अगर योजनाओं का सही क्रियान्वयन किया जाय तो समस्यायें आसानी से दूर हो सकती हैं। यदि रोगों की रोक-थाम पर ज्यादा ध्यान दिया जाय तो चिकित्सा पर कम व्यय करना पड़ेगा। जो गांव में रहते हैं उनमें से बीमारियों के शिकार विशेष रूप से कृषि में लगे लोग बीमारियों के शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनको बहुत श्रम करना पड़ता है। उनको मलेरिया वगैरह हो जाया करता है और वह अक्षम हो जाते हैं। कृपया आप इस तरफ ध्यान दें क्योंकि उनका सीधा संबंध उत्पादन से होता है। अगर माननीय मंत्री जी सुनिश्चित कर लें कि जितना रुपया स्वास्थ्य पर बीमारियों के उपचार पर लगाया जाता है, उसका सही इस्तेमाल हो रहा है तो बड़ी समस्या हल हो सकती है। यह भी मेरा निश्चित मत है कि अगर देहात में वह सुविधायें

उपलब्ध हो जायं जो शहरों में दी जाती हैं तो शहरों की बहुत सी समस्यायें स्वत: हल हो जायेंगी। जितनी शहरों की आबादी बढ़ रही है, वह केवल जन्मदर की वजह से नहीं है बल्कि लोगों का गांवों से शहरों की ओर पलायन है। जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है और बीमारियां बढ़ रही हैं । स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है । माननीय मंत्री जी आप बहुत भ्रमण करते हैं। आप मेरे क्षेत्र में तशरीफ ले गये थे और उस क्षेत्र को देखा था। कोठी खिदमतपुर कालिज में 3 एकड़ जमीन देने की बात थी और एक लाख रुपया भी वह लोग दे रहे थे। वहां प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित किया जाय। वह ऐसी जगह है जहां पर 20-20 किलोमीटर तक दूसरा शहर नहीं है। पता नहीं वह कौन सा दिन होगा जब मंत्री जी की नजर हमारी तरफ जायेगी ?

श्री अधिष्ठाता–

वह आपकी ही तरफ देख रहे हैं।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, धन्यवाद । दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि यह इतना बड़ा विभाग है और मंत्री जी इतने सक्षम मंत्री हैं लेकिन फिर भी जो क्षेत्र में हो रहा है उसका उनको मुश्किल से पता चलता है। डाक्टरों के ट्रांसफर हो जाते हैं और 8-10 महीने तक उसकी जगह पर डाक्टर अस्पताल नहीं पहुंचते हैं। मेरे यहां जोमा का अस्पताल ऐसा है, जहां डाक्टर नहीं है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि इन समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दें । मान्यवर, आपको धन्यवाद ।

श्री राम राज शुक्ल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं। यह बात सही है कि बहुत सी बीमारियां जैसे हैजा, ताउन, चेचक आदि को स्वास्थ्य विभाग ने कन्ट्रोल किया है जिसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। आज स्वास्थ्य जन-जीवन के लिये बहुत महत्व की चीज है। लेकिन हम देखते हैं कि स्वास्थ्य गिरता चला जा रहा है । इसका मुख्य कारण है कि अपमिश्रण किया जाता है। हर चीज में खाने में, दवाओं में, खाद्य पदार्थों में मिलावट होती है जो देश के लिये, समाज के स्वास्थ्य के लिये बहुत खतरनाक है। मेरा निवेदन है कि इस पर नियंत्रण किया जाय। आज हर जगह पर अनधिकृत रूप से डाक्टर बने लोग घूम रहे हैं और वह दवायें और इंजेक्शन दे रहे हैं, जो समाज के लिये बड़ा अहितकर है। इसको चेक किया जाय ।

आज जगह-जगह पर जो अस्पताल बने हैं, उनमें साज-सज्जा की कमी है और आधुनिक उपकरणों की कमी है। तो मेरा निवेदन है कि जो अस्पताल खोले जायं उनको हर तरह की सुविधा प्रदान की जाय। गांव-गांव में जो नर्सेज हैं उनके रहने के लिये वहां पर व्यवस्था नहीं है। मेरा निवेदन है कि नर्सेज के लिये आवास की व्यवस्था की जाय और उनको दवायें दी जायं। आज स्वास्थ्य के संबंध में प्रचार चल रहा है इसके लिये आवश्यक है कि मेडिकल कालेजों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रवेश दें क्योंकि गांवों में अस्पताल तो खुले हैं लेकिन डाक्टरों की कमी है। मान्यवर, हमारे यहां की जलवायु कुछ ऐसी है जहां पर अधिक से अधिक प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र खोले जा सकते हैं। इसलिए मा0 मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वहां पर यह केन्द्र ज्यादा से ज्यादा खुलवाए जाएं ।

श्री जय नारायण तिवारी–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, वर्तमान

संदर्भ में और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह का बजट माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, एक अच्छा बजट ही कहा जा सकता है। साथ ही मैं एक बात सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं कि जहां आज राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे हैं कि गांवों की तरफ देखो, वहीं पर आप गांवों की तरफ देखिए। आज एम0 बी0 बी0 एस0 डाक्टर्स हेड क्वार्टरस् की पोस्टिंग को छोड़कर गांवों की पोस्टिंग पर जाने को अच्छा नहीं समझते हैं। हमारा क्षेत्र एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री का क्षेत्र है किसौली। इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं। सन् 1982 में वहां पर 2 अस्पतालों की आधार शिला रखवायी गयी थी। एक तो महिला अस्पताल, बल्दरी राय ब्लाक मुख्यालय पर, दूसरा-धनपदगंज ब्लाक मुख्यालय पर 30 शैय्याओं का और तीसरा खलियापुर में। साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे यहां देहली बाजार के अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू तो हो गया है, लेकिन बड़ी मंथरगति से चल रहा है, इसमें कुछ तेजी करायी जाए। साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि देहली बाजार, हलियापुर व मायंग में डाक्टरों की नियुक्तियां की जाएं। मान्यवर, मा0 मंत्री जी काफी समय से स्थायी रूप से इस विभाग को देख रहे हैं। इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं। हमारे यहां कुछ बच्चों के इम्तिहान होने वाले थे। उनमें से किसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन में कौन-कौन मंत्री हैं, यह भी पूछा जाने वाला है, तो एक बच्चे से पूछा गया कि बताओ स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं, तो बच्चे ने कहा कि इनको कौन नहीं जानता है कि मा0 लोकपति त्रिपाठी जी हैं। काफी स्थायी मंत्री हैं, इनके स्थायित्व को कौन नहीं जानता है? इसलिए मैं फिर एक बार कहूंगा कि भूतपूर्व मा0 मुख्य मंत्री श्रीपति मिश्र के समय के जो अस्पताल अभी अधूरे पड़े हैं, उन्हें शीघ्रता से पूरा कराया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता–

समय कम है, इसलिए सभी माननीय सदस्य केवल अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित सुझाव ही दें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, आधे घंटे का समय मुझे भी चाहिए ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया और जैसा कि आपने अभी आदेश दिया कि केवल सुझाव ही रखे जायें तो मैं केवल संदर्भित विभाग से संबंधित कुछ सुझाव ही आपके सामने रखना चाहूंगा। जहां मान्यवर, पूरे प्रदेश भर में यह देखा गया है कि दवाइयों और डाक्टरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पर्वतीय अंचल के बहुत सारे अस्पतालों में आज भी डाक्टर्स नहीं हैं, बगैर डाक्टरों के अस्पताल हैं। मैं अपने क्षेत्र के कुछ अस्पतालों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जहां सालों से डाक्टर नाम की कोई चीज नहीं है। मान्यवर, मैं जनपद पौड़ी गढ़वाल के चिकित्सालयों–यमकेश्वर वि0 खंड असनखेत, कांडा खाल (कौंड़िया), बल्ली, मौली (दुधार खाल) लाल पानी, रथुआ ढाप आदि ऐसे अस्पताल हैं, जिनमें सालों साल से डाक्टर नहीं है। मान्यवर, आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन लोगों के लिए ये अस्पताल सरकार की ओर से खोले गये हैं, क्या जनता इन अस्पतालों से लाभान्वित हो पा रही है ? मान्यवर, यह भी एक विडम्बना है कि

एम0 बी0 बी0 एस0 डाक्टर पर्वतीय क्षेत्र के दूर दराज के स्थानों पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन लोगों को इन स्थानों पर सुख-सुविधा नहीं मिल पाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में डाक्टरों की रुचि बढ़ाने के लिए कुछ विशेष सुविधायें जैसे वेतन में वृद्धि, पर्वतीय भत्ता, उन्हें अधिक इन्क्रीमेन्ट, आवासीय सुविधायें प्रदान की जायं। साथ ही जहां पर देश भर में डाक्टरों की कोई कमी नहीं है, वहीं पर पर्वतीय क्षेत्रों में डाक्टर नहीं रह पाते। इस संदर्भ में मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री को यह सुझाव देना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन न किया जाय, बल्कि जो डाक्टर पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी सेवायें देना चाहते हैं, उनको मेरिट लिस्ट में छूट देते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में सर्विस देने की कृपा करें। इससे स्वास्थ्य विभाग की जो मंशा जनता के स्वास्थ्य में सुधार लाने की है, वह पूरी हो सकेगी ।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में दवाइयों की भी बड़ी शिकायतें हैं। इस संदर्भ में मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि भरपूर मात्रा में दवाइयां पर्वतीय अंचल में भेजी जाय, क्योंकि कई-कई किलो मीटर तक दवाइयों को पहुंचाना और ले जाना डाक्टरों व उनके स्टाफ के सदस्यों के द्वारा संभव नहीं हो पाता है। अतः पर्याप्त मात्रा में दवाइयों को सी0 एम0 ओ0 आफिस में उपलब्ध कराया जाय। साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग का मानक नये अस्पतालों को खोलने का है कि 20 हजार की आबादी पर एक अस्पताल खोला जाय। मान्यवर, इससे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को न्याय नहीं मिल पायेगा, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में 97 व्यक्ति प्रति किलो मीटर के हिसाब से रहते हैं, जब कि मैदानी क्षेत्रों में प्रति किलो मीटर के हिसाब से 377 व्यक्ति रहते हैं। अतः मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए 20 हजार व्यक्तियों की आबादी को घटा कर 10 हजार की आबादी पर एक अस्पताल खोलने का मानक बनाया जाय, ताकि वहां के जन-मानस को स्वास्थ्य विभाग का लाभ मिल सके। अंत में मान्यवर, मैं आपका पुनः आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया और माननीय मंत्री जी द्वारा रखे हुए स्वास्थ्य विभाग के बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री फजले मसूद–

मान्यवर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा रखे हुए स्वास्थ्य विभाग पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने बजट को ऐसे मौके पर रखा जब कि विपक्षी दल यहां से वाक आउट कर गया और उसने भारत बंद का आह्वान किया है, यह बहुत ही निन्दा का विषय है। वे नहीं समझते कि कोई मरीज अपना दम तोड़ रहा है और इलाज के लिए उसे अस्पताल जाना है, यहां तक कि वह मरीज आधे रास्ते में अपना दम तोड़ देता है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के बजट के महत्व को नहीं समझा, इसलिए इस मौके पर हम उनकी और भी निन्दा करते हैं।

(इस समय 3 बजकर 59 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान देवरिया जनपद के अस्पताल की तरफ दिलाना चाहता हूं। वहां छोटी-छोटी दवायें भी मरीजों को खरीदनी पड़ती हैं। अगर कोई मरीज इंजेक्शन लगवाता है तो वहां स्प्रिट भी बाजार से क्रय करते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि गरीब जनता के लिए वहां सामान उपलब्ध कराये जाने चाहिए तथा यह भी देखा जाना चाहिए कि अधिकारी बदनीयती तो नहीं कर रहे हैं। दूसरी गुजारिश यह करना चाहता हूं कि परिवार नियोजन कार्यक्रम में किसी लक्ष्य का निर्धारण न किया जाय, बल्कि सुविधायें दी जायें ताकि हमारी गरीब जनता परिवार नियोजन की सुविधाओं से आकर्षित होकर परिवार नियोजन कराये, क्योंकि परिवार नियोजन की वजह से जनता पर कुछ जुल्म हो जाते हैं। अतः सुविधाओं का बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष–

सब माननीय सदस्य इसमें रुचि रखते हैं, यह अच्छा विषय है लेकिन समय ज्यादा हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सब लोग अपने सुझाव माननीय मंत्री जी को लिखकर भेज दें।

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, आधे घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है।

श्री शैलेन्द्र कुमार–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां तीन टाउन एरिया हैं, सरायकिल, भरवारी, चायल। मैं आपके माध्यम से मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान सरायकिल में जो अस्पताल है वहां की हालत बहुत दयनीय है, सभी गांवों में न्याय पंचायत स्तर पर एक महिला डाक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए। मान्यवर, सभी जगह प्राइवेट प्रैक्टिशनर पर रोक लगायी जानी चाहिए। वह इधर-उधर की दवायें देते हैं, जिससे मरीजों को बहुत नुकसान होता है तथा हालत खराब होने से रोगी मर जाते हैं, "नीम हकीम खतरे जान" है। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि मेडिकल कालेज में जो सरकारी डाक्टर होते हैं वह नर्सिंग होम खोलकर अपना व्यापार चलाते हैं तथा खूब लूट रहे हैं। इस पर भी रोक लगानी चाहिए। मेरे क्षेत्र भरवारी में 50 बेड का अस्पताल मंजूर हुआ, लेकिन वहां कोई कार्य अभी तक नहीं हुआ है।

मान्यवर, मेडिकल कालेज में रैगिंग जो होती है उस पर रोक लगायी जानी चाहिए। मान्यवर, हमारे जनपद इलाहाबाद में मेडिकल कालेज में सभी विधायकों की एक बैठक हुई थी जिसमें हम लोगों ने स्वयं निरीक्षण किया। जिसमें बताया गया कि रोगियों को अच्छा भोजन नहीं मिलता है। सफाई नहीं होती है, लैट्रीन बाथरूम सब गन्दे पड़े रहते हैं। मान्यवर, इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वास्थ्य बजट का समर्थन करता हूं।

श्री बाबू सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने स्वास्थ्य बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। स्वास्थ्य का बजट

जन जीवन से सीधा सम्बन्ध रखता है, यह सब जानते हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने सारे प्रदेश की चर्चा के तहत अपना बजट प्रस्तुत किया। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं जिनकी ओर माननीय मंत्री जी ध्यान दे सकें। दवा की मिलावट के प्रकोप से देश और प्रदेश पीड़ित है। मैं चाहूंगा स्वास्थ्य मंत्री जी जहां मेडिकल कालेज और चिकित्सालय खोल रहे हैं वहीं दवा की मिलावट की ओर ध्यान दें। चिकित्सालयों से दवा चोरी हो जाती है। आज गरीब चिकित्सालय में जाता है, तो उसको दवा नहीं मिल पाती है, क्योंकि दवा चिकित्सालयों से गायब रहती है। यह दुर्भाग्य की बात है। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज एक फैशन हो गया है कि डाक्टर चिकित्सालयों में ध्यान न देकर नर्सिंग होम की तरफ दौड़ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ठीक है, वह पैसा कमायें, मंत्री जी उनके वेतन में मासिक वृद्धि कर दें। मेरा निवेदन है कि इस फैशन का मंत्री जी रोकने का प्रयास करें। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि हमारे मुजफ्फरनगर जिला चिकित्सालय की जो दशा है, उसके अन्दर कोई घुस नहीं सकता है। वहां पर बदबू व्याप्त है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा। हमारा निर्वाचन क्षेत्र बघरा, जनपद मुजफ्फरनगर का ग्रामीण क्षेत्र है। वहां कोई टाउन एरिया नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष–

बाबू सिंह जी, अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्रीमती विमला सिंह–

मुझे स्वास्थ्य के बजट पर आपने बोलने का अवसर दिया, मैं आपकी आभारी हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का दिल से स्वागत करती हूं। मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाना चाहिए। जहां गांवों में डाक्टर जाना नहीं चाहता है। गांव के लोगों को यह जानकारी नहीं होती है कि स्वास्थ्य के बारे में कैसे रहें? कैसे बीमारी से बचें? इस सब के लिये मैं चाहूंगी कि स्वास्थ्य मंत्री जी इसके लिये किसी प्रकार की वेन या कोई ऐसा विभागीय दल गांवों में भेजे जो गावों के लोगों को शिक्षित कर सके। चल-चित्र के माध्यम से यह शिक्षा दी जा सकती है कि कैसे हम स्वस्थ हैं? दूसरा सुझाव जो बच्चों के बारे में होगा उन के सम्बन्ध में कहना चाहती हूं कि जिन माताओं का अपने बच्चों को टीके लगवाने होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि किस महीने में टीके लगवाने होते हैं। अगर आप गांव-गांव में नहीं करा सकते तो ब्लाक स्तर पर इसका प्रबन्ध अवश्य करा दें कि डिप्थीरिया, टिटनेस और अन्य जो टीके लगते हैं, वह कब उपलब्ध हो सकेंगे और कब मायें अपने बच्चों को लाभ दिला पायेंगे। इसके अतिरिक्त जो डाक्टर गांवों में नहीं जाना चाहते, उनको अधिक वेतन देकर गांवों में भेजा जाय। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं अपने क्षेत्र के लिये एक महिला अस्पताल की मांग करती हूं। बजट का समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

श्री पूरन सिंह माहरा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं

आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य मंत्री जी के बजट पर बोलने का मौका दिया और उनके द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । मैं सीधे कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि आपने जो अभी पी0 एच0 सी0 की बात कही कि 20 हजार पापुलेशन पर एक पी0 एच0 सी0 खोली है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप पर्वतीय क्षेत्र को एक इकाई मानकर खोल रहे हैं, इससे किसी खास जनपद में तो पांच-पांच हजार पर पी0 एच0 सी0 खुल गयी है तथा अन्य जनपदों में 60-60 हजार पर भी उनको नहीं मिल पा रहा है और कहीं जरूरत कम है लेकिन मिल रहा है । अतः जनपदवाइज दिया जाना चाहिए। जनपद को इकाई मानकर ऐसा करने से वहां पर असन्तुलन हो रहा है। इसके अतिरिक्त आपके डाक्टर देवायल, भतरौंचखान, मौनधाल आदि में जहां भी भेजे जाते हैं, वे डाक्टर वास्तव में वहां नहीं रहते। वे सी0 एम0 ओ0 से सांठ-गांठ करके मुख्यालय पर ड्यूटी करा लेते हैं। आप आदेश कीजिये कि जो डाक्टर जहां के लिये भेजा जाय, वह उसी अस्पताल में रहे। इसी प्रकार डिप्टी सी0 एम0 ओ0 अपने क्षेत्र में ही रहना चाहिये । फिर क्षेत्र में ही रहना चाहिए फिर डाक्टरों के रहने के लिए आवासीय व्यवस्था होनी चाहिये। डाक्टर अच्छा मकान व सुविधा न होने के कारण अपने अस्पतालों में नहीं रहते हैं। इसके साथ ही आपने इस बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री किशोरी लाल सकलानी–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। उसमें आपने परिवार नियोजन में विशेष उल्लेखनीय कार्य किया है, वह प्रशंसा योग्य है। मान्यवर, चेचक, प्लेग और हैजा जैसी बीमारियों को रोकने का शासन ने प्रयास किया है, उसके लिये आप प्रशंसा के पात्र हैं। हमारी दून घाटी में मान्यवर, गला फूलने की एक बीमारी होती थी, उसमें भी कन्ट्रोल हुआ है। मेरा अनुरोध है कि नमक में जो आयोडीन मिलाया जाता था, उसमें लापरवाही न हो । जिससे बीमारी फिर फैल जाय। एक बात और कहना चाहूंगा कि विशेष व्यक्तियों पर पारिवारिक जनों का ही अधिकार नहीं होता, उन पर सभी का अधिकार होता है ।

माान्यवर, माननीय लोकपति त्रिपाठी जी के पिताजी माननीय श्री कमलापति त्रिपाठी जब यहां के मुख्य मंत्री थे, तो उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि दून घाटी में एक मेडिकल कालेज खोला जायेगा । लेकिन अभी तक वहां मेडिकल कालेज की स्थापना नहीं हो सकी । मैं अनुरोध करूंगा कि वहां मेडिकल कालेज की स्थापना हो ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें । मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है।

*श्री बद्री सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया । मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सातवीं योजना में "सबके लिये स्वास्थ्य" जो योजना बनायी गयी है, वह स्वागत योग्य है । जन स्वास्थ्य कार्यक्रम में ग्रीन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्ड योजना, लाटरी योजना, स्वैच्छिक कार्यकर्ता योजना और व्यक्तिगत पुरस्कार योजना–इनका जो प्राविधान किया गया है, वह सराहनीय है और स्वागत योग्य है ।

मान्यवर, मेरा क्षेत्र कालपी लगभग 80-90 कि0मी0 में फैला हुआ है, जिसमें कोई बड़ा अस्पताल नहीं है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं । हमारे कालपी क्षेत्र में एक बड़ा अस्पताल स्वीकृत किया जाय, जो सारी सुविधाओं से युक्त हो । मान्यवर, क्षेत्र के ग्राम गुरू का इटौरा, परासन, भैंडी, न्यामतपुर, कुठौंदा बुजुर्ग, मुसमरिया यह ऐसे स्थान हैं जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या उपकेन्द्र की तुरन्त आवश्यकता है । इनकी स्थापना तत्काल की जाय और जनरेटर सेट दिये जायं । मान्यवर, इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत जो जमीन के पट्टे आदि का प्रलोभन दिया जा रहा है, यदि उसे बाद में कार्यान्वित नहीं किया गया, तो उसका उल्टा असर पड़ सकता है । मान्यवर, मलेरिया विभाग यह कहता है कि मच्छर तो रहेंगे लेकिन मलेरिया का उन्मूलन होगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि मच्छर भी न रहें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा । इसके अतिरिक्त मच्छर मारने की दवा का छिड़काव सभी जगह किया जाना चाहिये । मान्यवर, इसके अतिरिक्त गांवों में छिड़काव की जो सेलेक्शन की प्रक्रिया है, मान्यवर जिस गांव में जरूरत होती है, वह गांव सेलेक्ट नहीं होता है । छिड़काव की जो दवा है, वह सभी जगह छिड़कायी जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री वीरेन्द्र सोनी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हूं । मान्यवर, मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि पिछले बजट में भी आगरा नगर के बारे में मैंने एस0एन0 हास्पिटल के अन्दर जो पोस्टमार्टम गृह है, उसकी जर्जर हालत को देखते हुए, उसके निराकरण के लिये सुझाव रखा था, मगर आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ । इसके अतिरिक्त मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, एस0 एन0 हास्पिटल के अन्दर मरीजों के लिये खाने, दूध फल आदि की जो व्यवस्था है, उसमें हर साल कटौती की जा रही है । मान्यवर, वहां आगरा के ही नहीं अपितु राजस्थान और मध्य प्रदेश के भी लोग इलाज के लिये आते हैं । मेरा अनुरोध है कि वहां पर उस बजट को बढ़ाया जाय । जिससे मरीजों को राहत मिल सके ।

मान्यवर, मेरा जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहां के लिये मैं एक छोटी डिस्पेंसरी की मांग करता हूं । मान्यवर, इसके साथ ही यह कहना चाहता हूं कि वहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो आन्दोलन किया वहां की अव्यवस्थाओं पर, उन्होंने जो समस्यायें रखी थीं, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वह बिल्कुल सही थीं । मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देश और प्रदेश के हित के लिये ही सोचते हैं । इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो समस्यायें रखी गयी थीं, उन पर ध्यान देकर उनका निराकरण किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें । मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है ।

[4 बजकर 20 मिनट]

श्री राम आंतार मिश्र–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान जनपद शाहजहांपुर के जिला चिकित्सालय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, वहां की स्थिति अत्यन्त ही सोचनीय है। वहां शैय्याएं अत्यन्त कम हैं । उसका विस्तार भी स्वीकृत है । मैं अनुरोध करूंगा कि उसे शीघ्र ही कार्यान्वित कराया जाय ।

इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि मान्यवर, हमारे यहां मलेरिया का प्रकोप व्याप्त रहता है । पिछले वर्ष हमारे जनपद शाहजहांपुर में मलेरिया के प्रकोप से काफी व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई थी। मान्यवर, पिछले वर्ष निगोहा में प्रदेश का स्वास्थ्य दल तथा केन्द्र का स्वास्थ्य दल भी वहां की स्थिति को देखने आया था । फिर भी कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया। इस वर्ष में भी एक-एक गांव में 100-100 लोग मलेरिया से मरे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत एक मदनापुर डिस्पेंसरी है। पिछले 3 वर्ष से वहां पर कोई डाक्टर नहीं है। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध भी किया था कि वहां पर एक डाक्टर की नियुक्ति कर दी जाय। माननीय मंत्री जी ने कहा कि वहां कोई भी डाक्टर जाने को तैयार नहीं है। मैं डाक्टर ढूंढ़ कर लाया था। उसका स्थानान्तरण तो हो गया था, लेकिन आज तक वह रामपुर से मदनापुर डिस्पेन्सरी में नहीं भेजा गया है। अन्त में माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां पर वह मलेरिया की रोकथाम के लिए व्यवस्था करने का कष्ट करें।

श्री राम सिंह एडवोकेट–

मान्यवर, आपने स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं मैनपुरी जनपद से आता हूं। यहां पर बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलायें तम्बाकू का बहुत सेवन करते हैं। डब्लू0 एच0 ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार टुबैको ओरिएन्टेड कैन्सर मैनपुरी जनपद में सबसे ज्यादा है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है कि वह वहां पर एक कैन्सर केयर यूनिट खोलने की व्यवस्था करने की कृपा करें। वहां पर मोबाइल वैन भी होनी चाहियें, जिससे सर्वे करने में आसानी हो और कैन्सर को कंट्रोल किया जा सके। किसनी हमारे यहां एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जो जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर किसी तरह के भी अच्छे डाक्टर की व्यवस्था नहीं है। माननीय मंत्री जी वहां पर कम से कम 30 शैय्याओं का एक अस्पताल खोलने की व्यवस्था करने का कष्ट करें ताकि लोगों को राहत मिल सके।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा–

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इसमें कोई दो-राय नहीं जब से देश और प्रदेश आजाद हुआ, स्वास्थ्य विभाग ने बहुत भारी तरक्की की है। जहां इस प्रदेश में बड़-बड़े महामारी जैसे रोग, और बीमारियों से हजारों बच्चे बिलख-बिलख कर दम तोड़ देते थे, वहीं पर यह देखने में आता है कि जहां प्रदेश में एक मेडिकल कालेज

हुआ करता था। मान्यवर, आज हमारे प्रदेश में हमारी सरकार ने कई जिलों में नये मेडिकल कालेज बनाये हैं। छोटे जिला अस्पताल खोले गये, यूनानी अस्पताल खोले गये, आयुर्वेदिक अस्पताल खोले गये, इस तरह की तमाम सुविधायें हमको मिलीं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि बड़े-बड़े मेडिकल कालेजों व अस्पतालों में जो दवायें गरीब लोगों को मिलनी चाहिये, उनका उपचार होना चाहिए, वे डाक्टरों के घरों में जाती हैं और गरीब व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं होती हैं। गरीब व्यक्ति को अस्पताल से खून नहीं मिलता है। ये तमाम दिक्कतें गांव से आने वाले लोगों को उठानी पड़ती हैं। मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को ठीक करायें, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति का इलाज ठीक से हो सके। मान्यवर, अन्त में सदन के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि गाजियाबाद में जिला स्तर का अस्पताल तुरन्त बनवाया जाय।

(श्री अवधेश राय शास्त्री को पुकारे जाने पर)

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि . . .

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें, मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है।

श्री अवधेश राय शास्त्री–

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। शिकायत इस बात की है कि गाजीपुर जनपद में डाक्टरों की कमी है। साथ ही साथ मुहम्मदाबाद कान्स्टीटुएन्सी में मुहम्मदाबाद तहसील में भांवरकोल, ब्लाक जिसमें शेरपुर गांव है, इसमें अस्पताल की स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन आज तक काम नहीं शुरू किया गया है। गहमर गांव में पुराना अस्पताल है, जहां आज तक न डाक्टर हैं, न दवा है। दिलदार नगर, सुहावल में भी यही स्थिति है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

* श्री राजेन्द्र शर्मा–

मेरठ मेडिकल कालेज में इन-डोर ब्लाक बना हुआ है, मैं चाहता हूं कि बिल्डिंग तो बन गयी है, इसे जल्द शुरू करायें। आपरेशन थियेटर में जनरेटर लगा है लेकिन प्रयोग नहीं होता है। मेडिकल कालेज में पिछले एक वर्ष से जनरेटर रखा होने के बावजूद भी प्रयोग नहीं होता। इसी प्रकार से एक्स-रे मशीन भी वहां पर खराब पड़ी है, ठीक कराने की कृपा करें। सफाई का ध्यान रखें। दुर्भाग्य से मैं पिछले महीने मेडिकल कालेज में गया, तीसरे दिन ही उसे छोड़ना पड़ा, जिला अस्पताल नरकखाना बना हुआ है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ध्यान दें। बागपत में एक्स-रे मशीन खरीदी गयी लेकिन आपरेटर न होने के कारण प्रयुक्त नहीं हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें।

(स्वास्थ्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र शर्मा–

मेरे क्षेत्र में दो अस्पतालों की कमी है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूं और माननीय मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, सम्मानित विधायकों ने, विधायक बन्धुओं ने कुछ मांगें रखी हैं। हर सम्मानित विधायक अपने जिले के नियोजन समिति का सदस्य है। चिकित्सालय, उप स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र इसकी स्वीकृति श्रीमन्, उनके हाथ में है। आपने जो बातें कही हैं उसका अधिकार आपके पास है। 70 प्रतिशत धन आपके पास है। आप अनुदान स्वीकार करेंगे। उसके विकास के लिए 70 प्रतिशत धन आपके पास है। लेकिन आपसे अनुरोध यह है कि आप जिला नियोजन समिति की बैठक में भाग लें और अपनी मांगों को वहां स्वीकार करायें।

श्रीमन्, तीन बिन्दु उठाये गये डाक्टर कौशल के द्वारा आगरा इमरजेन्सी वार्ड की बात उन्होंने रखी। साढ़े बारह लाख रुपया उसको दिया गया था जो कि राज़कीय निर्माण निगम को दे दिया गया है और उनके खाते में ट्रान्सफर भी हो गया है। इसके बाद 5 लाख रुपया राजकीय निर्माण निगम को और दिया गया है। मुझे ऐसी भी सूचना मिली है कि उन्होंने वहां कार्य प्रारम्भ भी कर दिया है।

मान्यवर, डाक्टर कौशल ने तथा माननीय विधायक आगरा ने बाल रोग वार्ड की बात की है। उसके जीर्णोद्धार के लिए 5 लाख रुपया दे दिया गया है और उसका कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है।

मुर्दागृह की बात की है, यह आपको जिला नियोजन से ही कराना है। मेडिकल कालेज के मुर्दागृह की बात भी आपने कही। इसे भी आप जिला नियोजन के माध्यम से स्वीकार कराइये और उसके बाद शासन को भेजिये। वैसे आपकी भावना को मैं अपने माध्यम से जिला नियोजन के अधिकारियों को दे दूंगा ताकि उसका आंकलन करके वे पूरी जानकारी भेज दें।

बढ़लीराय में चिकित्सालय महिला चिकित्सालय के रूप में ही स्वीकार था। अनुभव यह है कि महिला चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जा रही हैं। तो हम लोगों ने यह योजना चलायी कि पार्ट टाइम के लिए या चार घण्टों के लिये ही यदि महिला चिकित्सक चिकित्सालय में जायं तो उन्हें 50 रुपया रोज दिया जायेगा और जो महिला चिकित्सक शाम को जाती है तो उसे 25 रुपया अतिरिक्त देंगे। अभी तक इस योजना के अन्तर्गत 15 महिला चिकित्सक उपलब्ध हो सकी हैं। उस चिकित्सालय को यदि आप पुरुष चिकित्सालय के रूप में मांग रहे हैं तो वैसा ही कर दिया जायेगा। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि वह महिला चिकित्सालय ही रहे तो उसे वैसा ही रखा जायेगा। देहली बाजार की स्वीकृति हो चुकी है। हलियापुर चिकित्सालय का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। उसके लिए जितना धन चाहिए था, वह दे दिया गया है। उच्चीकृत चिकित्सालय धनपतगंज का भी निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

मान्यवर, कुछ बातें और आयीं, जैसे कि गोपेश्वर के नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर की बात, इसको डाक्टर कौशल ने कहा। वहां पर जिन दो छात्राओं का ट्रेनिंग से, जो कि नर्सेज हैं, हटाने की चर्चा की गयी है, उसकी जांच करायी गयी थी। उसमें यह था कि उन्होंने अपने ट्यूटर का पीटा और इस पर वे निकाली गयीं? यहां पर बहुत सी महिलायें बैठीं हैं, मुझे क्षमा करेंगी लेकिन महिला के केस में कोई ट्यूटर

यह कहें कि तुमको नर्सिंग करने को क्या जरूरत है? नर्सिंग सेन्टर की ट्यूटर जिसने सारा जीवन ही इसमें लगा दिया हो, शंका होती है कि वह कैसे कह देगी कि तुम तो अपना शरीर बेचा करो, यहां क्यों काम करती हो, जाओ। तो वह लड़कियां निष्कासित हुई। डा0 कौशल हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, तो जो उन्होंने कहा, वह सत्य बात होगी। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि अगर वह लड़कियां क्षमा मांग लें, तो उनकी नर्सिंग की ट्रेनिंग पूरी करा दी जायेगी।

श्री नरेश चन्द्र–

दूसरे स्थान पर भेज दिया जाय।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

क्षमा मांग लें और कहें कि अनुशासित रहूंगी। श्रीमन्, परिवार कल्याण की जहां तक बात है, यह ग्रीन कार्ड है। इसमें यह है कि जो व्यक्ति पहली जुलाई, 1985 से 2 सन्तान का मानक मानेगा, उसको यह ग्रीन कार्ड दिया जायेगा। अगर उसने पहले मान लिया है तो नहीं मिलेगा। यह पहली जुलाई, 1985 से चालू है। मान्यवर, इसके अन्तर्गत उनको वरीयतायें दी गयी हैं। आवास विकास परिषद् द्वारा निर्मित भवनों में उनको वरीयता दी जायेगी, जिनके पास साढ़े 12 एकड़ तक भूमि है, उनको 3 लगान की माफी दी जायेगी।

श्री अजीत सिंह सेठी–

क्या लाटरी सिस्टम से भी प्राथमिकता होगी?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

होगी, बशर्ते हम और आप उस उम्र को पार कर गये हों, ता इस तरह से 12 प्रमुख प्वाइन्ट हैं और मैं समझता हूं कि उनको आप लोगों में वितरित करा दिया जाये। परिवार कल्याण का लक्ष्य 8 लाख का है और इसमें अपने विधायकों का सक्रिय सहयोग चाहता हूं। मैं मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित कर दूंगा कि वह आपको इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए साधन की व्यवस्था करा दें, जीप उपलब्ध करा दें ताकि आप अपने क्षेत्र में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। जो विधायक 100 केस नसबन्दी के प्रेरित कर देंगे, लाल प्रताप सिंह और सरजू प्रसाद सरोज ने इस ओर कार्य किया है, परन्तु वह अभी 100 नहीं पहुंचे हैं। जो 100 केस देगा उसको ब्लैक एण्ड ह्वाइट टी0 वी0 सेट दिया जायेगा और जो 150 देगा उसको कलर टी0 वी0 का सेट दिया जायेगा। शिविर का आयोजन विधायक करेंगे और उसकी जो व्यवस्था होगी वह शासन करेगा, प्रेरित करके आप लायेंगे।

श्री अवधेश राय शास्त्री–

जो सदस्य अपनी नसबन्दी करायेगा, उसको आप क्या देंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

हम करा चुके हैं, हमको तो कुछ नहीं मिला। मान्यवर, इस वर्ष की जब मैं आयुर्वेदिक होम्योपैथिक और यूनानी की बात कह रहा था तो भूलवश 1986 की जगह 1976 कह गया। आपसे अनुरोध है कि कृपया उस भूल को सुधार कराने का आदेश दे दें।

मान्यवर, इलाहाबाद में हमारे 3 चिकित्सालय है। टी0बी0 सप्रू चिकित्सालय, इलाहाबाद और मोती लाल नेहरू चिकित्सालय, इलाहाबाद जो है, वहां पर प्राइवेट वार्डों की बड़ी कमी है। तो दोनों जगह 20-20 प्राइवट वार्डों का निर्माण इस वर्ष कराया जायेगा। वहां पर एक टी0 बी0 क्षय चिकित्सालय भी है।

वहां पर भी 10 प्राइवेट वार्डों का निर्माण कराया जायेगा । तो जो नव निर्माण होगें, प्राइवेट वार्ड, उनमें 10-10 प्राइवेट वार्ड वातानुकूलित होंगे 10 मोती लाल नेहरू चिकित्सालय में और 10 टी0बी0 सप्रू चिकित्सालय में तथा 5 क्षय चिकित्सालय में। जो व्यक्ति वातानुकूलित वार्ड लेगा उसे 60 रुपये प्रति दिन के हिसाब से व्यय देना पड़ेगा । अन्य प्राइवेट वार्ड साधारण रहेगें और उनमें अगर गर्मी के दिनों में कोई कूलर चाहेगा तो उपलब्ध करा दिया जायेगा और 10 रुपया अतिरिक्त कूलर का लिया जायगा । जो हम नये जिला चिकित्सालय बना रहे हैं, उनमे भी प्राइवेट वार्डों की व्यवस्था कर रहें हैं । इन जगहों पर भी प्राइवेट वार्ड देगें और उनसे रुपये लिये जायेगें ताकि हम अन्य जिला चिकित्सालयों में प्राइवेट वार्डों का निर्माण कर सकें ।

डायलिसिस का प्रश्न उठा था । श्रीमन्, पिछले वर्ष मैंने कहा था कि जहां-जहां डायलिसिस यूनिट लगें, वहां वहां प्रति व्यक्ति 300 रुपये प्रति डायलिसिस लिये जायेंगे जो डायलिसिस करायेंगे और बाकी व्यय खुद शासन करेंगी मान्यवर, क्षमा करें 300 रुपया शासन देगी और बाकी व्यय उससे लिया जायेगा। जो निःशुल्क चिकित्सा के अधिकारी हैं, ईश्वर न कर किसी सम्मानित विधायक को इसकी आवश्यकता पड़े या किसी भूतपूर्व सम्मानित विधायक को इसकी आवश्यकता पड़े या किसी राज्य कर्मचारी को इसकी आवश्यकता पड़े, तो निःशुल्क चिकित्सा के अधिकारी हैं उनकी चिकित्सा निशुल्क होगी और अन्य के साथ 300 रुपया लिए जायेंगे । हर डायलिसिस चलाने के लिए एक लाख रुपए दिए जाते हैं । जो बहुत गरीब हैं, जो 300 सौ रुपया नहीं दे सकेंगे उसके लिए वह पूर्णतया निःशुल्क रहती है। यह डिस्क्रीशन उस चिकित्सालय के जो प्रमुख वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उनका हो। इसी सन्दर्भ में श्रीमन्, आपके के0 जी0 मेडिकल कालेज में फुल बाड़ी स्कैन भी लगाया जायेगा । और वर्ष 1986-87 में प्रयास है कि 2 और मेडिकल कालेज में फुल बाड़ी स्कैन लगाये जाने की व्यवस्था की जाय । मान्यवर, अपने मेडिकल कालेजों में आधुनिक उपकरणों के लिए एक 23 करोड़ की योजना बनाई गई है । उसके लिए धन की व्यवस्था करो हो, यह प्रयास किया जा रहा है । भारत सरकार से भी अनुरोध किया जा रहा है कि इसमें कुछ सहयोग करें । उनके पास बहुत सा विदेशी ऋण आता है उसे हमारे मेडिकल कालेज को दे, ताकि आधुनिक साजसज्जा अपने मेडिकल कालेजों में उपलब्ध करा सके । जैसा कि चर्चा करी गई कि उपकरण बहुत पुराने हैं उनका नवीनीकरण हो और जिस तरह से प्रगति हो रही है उनके समकक्ष उपकरण लगाए जायं श्रीमन्, सम्मानित विधायकों ने जो सुझाव दिए हैं उसके लिए मैं आपके माध्यम से उनका आभार प्रकट करता हूं ।

कुमारी अलमेलु अम्माल–

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि मैंने पिछली बार भी जब मैं एम0 एल0 ए0 थी, तब भी कहा था कि बस्ती जिला अस्पताल में एक आई0 सी0 सी0 यू0 खोल दी जाय । तो इसके बारे में बता दें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्ष 1986-87 में कुछ आई0 सी0 सी0 यूनिट खुलने वाली हैं, बस्ती में भी उपलब्ध करा दी जायेगी ।

कुमारी अलमेलु अम्माल–

धन्यवाद ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

इन्टैंसिव केयर कोरोनरी यूनिट हर जिले में लगाने का कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस अनुदान की स्वीकृति प्रदान करें ।

श्री अमर चन्द्र–

मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उपकेन्द्रों का निर्माण कराया जा रहा है । तथा हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और जो उस क्षेत्र के निवासी हैं उन्हीं के नाम पर उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उप केन्द्र अथवा बड़े चिकित्सालयों का नामकरण कराया जाय, जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए कुर्बानी दी है । इस तरह से उनका नाम जिन्दा रहेगा और वे लोग तथा वहां की जनता सदैव-सदैव के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी के आभारी होंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

जो सुझाव दिया गया है, उस पर मंत्री जी ध्यान दें ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 96,56,13,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 12,46,11,000 रुपए से अनधित धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्यापैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,01,57,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हुआ)।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 26,93,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हुआ)।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 69,85,06,000

रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हुआ)।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 53,92,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जमुना प्रसाद बोस सदस्य, विधान सभा की 'भारत बन्द' के सन्दर्भ में गिरफ्तारी की सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग शान्ति से बैठें। अब एक घोषणा है। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, बांदा से आज अपरान्ह में प्राप्त वायरलेस सन्देश के अनुसार श्री जमुना प्रसाद बोस सदस्य विधान सभा को बांदा कोतवाली द्वारा भारत बन्द के सन्दर्भ में भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है ।

दैनिक पत्र 'जन सत्ता' के सम्पादक, मुद्रक एवं प्रकाशक के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

विशेषाधिकार की कुछ सूचनाएं, जिन पर माननीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया है, को पढ़ कर सुना रहा हूं–

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा ने 'जनसत्ता' दैनिक के दिनांक 26 जुलाई, 1985 के अंक के पृष्ठ–4 पर 'सूचना एकत्र की जा रही है' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित लेख के सम्बन्ध में उक्त दैनिक के सम्पादक, मुद्रक एवं प्रकाशक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि उक्त लेख में न केवल असत्य तथ्य प्रकाशित किये गये हैं वरन् उसमें माननीय सदस्यों के विरुद्ध जानबूझ कर असत्य और अनर्गल आरोप उनकी छवि को धूमिल करने और सदन की गरिमा को जनमानस में गिराने के इरादे से लगाये गये हैं ।

मैंने प्रश्नगत मामले में उक्त दैनिक के सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक से स्पष्टीकरण की मांग की। श्री प्रभाष जोशी, संपादक ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि उक्त लेख में यह कहा गया है कि 'सूचना एकत्र की जा रही है' जैसे वाक्यों का इस्तेमाल करके मंत्रीगण प्रश्नोत्तर काल की गरिमा घटा रहे हैं तथा विधायक प्रश्न पूछने और सही उत्तर पाने पर ध्यान और जोर नहीं देते हैं। श्री जोशी ने यह भी कहा है कि यह लेख वास्तव में सदन की गरिमा की रक्षा करने के लिए लिखा गया है, उसकी अवमानना के उद्देश्य से नहीं।

पूरे मामले पर विचार करने के उपरान्त मैं इस मत का हूं कि प्रश्नगत लेख द्वारा सदन के अवमान का आशय प्रकट नहीं होता। इसके अतिरिक्त कौल और शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" के पृष्ठ–248 पर यह उल्लिखित है कि प्रत्येक मानहानिकारक बात के सम्बन्ध में जो सभा के विशेषाधिकार भंग या अवमान की परिभाषा में आती हो, सभा द्वारा इस पर ध्यान देना या कार्यवाही

करना, सभा की गरिमा के अनुकूल नहीं माना जाता।

प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा सदन के अवमान का प्रश्न अंतर्ग्रस्त होता हुआ नहीं प्रतीत होता है। अतः मैं इसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग के सहायक श्री टी0 एस0 पवार के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष-

श्री राम विशुन आजाद, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 28-6-85 का राज्य सम्पत्ति अनुभाग के एक सहायक, श्री टी0 एस0 पवार के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी। माननीय सदस्य के अनुसार उन्हें विधायक निवास–2 में नया कक्ष 146 आवंटित था किन्तु उस पर किसी भूतपूर्व विधायक का कब्जा था। इस सम्बन्ध में जब दिनांक 24-6-85 को माननीय सदस्य राज्य सम्पत्ति अनुभाग में गये तो उक्त अनुभाग के सहायक श्री टी0 एस0 पवार ने उन्हें एक दस्ती पत्र दिया। जिसमें व्यवस्था अधिकारी को निदेश दिया गया था कि माननीय सदस्य को ए–ब्लाक में एक कक्ष उपलब्ध करा दिया जाय। माननीय सदस्य का कहना है कि उपरोक्त दस्ती पत्र जारी करके श्री पवार ने उनके विशेषाधिकार का हनन किया है।

विशेषाधिकार अवहेलना की पूरी सूचना पढ़ने के बाद मैं इस मत का हूं कि इसमें कोई बल नहीं है और इसे स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है। श्री पवार ने माननीय सदस्य की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया था। विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न ही इसमें नहीं उठता है।

तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव डा0 बी0 एस0 मिश्र के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

श्री हृदय नारायण दीक्षित, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 15 जुलाई, 1985 को तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव, डा0 बी0एस0 मिश्र के विरूद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी। सूचना में माननीय सदस्य का कहना है कि वे दिनांक 8 जुलाई, 1985 को अपनी पुत्री के इलाज संबंधी कुछ शिकायतें मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उन्नाव के संज्ञान में लाने हेतु उनसे मिले थे। माननीय सदस्य के अनुसार बातचीत काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण में शुरू हुई और उनकी शिकायत के संबंध में उक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उन्नाव ने महिला अधीक्षिका को टेलीफोन पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित भी किया। किन्तु इसके बाद उनकी बात चीत का तरीका बदल गया और उन्होंने कहा कि "मैं आपके सारे कार्य करता हूं उसके बाद भी आप मेरे विरुद्ध विधान सभा में प्रश्न उठाते हैं।" इस पर माननीय सदस्य के यह कहने पर कि "किसी के भ्रष्ट एवं अनियमित कार्यों से शासन को अवगत कराना वे अपना कर्तव्य समझते हैं और इसलिए विधान सभा के माध्यम से उन्होंने उसका पालन किया है।" इस पर मुख्य चिकित्साधिकारी ने उनसे कहा कि कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन आप नुकसान में पड़ जायेंगे। इससे अच्छा है कि इसे विधान सभा में न उठाओ।"

इतना कह-ते हुए वे कुर्सी से उठ गये और उनका चपरासी भी जो अन्दर खड़ा था, बड़बड़ाने लगा जिसे माननीय सदस्य नहीं सुन सके। श्री अवधेश लोधी एवं श्री रईस अहमद को इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी बताया गया है।

प्रश्नगत मामले में माननीय स्वास्थ्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी की गयी । माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने सूचित किया है कि मामले की जांच अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मंडल से कराई गई। जांच अधिकारी ने माननीय सदस्य को जांच में सहयोग देने के लिए आमंत्रित किया था किन्तु निर्धारित तिथि को न तो माननीय सदस्य उपस्थित हुए और न श्री अवधेश लोधी या रईस अहमद। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि जांच से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव ने माननीय सदस्य के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। उक्त डा0 मिश्रा का अब स्थानान्तरण भी हो गया है।

माननीय सदस्य की सूचना तथा इसके सम्बन्ध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दी गयी जानकारी से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं :-

(1) माननीय सदस्य ने विगत सत्र में दो प्रश्न मुख्य चिकित्सा अधिकारी उन्नाव के विषय में पूछे थे,

(2) माननीय सदस्य घटना के समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उन्नाव, से सदन या उसकी समितियों से संबंधित कार्यों के विषय में मिलने नहीं गये थे,

(3) जांच अधिकारी की जांच में माननीय सदस्य ने सहयोग नहीं दिया और न वे अथवा सूचना में उल्लिखित प्रत्यक्षदर्शी ही जांच हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए।

(4) माननीय सदस्य ने प्रत्यक्षदर्शी के बयान अथवा अन्य कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है जिससे उनके कथन की पुष्टि हो सके।

इस प्रकार प्रश्नगत मामले में प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त होता हुआ प्रतीत नहीं होता है। अतः इसे मैं सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूँ।

तत्कालीन आवास मंत्री श्री सइदुल हसन तथा अन्य आवास विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष-

कुंवर रेवती रमण सिंह, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 16 मई, 1985 को तत्कालीन माननीय आवास मंत्री श्री सइदुल हसन, श्री रवीन्द्र शंकर माथुर, तत्कालीन सचिव, आवास एवं नगर विकास, श्री शम्भू नाथ, आवास आयुक्त, उ0 प्र0 तथा तत्कालीन आवास आयुक्त श्री श्याम मूरी तथा श्री मंगला प्रसाद मिश्र संयुक्त आवास आयुक्त, के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दी थी । मा0 सदस्य का कहना है कि विधायकों के संबंध में गठित विधायक आवास समिति के कार्यकारी सचिव द्वारा आवास आयुक्त को सूचित किये जाने के बाद भी श्री रियासत हुसैन, तत्कालीन सदस्य, विधान सभा के दिनांक 7-2-1984 के इस अनुरोध पर कि उन्हें मुरादाबाद में आवास विकास परिषद् द्वारा दमदमा कोठा कर

बनने वाली कालोनी में मकान नं0 ए–37 का आवंटन कर दिया जाये, उन्हें उक्त मकान आवंटित नहीं किया गया।

मैंने इस संबंध में तत्कालीन मुख्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी तथा तत्कालीन आवास एवं नगर विकास मंत्री को अपने अभिकथन को अवसर भी दिया।

इस संबंध में आवास एव विकास परिषद् से भी जानकारी प्राप्त की गई। परिषद् ने अपने 4-2-86 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि परिषद् ने सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया है कि श्री रियासत हुसैन भूतपूर्व विधायक को दमदमा कोठी, मुरादाबाद में गेस्ट हाउस के अतिरिक्त कोई उच्च आय वर्ग अथवा मध्यम आय वर्ग का भवन उपलब्ध तथा रिक्त होने पर आवंटित कर दिया जाय। तद्नुसार श्री रियायत हुसैन को उच्च आय वर्ग का एक भवन आवंटित किये जाने के संबंध में सम्पर्क्त प्रबन्ध अधिकारी, मुरादाबाद को सूचित किया जा चुका है।

उपरोक्त पृष्ठ भूमि में, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। अतः मैं इसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

बांदा से प्रकाशित दैनिक पत्र 'मध्य युग' के प्रधान सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक तथा सम्पादक के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर

श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष-

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 14-8-85 को बांदा से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र 'मध्य युग' के 7-8-85 के संस्करण के पृष्ठ-1 पर 'पत्रकार-अभियन्ता विवाद की विधान सभा में गूंज' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में उक्त समाचार पत्र के (1) प्रधान सम्पादक, प्रकाशक और मुद्रक तथा (2) सम्पादक, के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी। सूचना में मा0 सदस्य का कहना है कि उन्होंने 6-8-85 को सदन में बांदा के कुछ कथित पत्रकारों एवं कालीसूची में दर्ज ठेकेदारों द्वारा अभियन्ताओं एवं कर्मचारियों तथा होटलों पर हमला करने एवं गुण्डागर्दी का विषय उठाया था। इससे उक्त व्यक्ति नाराज हो गये और प्रश्नगत समाचार प्रकाशित कराया, जिसका, विधान सभा के सदस्य ने उन पर दलाली करने का आरोप लगाया, अंश असत्य है और इससे जनता में उनकी छवि धूमिल हुई है तथा सदन की कार्यवाही जान बूझकर गलत ढंग से प्रकाशित की गयी है।

मैंने इस संबंध में प्रधान सम्पादक तथा सम्पादक से स्पष्टीकरण प्राप्त किया है। उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि उक्त समाचार की रिपोर्टिंग यथासम्भव उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर की गयी थी। उनका कहना है कि उक्त समाचार प्रकाशित करने में उनका माननीय सदस्य के प्रति किसी प्रकार विद्वेष अथवा सदन की कार्यवाही को तोड़ मरोड़ कर प्रकाशित करने का कोई उद्देश्य नहीं था। उनका, माननीय सदस्य अथवा सदन के विशेषाधिकार अवहेलना अथवा अवमानना का न तो उद्देश्य था और न है। उन्होंने अन्त में सदन के प्रति सम्मान व्यक्त किया है तथा अनजाने में हुई त्रुटि के लिए खेद व्यक्त किया है।

मैंने इस संबंध में दिनांक 6-8-85 की कार्यवाही भी देखी जिससे ज्ञात होता है कि सदन में श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा पर ऐसा आरोप नहीं लगाया गया था जैसा उक्त समाचार पत्र में छापा गया है। यह स्वस्थ पत्रकारिता का प्रतीक नहीं माना जा सकता है। फिर भी इस मामले को अनावश्यक महत्व देना सदन की मर्यादा के अनुरूप न होगा। इसके अलावा प्रधान सम्पादक ने अपने स्पष्टीकरण में सदन के प्रति सम्मान व्यक्त किया है और अनजाने में हुई त्रुटि के लिए खेद भी व्यक्त किया है।

कौल और शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" के पृष्ठ 248 पर यह उल्लिखित है कि...प्रत्येक मानहानिकारक बात के सम्बन्ध में जो सभा के विशेषाधिकार भंग या अवमान की परिभाषा में आती हो, सभा द्वारा उस पर ध्यान देना या कार्यवाही करना सभा की गरिमा के अनुकूल नहीं माना जाता।

इस प्रकरण के सभी तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त मैं इस विषय को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

सैनिक स्कूल, लखनऊ में भ्रष्टाचार के संबंध में तत्कालीन शिक्षा मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

दिनांक 19 अगस्त, 1985 को श्री राजेन्द्र गुप्त, सदस्य, विधान सभा ने शिक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है। माननीय सदस्य के कथनानुसार तत्कालीन अध्यक्ष श्री धर्म सिंह के निदेश दिनांक 17-9-84 तथा मेरे निदेश दिनांक 22-7-85 के बावजूद शिक्षा मंत्री ने लखनऊ स्थित सैनिक स्कूल में व्याप्त अनियमितताओं की जांच हेतु सदन के तीन सदस्यों की समिति का गठन नहीं किया। अतः वे सदन की अवमानना के दोषी हैं।

इस सम्बन्ध में मैं अवगत कराना चाहूंगा कि शिक्षा अनुभाग–2 की पत्रावली संख्या 32/106/84 मेरे पास जुलाई, 1985 में आई थी और उस पर विचारोपरान्त मैंने निदेश दिया था कि प्रश्नगत मामले में जांच हेतु तीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक जांच समिति गठित की जाय। उपरोक्त निदेशानुसार समिति का गठन किया गया और जांच की कार्यवाही प्रारम्भ भी हुई। इसी बीच सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल, जिनके विरुद्ध मुख्यतः जांच की कार्यवाही चल रही थी, का देहान्त हो गया। तदोपरान्त शिक्षा मंत्री ने पुनः उपरोक्त पत्रावली मेरे पास भेजी और मेरे आदेश दिनांक 21 नवम्बर, 1985 से जांच की कार्यवाही समाप्त की गई।

वर्णित परिस्थितियों में शिक्षा मंत्री द्वारा अध्यक्ष के आदेशों की अवमानना का प्रश्न नहीं पैदा होता और इस पूरे मामले को समाप्त किया जाता है।

'माया' तथा 'ब्लिट्ज' के प्रकाशक, सम्पादक तथा समाचार लेखक के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

श्री हर्ष वर्धन तथा विधान सभा के 4 अन्य माननीय सदस्यों ने दिनांक 17-7-85 को माया तथा ब्लिट्ज के

प्रकाशक, सम्पादक तथा समाचार लेखक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है।

इलाहाबाद से प्रकाशित पाक्षिक पत्रिका 'माया' के 31-7-85 के अंक में पृष्ठ 45 पर एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने आदेश जारी करके एक ऐसे पुलिस इन्सपेक्टर के स्थानान्तरण आदेश को निरस्त कराने का आदेश दिया था जिसके कारण मंत्रि-परिषद् के एक अन्य सदस्य की जान को खतरा था। कुछ इसी तरह का समाचार बम्बई से हिन्दी में प्रकाशित साप्ताहिक ब्लिट्ज के 13-7-85 के अंक में पृष्ठ 13 पर मुद्रित किया गया था।

माननीय सदस्यों का कहना है कि उक्त समाचार के प्रकाशन से सदन के सदस्यों की अवमानना हुई है। मैंने दोनों समाचार पत्रों के प्रकाशक, मुद्रक आदि से आवश्यक स्पष्टीकरण मांगा। माया पत्रिका की ओर से श्री वीरेन्द्र नाथ घोष, श्री आलोक मित्र तथा श्री अजय कुमार ने स्पष्टीकरण भेजा है। इसी प्रकार ब्लिट्ज की ओर से श्री नन्द किशोर नौटियाल ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। उपरोक्त सभी व्यक्तियों ने विशेषाधिकार की अवहेलना करने से इन्कार किया है।

विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या उपरोक्त समाचार पत्रों के प्रकशकों, मुद्रकों तथा सम्पादकों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रथम दृष्टया मामला अन्तर्ग्रस्त प्रतीत होता है।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जनतांत्रिक प्रणाली में प्रेस की स्वतन्त्रता एक अनिवार्य आवश्यकता है। जनता की समस्याओं के प्रति सदन का ध्यान आकर्षित करने तथा सदन की बात जनता तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य प्रेस द्वारा ही किया जाता है। अतः प्रेस की आजादी पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध लगाना जनहित में उचित नहीं होगा। प्रेस में यह अपेक्षा अवश्य की जाती है कि वे जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का वहन करें। डा0 डी0 डी0 बसु ने अपनी पुस्तक "ला आफ दि प्रेस इन इंडिया" के पृष्ठ 195 पर लिखा है कि यदि सदन के किसी सदस्य के बारे में कोई टिप्पणी पत्रों में प्रकाशित की जाती है तो उस तब तक सदन की अवमानना की संज्ञा नहीं दी जा सकती जब तक कि उपरोक्त टिप्पणी सदन के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित न हो।

विद्वान लेखक ने यह भी लिखा है कि यदि समाचार पत्र की टिप्पणी में कोई व्यक्तिगत आरोप लगाया गया है और पूरा सदन उससे प्रभावित नहीं होता, तो ऐसी टिप्पणी से सदन की अवमानना नहीं होती।

सितम्बर, 1981 में इसी तरह का मामला उड़ीसा विधान सभा में भी उठाया गया था और वहां यही निर्णय दिया गया था कि यदि समाचार पत्रों में अंकित टिप्पणी किसी सदस्य के बारे में उसकी सदस्यता से संबंधित कार्यों के बारे में नहीं है तो विशेषाधिकार की अवहेलना का मामला नहीं बनता।

उपरोक्त परिस्थितियों में विशेषाधिकार की प्रश्नगत सूचना को मैं अग्राह्य घोषित करता हूं।

तत्कालीन सहकारिता मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष-

श्री सुखपाल पाण्डे, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 16 जुलाई, 1985 को माननीय सहकारिता मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना दी थी। सूचना में माननीय सदस्य श्री सुखपाल पाण्डे का कहना है कि दिनांक 16 जुलाई, 1985 को श्री कल्याण सिंह तथा श्री जयदीप सिंह बरार, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 के उत्तर से उत्पन्न उनके (मा0 श्री सुखपाल पाण्डे) द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के संबंध में माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया कि किसी कर्जदार (डिफाल्टर) को प्रशासक नहीं बनाया गया है। जबकि उनकी निश्चित जानकारी है कि कर्जदार विभिन्न सहकारी समितियों में प्रशासक नियुक्त किये गये हैं। माननीय सदस्य ने इस विषय में 8 कर्जदार प्रशासकों की सूची भी उपलब्ध कराई है।

इस संबंध में माननीय सहकारिता मंत्री से उनका अभिकथन प्राप्त किया गया। माननीय सहकारिता मंत्री ने बताया है कि दिनांक 16 जुलाई, 1985 को सदन में उन्होंने कहा था कि जो डिफाल्टर हैं वह प्रशासक नहीं बने रह सकते हैं। निबंधक, सहकारी समितियों ने सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को इस आशय के निर्देश पहले ही जारी कर दिये थे कि जो प्रशासक समितियों के कर्जदार हों उन्हें तुरन्त हटा दिया जाय। उन्होंने कहा है कि इसी आधार पर सदन में उपरोक्त सूचना दी गयी थी। बाद में माननीय सदस्य की सूचना पर जांच कराने के बाद आठ प्रशासकों में से छः संदर्भित प्रशासकों को हटा दिया गया है।

माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा दी गयी जानकारी से विदित होता है कि उन्होंने सदन में गलत बयानी नहीं की थी वरन् उनके कथन से यह भ्रम हो गया कि वास्तव में 16 जुलाई, 1985 को कोई कर्जदार सहकारी समितियों में प्रशासक नहीं था। माननीय सहकारिता मंत्री ने इस विषय में हुये भ्रम के लिये खेद भी व्यक्त किया है।

माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा दी गयी जानकारी के अवलोकन के बाद प्रश्नगत मामला प्राग्दर्शन में ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इसे सदन के अवमान के प्रश्न के रूप में माननीय सभापति, विधान परिषद् को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–79 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया जाय। अतः मैं इस सूचना को अस्वीकार करता हूं।

'अमृत प्रभात' दैनिक पत्र के दिनांक 31.7.85 के अंक में प्रकाशित 'स्वास्थ्य मंत्री का ब्रीफकेस' के संबंध में प्रधान सम्पादक, सम्पादक, मुद्रक एवं प्रकाशक के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा ने लखनऊ से प्रकाशित "अमृत प्रभात" दैनिक के 31 जुलाई, 1985 के अंक में पृष्ठ–3 पर "स्वास्थ्य मंत्री का ब्रीफ केस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार के संबंध में उक्त दैनिक के प्रधान सम्पादक, सम्पादक तथा मुद्रक एवं प्रकाशक के विरुद्ध सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दी है। माननीय सदस्य

का कहना है कि प्रश्नगत समाचार प्रकाशित करके जानबूझकर सदन और उसके सदस्यों की गरिमा को जन मानस में गिराने का प्रयास किया गया है तथा उक्त समाचार से श्री नरेश चन्द्र, सदस्य, विधान सभा की प्रतिष्ठा को भी भारी आघात लगा है और जन मानस में उनकी ईमानदारी के प्रति शंका पैदा हो गयी है क्योंकि उक्त माननीय सदस्य ने 59/- के ब्रीफ केस का दाम 140/- बताकर अनुचित ढंग से पैसा कमाने तथा सदन के माननीय सदस्यों और सरकार को धोखा देने का प्रयास किया है ।

प्रश्नगत मामले में उक्त समाचार पत्र के उक्त पदाधिकारियों का स्पष्टीकरण मांगा गया । श्री कमलेश बिहारी माथुर, सम्पादक का स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया परन्तु प्रधान संपादक श्री तुषारकांति घोष तथा मुद्रक एवं प्रकाशक श्री डी0के0 गुप्ता के स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुये वरन् संपादक श्री कमलेश बिहारी माथुर ने सूचित किया है कि प्रधान संपादक लखनऊ में नहीं बैठते और डी0 के0 गुप्ता का समाचारों के चयन में कोई दखल नहीं होता है । इसलिये उक्त दोनों व्यक्तियों की ओर से अलग-अलग स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं समझा गया । उन्होंने यह भी कहा है कि यदि जरूरी हो तो उनके स्पष्टीकरण को ही तीनों व्यक्तियों की ओर से दिया गया मान लिया जाय ।

श्री कमलेश बिहारी माथुर, सम्पादक ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि:-

1-प्रश्नगत समाचार जानबूझकर सदन और उसके सदस्यों की गरिमा को जनमानस में गिराने के इरादे से नहीं छापा गया था ।

2-यह सत्य है कि संबंधित विभागों के बजट के दिन विधायकों को ब्रीफ केस, बैग और खाने के डिब्बे वितरित किये जाते हैं । उन्होंने कहा है कि इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की अनुदानों की मांगों के दौरान कतिपय सदस्यों ने टिप्पणियां भी की थीं ।

3-समाचार प्रकाशित करने का उद्देश्य श्री नरेश चन्द्र की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने का कतई नहीं था । समाचार में कांग्रेस (इ) के ही कुछ सदस्यों के आरोपों का जिक्र है जो विधायकों ने सदन के बाहर स्वास्थ्य मंत्री से कहे ।

4-समाचार दुर्भावना से प्रेरित नहीं था वरन् वह ब्रीफ केस को लेकर विधायकों में हुयी प्रतिक्रिया से संबंधित था ।

5-वे उक्त समाचार पत्र के दिनांक 1 अगस्त, 1985 के अंक में इस विषय पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री तथा श्री नरेश चन्द्र सदस्य, विधान सभा का उक्त समाचार से संबंधित स्पष्टीकरण भी प्रकाशित कर चुके हैं ।

माननीय सदस्य श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की सूचना एवं इस संबंध में अमृत प्रभात के संपादक से प्राप्त स्पष्टीकरण के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रश्नगत समाचार के संबंध में उसी समाचार पत्र के दूसरे दिन अर्थात 1 अगस्त, 1985 में माननीय स्वास्थ्य मंत्री एवं श्री नरेश चन्द्र सदस्य, विधान सभा का स्पष्टीकरण भी प्रकाशित हो चुका है ।

कौल और शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली और व्यवहार" के पृष्ठ 248 पर यह कहा गया है कि प्रत्येक मानहानिकारक बात के संबंध में सभा द्वारा ध्यान देना या कार्यवाही करना सभा की गरिमा के अनुकूल नहीं माना जाता ।

समय-समय पर अध्यक्ष पीठ से दिए गए निर्णयों को देखते हुए इस मामले में सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त होता हुआ नहीं प्रतीत होता है । अतः मैं इस मामले को सदन की अवमानना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

श्री मित्रसेन, सदस्य, विधान सभा ने विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के दूसरे मंगलवार को अपने द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या-54 के उत्तर के संदर्भ में तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी के विरुद्ध दिनांक 2 अगस्त, 1985 को विशेषाधिकार की अवहेलना तथा अवमानना के प्रश्न की सूचना दी थी । सूचना में माननीय सदस्य का कहना है कि उन्होंने अपने उक्त प्रश्न के एक भाग में यह जानकारी चाही थी कि प्रश्नगत घटना के संबंध में धारा 395/397/504 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत वाद संख्या 162/84 मुंसिफ मजिस्ट्रेट, फैजाबाद के न्यायालय में दायर किया गया है । इस अंश का उत्तर तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री द्वारा यह दिया गया कि "जिला पुलिस को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है ।" माननीय सदस्य के अनुसार उक्त उत्तर सदन को गुमराह करने वाला है क्योंकि उक्त वाद में संबंधित न्यायालय द्वारा कतिपय पुलिस कर्मियों के नाम नोटिसें जारी की गई है ।

इस संबंध में तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री से उनका अभिकथन मांगा गया था जो माननीय राज्य मंत्री, संसदीय कार्य पशुधन एवं खाद्य एवं रसद के हस्ताक्षर से प्राप्त हुआ है । माननीय राज्य मंत्री ने कहा है कि प्रश्नगत मामले में जांच कराई गयी जिससे ज्ञात हुआ कि उक्त वाद की जानकारी जिला पुलिस को नहीं थी । डा0 प्रताप सिंह के भाई श्री मेहताब सिंह द्वारा न्यायालय में जो इस्तगासा मु0 नं0 150/85 धारा 395/397/504 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत श्री राम बिलास सिंह बघेल तत्कालीन थानाध्यक्ष, इनायतनगर तथा अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध दायर किया गया, उसकी जानकारी थी । माननीय राज्य मंत्री ने आगे कहा कि श्री मेहताब सिंह द्वारा 26 मई, 1984 को सी0 जे0 एम0 के न्यायालय में जो वाद दाखिल किया गया, वह कई अदालतों में स्थानान्तरित किया गया, जहां अलग-अलग नम्बर डाले गए । वर्तमान में यह वाद संख्या 1050/85, अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट द्वितीय के न्यायालय में विचाराधीन है ।

मा0 सदस्य की सूचना और इसके संबंध में माननीय राज्य मंत्री द्वारा दी गई जानकारी से स्पष्ट होता है कि मुंसिफ हवेली, फैजाबाद के न्यायालयों में श्री मेहताब सिंह द्वारा श्री राम बिलास सिंह बघेल आदि के विरुद्ध एक वाद दायर किया गया था, जिस पर संख्या 162/84 पड़ी थी । चूंकि यह वाद जिला पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नहीं था और उसे डा0 प्रताप सिंह ने नहीं बल्कि उनके भाई द्वारा दायर किया गया था, अतः पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी न होना अस्वाभाविक नहीं है । इसके अलावा माननीय सदस्य ने अपनी सूचना के साथ ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे ज्ञात हो सके कि जिला प्रशासन को उक्त मुक-

दमा की जानकारी था। अतः प्रश्नगत मामले में तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर सदन को जानबूझकर गुमराह करने के आशय से दिया गया नही प्रतीत होता है । इस मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त होता हुआ प्रतीत नहीं होता है । अतः मैं इसे सदन की अवमानना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

श्री गौरी शंकर भइया, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 12 जुलाई, 1985 को मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी । उक्त सूचना में माननीय सदस्य का कहना है कि दिनांक 6 जुलाई, 1985 को फैजाबाद जनपद की जिला स्तरीय विकास समिति की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा विधायकों एंव सांसदों को अपमानित किए जाने के फलस्वरूप उन्हें बैठक का बहिष्कार करना पड़ा था। माननीय सदस्य ने आगे कहा है कि एसे अवसरों पर अधिकारियों से माननीय सदस्यों के प्रति विशिष्ट व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, और एसा न करके उक्त अधिकारी ने संसदीय शिष्टाचार का उल्लंघन किया है ।

इस संबंध में मैंने शासन से वस्तु स्थिति की जानकारी की। माननीय ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री ने जिलाधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर स्थिति से अवगत कराते हुए कहा है कि 6 जुलाई, 1985 को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के प्रशासक मण्डल की बैठक थी। जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की गवर्निंग बाडी के उपाध्यक्ष की हैसियत से उपस्थित थे। बैठक के दौरान एक माननीय सदस्य ने सड़कों के निर्माण के संबंध में कोई कुछ शिकायतों की और कहा कि उक्त अधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी है । मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि यह बात उनके संज्ञान में नहीं है और यदि किसी मामले में शिकायत उनके समक्ष की जाएगी तो वे उस पर अवश्य ही प्रभावी कार्यवाही करेंगे । माननीय विधायकगण द्वारा बल दिए जाने पर उक्त अधिकारी ने कहा कि जब तक उन्हें कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं होगी, तब तक उस पर विशेष कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होगा । माननीय मंत्री ने आगे कहा है कि इससे माननीय सदस्यों को यह आभास हुआ कि कदाचित उनकी बात ठीक से नहीं सुनी जा रही है और मुख्य विकास अधिकारी अपने उत्तरदायित्व से बचना चाहते है । इस पर सभी सांसद एवं विधायकगण बैठक कक्ष से बाहर चले गए, किन्तु जब उनसे वार्ता की गयी तो वे पुनः बैठक कक्ष में आ गए । उक्त मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक में स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य कदापि एसा नहीं था और न किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का ही था, और यदि किसी माननीय सदस्य की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो वे अर्थात् मुख्य विकास अधिकारी अपना दावा वापस लेते है। इस पर सभी माननीय सदस्य संतुष्ट हुए और बैठक की कार्यवाही सुचारु रूप से चली।

माननीय सदस्य की सूचना एवं माननीय ग्राम्य विकास तथा पंचायती राज मंत्री

द्वारा दी गयी जानकारी के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि माननीय सदस्य श्री गौरी शंकर भइया उक्त बैठक में न तो स्वयं उपस्थित थे, और न ही यह प्रकरण उनके सामने हुआ । इस घटना के संबंध में विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना 6 दिन बाद दी गयी है, इस प्रकार यह विलम्बित भी है । इसके अतिरिक्त माननीय श्री गौरी शंकर भइया ने अपनी सूचना में यह भी नहीं बताया कि उक्त अधिकारी ने विधायकों एवं सांसदों का क्या अपमान किया । अतः मैं इस मामले को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं । फिर भी मैं माननीय ग्राम्य विकास मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का कष्ट करें कि वे माननीय विधायकों तथा संसद सदस्यों के प्रति सम्मान और शिष्टाचार का प्रदर्शन करें।

विधान सभा सदस्य, हाजी मोहम्मद हयात तथा श्री काजी कलीमुररहमान की गिरफ्तारी की सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

अपर नगर मजिस्ट्रेट, लखनऊ से आज अपराह्न में प्राप्त सूचना के अनुसार विधान सभा के सदस्यगण श्री हाजी मोहम्मद हयात तथा काजी कलीमुररहमान को आज दिनांक 26-2-1986 को 11-30 बजे दिन में विधान सभा के गेट नं0 3 के सामने दारुलशफा परिसर में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है ।

नियम 51 के अंतर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

मुझे आज नियम 51 के अंतर्गत 5 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से पहली सूचना जो श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की बांदा में भीषण ओला वृष्टि के सम्बन्ध में है, वह स्वीकार की गयी है, बाकी सूचनाएं अस्वीकार की गयीं ।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे पूर्वाह्न फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 17 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
26 फरवरी, 1986

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिए त0 प्र0 सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 13 पर)

समितियों को जारी किये गये नये लाइसेंस के बारे में विवरण

क्र0 सं0	समितियों के नाम जिन्हें लाइसेंस दिये गये थे।	गोदामों का आकार (साइज) फुटों में		
		लम्बाई	चौड़ाई	ऊंचाई
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स वजीरगंज वार्ड उपभोक्ता सहकारी समिति	11	× 7 ×	10
2.	मैसर्स मन्सूर नगर उपभोक्ता सहकारी समिति	17	× 7 ×	10
3.	मैसर्स गनेशगंज कन्जूमर्स कोआपरेटिव स्टोर लि0	15	× 9 ×	12
4.	मैसर्स बाजार खाला उपभोक्ता सहकारी समिति	14	× 8 ×	11
5.	मैसर्स बिरहाना उपभोक्ता सहकारी समिति	15	× 12 ×	12

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए ता0 प्र0 सं0 4 का उत्तर पीछे पृ0 16 पर)

सिंचाई मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश
(सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त)

कार्यालय
मधुपुरा स्टेशन रोड अलीगढ़
दिनांक 15-3-85

सेवा में,

माननीय मुख्य मंत्री,
उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।

विषय : कार्य प्रभारित कर्मचारियों अंशकालीन कूप चालकों एवं मस्टर रोल कर्मचारियों के प्रतिनिधियों द्वारा विधान सभा पर प्रदर्शन एवं ज्ञापन।

महोदय,

आपका ध्यान आकर्षित करते हुए विधान सभा पर प्रदर्शन कर निम्न चिर-परिचिप समस्याओं पर बार-बार आश्वासन मिलने पर भी कारगर कदम नहीं उठाये गये हैं, अस्तु आपसे नम्र निवेदन है कि समाज के दुर्बल वर्ग को न्याय दिलाने की कृपा करेंगे। सभी कर्मचारी आपका आभार प्रकट करते हैं साथ ही साथ नव वर्ष एवं आपकी सरकार की सफलता पर हार्दिक बधाई देते हैं।

समस्यायें निम्न हैं।

1–जिन कार्यप्रभारित कर्मचारियों ने 1-3-72 से 1-3-84 तक सेवा के 3 वर्ष पूर्ण कर लिये हैं उनको वर्कचार्ज इम्पलायमेन्ट एन्ड एडहाक एक्ट के अन्तर्गत तत्काल रेगुलर घोषित किया जाय।

2–मस्टर रोल कर्मचारियों को कार्यप्रभारित अधिष्ठान में लिया जाये एवं आई0 एम0 ओ0 के पैरा के अनुसार नियुक्त पत्र दिया जाय।

3–बोनस 83-84 का जो कार्यप्रभारित अधिष्ठान को भुगतान नहीं किया गया है नियमित कर्मचारियों की भांति भुगतान किया जाय।

4–त्रिपक्षीय वार्ता हेतु शासन समिति की बैठक बुलाई जाय।

5–इरीगेशन कन्सट्रक्शन सर्किल के अन्तर्गत प्रयोगशाला सहायक के पद रिक्त हैं जिनको कार्यप्रभारित अधिष्ठान से भरना है उनको ज्येष्ठता के आधार पर तत्काल भरा जाय।

6–सिंचाई विभाग में कार्यरत अंशकालीन कूप चालकों को नियमित किया जाय एवं पुरा वेतन दिया जाय ।

7—सेक्सन मिस्त्रियों का वेतनमान बढ़ाया जाय एवं रिग मशीन पर कार्यरत ड्रिलर आपरेटरों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन कार्य को देखते हुए बढ़ाया जाय । रिग मशीन पर भूगर्भ शास्त्री रखे जायें ।

8—प्रत्येक कर्मचारी को 10 वर्ष में एक पदोन्नति अवश्य दी जाय तथा विभाग में नये पद बढ़ाये जायं ।

9—प्रमोशन आफ चैनल कार्य प्रभारित अधिष्ठान पर लागू किया जाय एवं सिटी एलाउन्स क्वार्टर एलाउन्स लागू किये जायें तथा विभाग में रिक्त नियमित पदों पर कार्यप्रभारित अधिष्ठान से भरा जाय।

10—नलकूप चालक व लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाया जाय ।

11—नियमित अधिष्ठान में कार्यरत 3 वर्ष की सेवा वाले समस्त कर्मचारियों को स्थायी घोषित किया जाय एवं मस्टर रोल के कर्मचारियों ने जिन्होंने सेवा के 240 दिन पूर्ण कर लिये हैं निष्कासित न करने के प्रभावी आदेश लागू किये जायें।

आशा है कि आप अविलम्ब प्रभावी कदम उठायेंगे ।

आदर सहित ।

ह0 : चन्द्रभान गुप्त
महामंत्री,
सिं0 वि0 व0 कर्मचारी।

ह0 : जे0 पी0 दीक्षित
संगठन मंत्री
सिं0 मजदूर संघ

ह0 : प्रेम कुमार आर्या
प्रान्तीय मंत्री

ह0 : शिवेन्द्र सिंह सिसौदिया
महामंत्री
सिं0 मजदूर संघ

सिंचाई मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश के मांगपत्र दिनांक 15-3-85, में उल्लिखित मुख्य मांगों पर टिप्पणी

1—जिन कार्यप्रभारित कर्मचारियों ने 1-3-73 से 1-3-84 तक सेवा के तीन वर्ष पूर्ण कर लिये हैं, उनको वर्क-चार्ज इम्पलाइज एण्ड एडहाक एक्ट के अन्तर्गत तत्काल रेगुलर घोषित किया जाय।

सिंचाई विभाग में नियमित एसे पदों, जिनकी सीधी भर्ती करने के लिये सिंचाई विभाग के अधिकारी सक्षम हैं, और जो इस समय रिक्त हैं या जो भविष्य में सृजित होंगे, को भरते समय कार्यप्रभारित अधिष्ठान के अर्ह अभ्यर्थियों को जिन्होंने इस विभाग में कम से कम तीन वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हैं, वरीयता दी जाती हैं।

2—मस्टर राल कर्मचारियों को कार्य-प्रभारित अधिष्ठान में लिया जाय एवं आई0 एम0 ओ0 के पैरा के अनुसार नियुक्ति पत्र दिये जायें।

मस्टर रोल पर कर्मचारी अल्प अवधि के लिये छोटे स्तर के कार्य विशेष के लिये रखे जाते हैं। कार्य समाप्त होने पर उन्हें हटा दिया जाता हैं।

अल्प अवधि के लिये मस्टर रोल पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों को कार्यप्रभारित अधिष्ठान में खपाया जाना संभव नहीं हैं।

3—बोनस 83-84 का जो कार्य-प्रभारित अधिष्ठान का भुगतान नहीं किया गया हैं, नियमित कर्मचारियों की भांति भुगतान किया जाये।

कार्यप्रभारित कर्मचारियों को बोनस नियमित कर्मचारियों की दर से देय नहीं हैं। कार्यप्रभारित कर्मचारियों को वर्ष 83—84 का बोनस भुगतान करने के लिये आदेश निर्गत कर दिया गया हैं।

4—सिंचाई विभाग में कार्यरत अंश-कालीन कूप चालकों को नियमित किया जाय एवं पूरा वेतन दिया जाय।

नलकूपों पर जो अंशकालीन कूप चालक रखे जा रहे हैं वे आंशिक समय के लिये ही हैं इन्हें निर्धारित पूरा वेतन दिया जा रहा हैं।

5—प्रत्येक कर्मचारी को 10 वर्ष में एक पदोन्नति अवश्य दी जाये तथा विभाग में नये पद बढ़ाये जायें।

नियमित अधिष्ठान में पदोन्नतियां उनकी विभिन्न सेवा नियमावलियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही की जाती हैं।

6—प्रमोशन आफ चैनल कार्यप्रभारित अधिष्ठान पर लागू किया जाये एवं सिटी एलाउन्स लागू किया जाय, क्वाटर एलाउन्स लागू किया जाय तथा विभाग में रिक्त नियमित पदों पर कार्यप्रभारित अधिष्ठान से भरा जाये।

कार्यप्रभारित अधिष्ठान के कर्मचारियों को प्रमोशन दिये नहीं है। नियमित पदों पर नियुक्ति के समय कार्यप्रभारित कर्मचारियों को वरीयता दी जाती है।

7—नलकूप चालक व लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतनमान बढ़ाये जायें।

नलकूप चालक, लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान ही अनुमन्य किये गये है।

8—नियमित अधिष्ठान में कार्यरत 3 वर्ष की सेवा वाले समस्त कर्मचारियों को स्थाई घोषित किया जाय एवं मस्टर रोल के कर्मचारियों के, जिन्होंने सेवा के 240 दिन पूर्ण कर लिये है, निष्कासित न करने के प्रभावी आदेश लागू किये जायं।

तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत नियमित अधिष्ठान में कर्मचारियों को स्थाई पदों की उपलब्धता पर नियमानुसार स्थाई किया जाता है। मस्टर रोल पर कर्मचारी अल्प अवधि के लिए छोटे स्तर के कार्य विशेष के लिये रखे जाते है। कार्य समाप्त होने पर उन्हें हटा दिया जाता है।

पी0एस0यू0पी0—एल0 38 विधान सभा (59)-1986-813।